

Seventeenth Series, Vol. XVI No.10

Friday, February 11, 2022

Magha 22, 1943 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eighth Session
(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XVI contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora
Joint Secretary

Mahavir Singh
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Arora
Joint Director

Maneesha Bhushan
Assistant Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XVI, Eighth Session, 2022/1943 (Saka)
No. 10, Friday, February 11, 2022/Magha 22, 1943 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 141 to 148	7-40
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 149 to 160	41-128
Unstarred Question Nos. 1611 to 1840	129-782

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Conduct of Business during first part of Budget Session	783-784
---	---------

PAPERS LAID ON THE TABLE

785-809

MATTERS UNDER RULE 377

811-814

(i) Need to set up a solar plant in Gorakhpur, Uttar Pradesh

Shri Ravi Kishan

811

(ii) Regarding increase in budgetary allocation for MGNREGA Scheme

Shri Gaurav Gogoi

812

(iii) Regarding release of salaries and pensions to staff of Kazhakootam Sainik School, Kerala

Dr. Shashi Tharoor

813-814

HALF-AN-HOUR DISCUSSION**Beneficiaries under PMAY-G**

851-870

Shri Bhartruhari Mahtab

851-857

Dr. Nishikant Dubey

858-859

Shri S.C. Udasi

860

Shri Gaurav Gogoi

860--862

Shri Hasnain Masoodi

863-864

Shri Giriraj Singh

865-870

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION**Welfare measures for Anganawadi workers and Anganwadi helpers**

	871-908
Shri Rajendra Agrawal	871-874
Shri Kanakmal Katara	874-875
Shri Ramesh Bidhuri	876-887
Shri Bhartruhari Mahtab	888-900
Shri Syed Imtiaz Jaleel	901-905
Er. Guman Singh Damor	906-908

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Review of Central Scheme under DISHA	925-926
--	---------

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	867
Member-wise Index to Unstarred Questions	868-874

*** ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	875
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	876

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, February 11, 2022/Magha 22,1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Sixteen of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, बंगाल, केरल और जम्मू-कश्मीर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह बहुत निंदनीय है। ... (व्यवधान)
योगी आदित्यनाथ जी की इस तरीके की बयानबाजी... (व्यवधान) बंगाल, केरल और यू.पी. के सारे...
(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य की बात सदन में नोट नहीं होगी।

... (व्यवधान) *

* Not recorded.

16.01 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नंबर 141, कौशलेन्द्र कुमार ।

... (व्यवधान)

(Q. 141)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल के बाद ।

माननीय सदस्य

... (व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब विस्तार से आया है ।... (व्यवधान) इससे मैं संतुष्ट था, लेकिन उसमें कुछ रह गया है । माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, उन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-चार (2015-16) के आधार को लिया है । अब प्रश्न उठता है कि सरकार को पिछले छह वर्षों में भी सर्वेक्षण कराना चाहिए था, लेकिन वह नहीं कराया गया ।... (व्यवधान) जो थॉयराइड है, वह मोटापे की तरह एक जानलेवा बीमारी है । आज यह बीमारी बढ़ रही है । विशेषकर, उत्तर भारत में यह एक समस्या हो गई है ।... (व्यवधान)

अब उन्होंने महिलाओं की उम्र 15 से 49 वर्ष को ही लिया है । जब कि 50 वर्ष से अधिक की महिला और पुरुष भी थॉयराइड से ग्रसित हो रहे हैं ।... (व्यवधान) सर्वेक्षण-पाँच के आधार पर 94.3 प्रतिशत को आयोडीन मिल रहा है । माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि सरकार पुनः थॉयराइड के लिए विस्तृत सर्वेक्षण, खासकर उत्तर बिहार में कराए ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी सीट पर विराजें ।

... (व्यवधान)

16.04 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Hussain Masoodi, Prof. Sougata Ray and some other hon. Members left the House.

डॉ. भारती प्रवीण पवार: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है। आज थॉयराइड डिजीज को लेकर जो सर्वे आया है, वह सर्वे पाँच सालों में होता है। यह सर्वे एन.एफ.एच.एस-4 और एन.एफ.एच.एस -5 के माध्यम से उस कारण होता है कि क्या कमी है। यह सर्वे अलग-अलग ऐज ग्रुप के लिए किया जाता है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि जहां ये थॉयराइड डिसऑर्डर्स बढ़े हैं, इसके लिए नेशनल लेवल पर नेशनल आयोडीन डेफीशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत और स्टेट लेवल पर स्टेट आयोडीन डेफीशिएंसी कंट्रोल सेल के तहत अनेक प्रावधान किए गए हैं।... (व्यवधान) राज्यों को राशि भी दी गई है। एनएचएम के माध्यम से चाहे टेस्टिंग हो या ट्रीटमेंट हो, उसके लिए प्रावधान भी किया गया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आपको आवश्यकता नहीं है, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछिए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार :अभी डाटा आया है कि देश में करीब चार करोड़ मरीज हैं। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। गर्भवती महिलाओं में यह बीमारी करीब 43.6 प्रतिशत है। क्या सरकार थॉयराइड, कोविड, टीबी, पोलियो और कोरोना कार्यक्रम के तहत जागरूकता या रोकथाम के लिए कोई कार्यक्रम चलाने का प्रयास कर रही है? जब यूके और यूएस सरकार ने इसको विस्तार से लिया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में सरकार का क्या विचार है?

डॉ. भारती प्रवीण पवार: महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य महोदय को यह जरूर बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार बहुत ही जागरुकता से इस पर काम कर रही है। आयोडाइज्ड साल्ट की सप्लाई हर एक को मिले, इसके लिए जैसा मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम हो रहा है। लैब की मॉनीटरिंग के थ्रू भी साल्ट की जांच होती है, सर्वे भी होता है और हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रोग्राम भी होते हैं।

मैं माननीय महोदय को कहना चाहूंगी कि हमारी आशा बहनें भी एक साल्ट टेस्टिंग किट के माध्यम से, घर के नमक में कितना आयोडाइज्ड साल्ट है, इसके लिए वे मदद करती हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सर्वे करने का काम इसमें और बढ़ाया जाए।

HON. SPEAKER: Question No. 142, Shri G. Selvam – Not present.

Shri Dhanush M. Kumar.

(Q. 142)

SHRI DHANUSH M. KUMAR : I wish to ask the question in Tamil.

माननीय अध्यक्ष : आप नोटिस दे दें। क्या आपने नोटिस दिया है?

SHRI DHANUSH M. KUMAR : Yes, Sir, I have given notice.

HON. SPEAKER : You have to give notice half an hour before you wish to speak.

SHRI DHANUSH M. KUMAR : Okay, Sir. I will speak in English.

HON. SPEAKER : There is no problem. You can speak in regional language but you have to give notice half an hour before.

SHRI DHANUSH M. KUMAR : Sir, in Tamil Nadu, Agathiyar is considered as the guru of Siddha medicine. He lived in Pothigai Hills, which has a lot of medicinal plants which are being used in Siddha medicines. Though Pothigai has been a centre for Siddha medicine, there is neither a Siddha research centre, nor a medical college.

In this context, I would like to know from the hon. Minister whether the Government plans to open a new medical college for Siddha system of medicine and also a research centre in Tenkasi, Tamil Nadu, which is my Parliamentary constituency.

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सांसद सेल्वम जी और धनुष एम. कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आयुष के सिलसिले में ये लोग सवाल लेकर आए हैं। आयुष का विशेष रूप से एक अभिन्न अंग सिद्धा है। हमारे माननीय सांसद जी का यही सवाल है कि आने वाले दिनों में क्या उनकी कांस्टीच्युएन्सी में हॉस्पिटल प्रतिष्ठापित किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए यही कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार की तरफ से इस सिलसिले में प्रस्ताव भेजा जाएगा, तो मैं विषय की जरूर विवेचना करूंगा।

SHRI DHANUSH M. KUMAR : Sir, Siddha system of medicine is mainly practised in Tamil Nadu and southern parts of the country. It is popular among people in these States.

However, due to lack of support from the Government and lack of awareness, Siddha system of medicine could not be made popular among masses in the country. In this context, I would like to know from the hon. Minister the steps taken to popularise and promote Siddha system of medicine in all parts of the country.

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सरकार की तरफ से सिद्ध को प्रमोट करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, इस प्रश्न के जवाब में डिटेल् से उल्लेख किया गया है। मुझे लगता है कि अगर इस जवाब को ठीक से पढ़ा जाए तो उसमें आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Hon. Minister, AYUSH was a Department in the Ministry of Health. Once upon a time, I was in charge of this Ministry.

There are many Unani hospitals in my constituency on a large scale. I am habituated to the Unani treatment. The problem is that these hospitals are not getting enough funds. I would like to know whether the total allocation is being made through the Central Government. Has there been any special idea floated?

At that time, we had decided that Unani hospitals could be extended financial support directly from the Central Government. I would like to know whether such a decision has been made or all these hospitals are still under the control of the State Governments.

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सांसद महोदय के सवाल के जवाब में इतना ही बोलना चाहता हूँ कि नेशनल आयुष मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर कदम उठाते हैं। इसलिए अगर किसी प्रदेश में 10 बेड, 30 बेड और 50 बेड का हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करना हो तो राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव आना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका स्टेट एनुअल एक्शन प्लॉन प्रस्तुत किया जाता है और उसी प्लॉन को जब हमारे मंत्रालय में दाखिल करते हैं, तब हम लोग इस विषय पर निर्णय लेते हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 143, श्री रवि किशन ।

(Q. 143)

श्री रवि किशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय विदेश मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया। हालांकि मैं हिन्दी संस्करण की एक त्रुटि की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उत्तर में वर्णित पांचों मध्य एशियाई देशों के नाम में प्रथम नाम त्रुटिवश, कजाकिस्तान की जगह ताजिकिस्तान लिख दिया गया है।

इस सम्मेलन की मुख्य बात यही थी कि शिखर सम्मेलन तंत्र को संस्थानिक रूप देने के लिए आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में एक सचिवालय स्थापित किया जाएगा। क्या इसका कोई फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है? यदि हां, तो कब तक इसे स्थापित कर दिया जाएगा? इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रमुख विषय क्या होंगे?

SHRI V. MURALEEDHARAN: The first India-Central Asia Summit was held on 27th of January and it coincided with the 30th year of India's establishment of diplomatic relationship with the Central Asian countries. I would like to say that the historic outcome of the Summit -- as the hon. Member has just mentioned -- was the institutionalisation of the Summit mechanism which will be held once in two years. So, I would like to say that this reflects the common desire of the Leaders of India and the Central Asian countries. The institutional mechanism, including the establishment of the Secretariat, are being worked out.

श्री रवि किशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विषयों जैसे राजनीतिक मामले, सहयोग, व्यापार संवर्धन, पर्यावरण एवं रक्षा सहयोग के लिए मंत्री स्तरीय प्लेटफार्म तैयार करने की बात की गई थी। मेरा प्रश्न है कि इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी संस्थान जैसे चेंबर्स ऑफ कामर्स, औद्योगिक घराने और प्रबुद्ध व्यक्तियों के आपसी संपर्क-सहयोग के बारे में भी क्या कोई निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो

मंत्री जी ब्योरा देने का कष्ट करें। किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें चेक्स एंड बैलेंस क्या होंगे?

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, of course, for any such engagement, it will include our engagement in the field of business, the bilateral relations within that country and people to people ties. India and Central Asian countries enjoy a very long history of people to people ties.

So, all the aspects that have been mentioned become part of the ties and to improve those ties from time to time, necessary steps will be taken.

माननीय अध्यक्ष: श्री रविन्दर कुशवाहा – उपस्थित नहीं।

श्री गौरव गोगोई : माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान परिस्थिति में सेंट्रल एशिया भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। अफसोस की बात है कि 27 जनवरी को यह सम्मिट वर्चुअल हुआ। 26 जनवरी, रिपब्लिक डे पर इन देशों को न्यौता दिया गया था, लेकिन वे आए नहीं। क्या हमने उन देशों को बोला कि आप मत आइए, कोविड है या उन्होंने कहा कि हम कोविड के कारण नहीं आ सकते, उनके न आने का कारण पता नहीं है। आठ दिन बाद इन्हीं देश के नेताओं ने चीन में जाकर फिजीकल मीटिंग वहां की सरकार के साथ की। चीन के साथ 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जबकि वर्तमान में भारत के साथ दो बिलियन डॉलर ट्रेड है। तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने विशेष रूप से दरखास्त की और वर्ष 2015 में भारत सरकार ने तापी पाइपलाइन पर अपनी कमिटमेंट दी।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आज भारत सरकार तापी पाइपलाइन को लेकर कमिटेड है? अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी रिस्क है। तुर्कमेनिस्तान की दरखास्त है कि तापी पाइपलाइन पर भारत सक्रिय हो। इस पर केंद्र सरकार का क्या रवैया है?

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, as the hon. Member mentioned, the invitation to the Heads of States of these five countries were extended much earlier to attend the Republic Day Parade as well as the India-Central Asia Summit. But as we all know the COVID-19 situation prevented the physical visit of these Heads of States to India. So, it could not happen.

But at the same time, I am sure that all the Members will appreciate that the Summit happened in the virtual form and also, all the member participants in the virtual Summit brought out a declaration reiterating the commitment to take forward this engagement to establish an institutional mechanism to have a Summit once in two years. So, I must say for the benefit of all our Members that our relationship with any country does not depend upon their relationship with any other third country. So, India has engagement with many countries in the world with the consideration of mutual/bilateral benefit and also improvement of our relations.

PROF. SOUGATA RAY : Sir, this is a very important question and Mr. Jaishankar should have been present here. I saw in papers that he had gone to visit Australia. He is new to this system. You please advise him to be present while the Parliament session is on so that we can get proper reply.

माननीय अध्यक्ष: मुझे सूचना देकर गए हैं।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : आपको जरूर बताया होगा । इस समय गए हैं, दो दिन बाद चले जाते । ...
(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने अनुमति दी है ।

... (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरन रिजिजू): यह मंत्री को डीमीन करते हैं । एमओएस की भी रिस्पांसिबिलिटी है । ... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Is Rijju Ji a Minister of External Affairs? Why is he replying? ... (*Interruptions*)

श्री किरन रिजिजू: आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि मंत्री के बारे में दूसरे मंत्री भी स्टेटमेंट दे सकते हैं । How come you say that he should have been here? यह ठीक नहीं है । यह गलत बात है । ... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, he is answering. Are you allowing this? ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए ।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैं सवाल पर आता हूं । पांच रिपब्लिक को फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक बोला जाता है । ये सब सोवियत यूनियन में थे । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऑनरेबल मੈम्बर, प्लीज़ बैठ जाएं ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सबको डिस्टर्ब करते हैं ।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, यह बहुत सीरियस सवाल है । ... (व्यवधान) मैं अपने क्वेश्चन पर दो सेंटेंस में आ जाऊंगा । इसके साथ हिन्दुस्तान का बहुत गहरा ताल्लुक है । आप जानते होंगे कि सम्राट बाबर उज्बेकिस्तान से भारत आया था । उनका जन्म फरगाना नाम के छोटे शहर में हुआ था । लेकिन, अभी इन पांच देशों का... (व्यवधान) बाबर की मस्जिद आपने तोड़ दी, वह दूसरी बात है । मेरा सवाल बहुत सीधा है । आप जानते हैं कि तजाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है । अफगानिस्तान, आमू दरिया, उसके बाद तजाकिस्तान है । ये चारों तरफ अफगानिस्तान से घिरा हुआ है । यहां पर लिखा है कि there is a broad regional consensus on Afghanistan. Afghanistan, owing to the fault of the Americans, are in the hands of the Taliban. Since it is the gateway to India, it is threatening the security of the country. May I know from the hon. Minister what was the broad regional consensus on Afghanistan which is being ruled by extremists, the Taliban forces, which are hostile to India. The hon. Minister may please tell the House what was the broad regional consensus.

SHRI V. MURALEEDHARAN: Before I proceed to reply to this question, I would like to reply to the question raised by the hon. Member before him regarding the TAPI project. Of course, it was discussed and emphasised by the President of Turkmenistan during the Summit and discussions are going on at the level of the TAPI Consortium partners on the business principles of this TAPI project.

Regarding the Afghanistan aspect of the India – Central Asia Summit, I have to inform the hon. Member that the issue of Afghanistan was discussed during the Summit. The situation in Afghanistan is of natural concern for neighbouring countries like India and the Central Asian countries. I would say

that, in broad terms, we share the same concerns and similar objectives. The Delhi Declaration which was issued after the Summit reflects the broad consensus on Afghanistan including humanitarian assistance; ensuring formation of a truly representative and inclusive Government; combating terrorism and drug trafficking; and preserving the rights of women, children and minorities.

I would also like to submit that during the Summit, the leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations. They re-affirmed the importance of UN Security Council Resolution 2593 which demands that Afghan territory should not be used for sheltering training, planning or financing terrorism. They also agreed to continue close consultation on Afghanistan, including the establishment of a Joint Working Group on Afghanistan.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 144, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया ।

(Q. 144)

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर सुबह 4 बजे माइनस डिग्री टेंप्रेचर में भी यूथ सेना में भर्ती के लिए अपना पसीना बहाता है। अगर 50 डिग्री भी टेंप्रेचर होता है, तब भी वह इतना मेहनत करता है, जिसकी कोई हद नहीं।

मैं कहना चाहता हूं कि मैंने 12 नवम्बर, 2020 को माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र और राजस्थान में युवाओं के लिए सेना की खुली भर्ती का आयोजन किया जाए। इस पर माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया था और मुझे आश्वासन दिया था कि मैं जल्द से जल्द सेना की खुली भर्ती का आयोजन करवाता हूं। माननीय मंत्री जी का आदेश आते ही मेरे संसदीय क्षेत्र जिला टोंक, सीकर और जयपुर में 8 मार्च से लेकर 30 मार्च 2021 तक सेना की खुली भर्ती का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लिया था। उनमें से लगभग 17 हजार नौजवानों ने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट, दोनों परीक्षाएं पास कर ली हैं, लेकिन अभी तक उन युवाओं की लिखित परीक्षा नहीं हुई है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी लिखित परीक्षा कराई जाए, ताकि उनका कहीं न कहीं नम्बर आ जाए और वे सेना में भर्ती हो सकें। माननीय मंत्री जी कृपया जवाब देने का कष्ट करें।

श्री किरन रिजिजू : अध्यक्ष महोदय जी, भारतीय सेना की जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है, वह सबको मालूम है। देश भर में अलग-अलग जगहों पर उसके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं।...(व्यवधान) सर, आप इनको थोड़ा चुप कराइए। ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलते रहिए।

... (व्यवधान)

श्री किरन रिजीजू : अध्यक्ष महोदय, ये एक वरिष्ठ सांसद हैं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये पहले भी बोल रहे थे। अभी जब विदेश राज्य मंत्री जी बोल रहे थे, तब ये कह रहे थे कि कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं हैं।...(व्यवधान)

सौगत राय जी, आप भी एक जमाने में राज्य मंत्री रह चुके हैं। मैं भी राज्य मंत्री रह चुका हूँ। हम लोग तब भी कैबिनेट मिनिस्टर के बिहॉफ पर जवाब देते थे। अभी जब राज्य मंत्री जी जवाब दे रहे थे, तब आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वह ठीक नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की जगह पर...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Attending Parliament is the most important job of the Minister. ... (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: Nobody should demean the importance of Parliament. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है।

... (व्यवधान)

श्री किरन रिजीजू : अध्यक्ष महोदय, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। अभी मैं रक्षा मंत्री जी के बिहॉफ पर जवाब दे रहा हूँ। यह कैबिनेट की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। आप इस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? यह बात ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री किरन रिजजू : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से बड़ी संख्या में जो रिक्रूटमेंट रैलियां हुई थीं, उनमें अभ्यर्थियों ने पार्टीसिपेट किया है। श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी राजस्थान से माननीय सांसद हैं, उन्होंने सही कहा है कि राजस्थान से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने उन रैलियों में भाग लिया है। जब देश भर में 47 रैलियां कंडक्ट की गई थीं, उस समय जुलाई के महीने में गंभीर रूप से कोविड की सिचुएशन पैदा हो गई थी, तब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोक दिया गया था। यह प्रोसेस पर्मानेंट रुका हुआ नहीं है। अभी भी इस देश में कोविड के नए वैरिएंट का प्रकोप है, जिसकी वजह से कुछ विलंब हो रहा है। इसका कारण सभी को मालूम है।

महोदय, मैं इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेन्ट्स वगैरह सब कुछ हो चुका है। जो फाइनल रिटन टेस्ट होना है, जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा, उस टेस्ट को भी जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा।...(व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं दानिश अली जी और सौगत राय जी से एक बात कहना चाहता हूं कि सवाल मैंने पूछा है, जवाब मंत्री जी दे रहे हैं, मैं तो वह नहीं कह सकता हूं, लेकिन बीच में आपको क्यों परेशानी हो रही है? मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस हिसाब से भर्ती की बात कही है, अभी कोविड की वजह से वाकई में डिले हो रहा है, लेकिन कोविड के बावजूद भी और बहुत सी भर्तियां हो रही हैं। मेरा यह निवेदन है कि जल्द से जल्द उसका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाए, ताकि वहां के बच्चों को मौका मिल सके। टोंक और सवाई माधोपुर के बच्चों को भर्ती के लिए अलग से मौका दिया जाए।

श्री किरन रिजीजू : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आश्वासन दिया है। अभी मैंने सेना के अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल्स से बात करके यह जानकारी प्राप्त की है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि अभी जो रिक्रूटमेंट अधूरा बचा है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री अशोक महादेवराव नेते – उपस्थित नहीं।

श्री उदय प्रताप सिंह जी।

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सेना में जो भर्तियां होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश से तीन सालों में 7,000 बच्चे निकाले गए हैं। हरियाणा से 12,000 बच्चे, हिमाचल प्रदेश से 12,000 बच्चे, जम्मू-कश्मीर से 9,000 बच्चे और राजस्थान से 14,000 बच्चे लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश से बच्चे आर्मी में जाना नहीं चाहते हैं।

चूंकि जो सेना भर्ती के कार्यालय हैं, जो एआरओज़ ऑफिसेज़ हैं, उनकी संख्या मध्य प्रदेश में कम है। हरियाणा में इनकी संख्या 4, हिमाचल प्रदेश में 4, राजस्थान में 6 है, लेकिन मध्य प्रदेश इन सभी से बड़ा राज्य है, वहां पर केवल इनके 2 मुख्यालय हैं। एक आरओ मुख्यालय जबलपुर में है और दूसरा एआरओ मुख्यालय ग्वालियर में है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर पंचमढ़ी में आर्मी का हेडक्वार्टर है। रेल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, मेरे संसदीय क्षेत्र नर्मदापुरम - होशंगाबाद में पिपरिया और इटारसी से रेल की कनेक्टिविटी है, वहां पर बच्चे आसानी से जा सकते हैं। मेरा यह आग्रह भी है कि वहां पर आगामी समय में सेना की भर्ती के लिए कोई कैंप लगाया जाए और क्या आपका भी ऐसा कोई विचार है?

श्री किरन रिजीजू: अध्यक्ष महोदय, देश भर में इस समय आर्मी के जो रिक्रूटमेंट्स चल रहे हैं, वे कुल 11 जोन्स में बंटे हुए हैं। 48 रेजीमेंटल्स सेन्टर्स हैं, 2 गोरखा रेजीमेंट के आफिसर्स हैं और नई दिल्ली में रिक्रूटमेंट का एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। मध्य प्रदेश, जहां से माननीय सदस्य आते हैं, वहां पर जबलपुर में रिक्रूटमेंट ऑफिस का हेडक्वार्टर है। उसके अलावा ग्वालियर, मऊ और भोपाल को मिलाकर कुल चार आर्मी के रिक्रूटमेंट सेन्टर्स हैं। माननीय सदस्य ने सही कहा है कि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन इस समय जिस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है, उसके हिसाब से जहां-जहां पर रिक्रूटमेंट सेन्टर्स हैं और उसका जो कॉरिस्पोंडेंस एरिया है, वह ठीक है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने जिन जगहों को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने का अनुरोध किया है, उसके लिए हम मंत्रालय को बताएंगे कि उस पर क्या किया जा सकता है, लेकिन इस समय जो व्यवस्था है, वह सही है।

SHRI ARVIND SAWANT : Sir, thank you so much. If I look at the answer, it is found that you have not recruited since July, 2021. Now, the issue is that you have mentioned about the centres and you have pointed out that there are four centres in Maharashtra. These centres are in main Maharashtra – Pune, Mumbai, Nagpur and Aurangabad. These are all metropolitan cities.

If you see the recruitment percentage, it is 78.32 per cent in rural areas and 21.68 per cent in urban areas. In 2019-20, it was 77.20 per cent in rural areas and 22.80 per cent in urban areas. अब यह डिफरेंस क्यों आ रहा है, हमें उसके रीजन पर जाना पड़ेगा। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब के बच्चे इतनी दूर से नहीं आ सकते हैं। आपके चार सेन्टर्स हैं तो आप उन्हें कहिए कि उनके सबसेन्टर्स बना दिए जाएं। आप औरंगाबाद में करते हैं या नागपुर में करते हैं जैसे हम अभी संभाजीनगर गए थे और जैसे नागपुर में गढ़ चिरौली है तो आप सोचिए कि वहां के गरीब का लड़का कैसे आएगा? So, you should have some sub-centres. I think

you can have a scrutiny process in those sub-centres and those who are finally selected can be recruited ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

SHRI ARVIND SAWANT: Are you going to do that or not? When are you going to do the next recruitment?

श्री किरन रिजीजू: सर, जैसे महाराष्ट्र के बारे में कहा गया है। महाराष्ट्र और गोवा का जॉइंट सेन्टर कोल्हापुर में है तथा नागपुर, मुम्बई और पुणे में भी है। पुणे में हेडक्वार्टर है। मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूँ कि रिक्रूटमेंट सेन्टर का मतलब यह नहीं है कि वह वहीं के लोगों का रिक्रूटमेंट करता हो। वह तो जोन है, उस एरिया में रिक्रूटमेंट कहीं पर भी कर सकते हैं। आर्मी की एक पॉलिसी है कि जिस जगह से रिक्रूटमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन कम है, वहां पर लोगों को लाने के लिए भी प्रक्रिया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जहां पर रिक्रूटमेंट है, वहां के लोगों का ही रिक्रूटमेंट करते हैं। जैसे पुणे में सेन्टर है और पुणे में कई जिले हैं, जहां जाकर रिक्रूटमेंट प्रक्रिया करवा सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप निश्चित रहिए। महाराष्ट्र एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है और बहुत अच्छी संख्या में इंडियन आर्मी के लिए वहां से रिप्रेजेंटेशन है।... (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Thank you, Sir. I need a clarification from the Minister who is actually answering on behalf of the Defence Minister. The only thing I want to understand is that three figures have been given in the answer sheet. In the first part, जहां तीन साल के रिक्रूटिंग ईयर में टोटल इनटेक वर्ष 2018-19 में 53,431 लिखा हुआ है और वर्ष 2019-20 में 80,572 लिखा हुआ है।

In the second page, that is in the annexure to the reply, Sir, I need your indulgence, इसमें पिछले तीन साल का स्टेटवाइज इनटेक लिखा हुआ है। इसमें वर्ष 2018-19 में वेकेंट एलॉटेड 57,040 लिखा हुआ है और वर्ष 2019-20 में 87,152 लिखा हुआ है तो इन दोनों में अंतर है। इसके बाद नीचे टोटल जो लिखा हुआ है, वह 78,692 है। ये तीनों फीगर्स एक ही ईयर के अलग-अलग हैं। पोस्ट वेकेंट क्या है, रिक्रूटमेंट क्या हुआ है और जो टोटल रिक्रूटमेंट की पोजिशन है तो ये तीन फीगर्स क्या हैं? आप हमें इन तीनों फीगर्स को समझा दीजिए।

श्री किरन रिजीजू: अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जैसे वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, रिटायरमेंट होते हैं, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट करते हैं, फिर रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं। उसमें अगर माननीय सदस्य किसी पर्टिकुलर फीगर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पास उस फीगर की कैलकुलेशन करने का अभी समय नहीं है।...(व्यवधान) कोई भी मंत्री इतना जादूगर नहीं होता है कि फीगर को यहां कैलकुलेट कर सके, लेकिन मैं आश्वासन दूंगा।...(व्यवधान) माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सांसद हैं, बहुत सालों से हम लोग साथ हैं। उन्होंने एक क्वेरी की है, मैं आश्वासन दूंगा कि अगर कैलकुलेशन में कोई एरर है तो मैं बताऊंगा, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत ही सेंसिटिव तरीके से और केयरफुली काम करती है। अगर कोई एनॉमली है, उसे ठीक किया जाएगा, मगर इंटेंशन और प्रिंसिपल में कोई कमी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 145, श्री जामयांग शेरींग नामग्याल ।

(Q. 145)

श्री जामयांग शेरींग नामग्याल : सर, मैं सबसे पहले सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने लद्दाख का पिछले तीन साल का जो डेटा मांगा था, विशेष रूप से कैंसर से रिलेटेड, मिला है और बहुत अच्छे-अच्छे काम हुए हैं। पहले हमें वहां मेडिकल फेसिलिटीज में इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थीं, अब मैं उन सारी चीजों को दोहराता नहीं रहूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लद्दाख से बहुत सारे पेशेंट्स, खासकर कैंसर से रिलेटेड मरीजों को ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली आना पड़ता है या वे श्रीनगर जाते हैं या चण्डीगढ़ जाते हैं। बहुत सारी कॉस्टली मेडिसिन्स, चाहे वे कीमोथेरेपी से रिलेटेड हों या नारकोटिक पेन मेडिसिन हो या मॉर्फिन हो, ऐसे पेशेंट्स को खरीदनी पड़ती हैं और वे इसको एफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। बाकी राज्यों में एनजीओज ऐसे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन लद्दाख में अभी ऐसे एनजीओज भी नहीं हैं। दिल्ली में हमारा एक अशोका मिशन नाम का एनजीओ अच्छा काम करता है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब तक एनजीओज खड़े न हों, तब तक पैलिएटिव केयर फेसिलिटीज हों। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, आप इधर चर्चा कर रहे हैं, फिर उधर चर्चा कर रहे हैं।

श्री जामयांग शेरींग नामग्याल : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लद्दाख के पेशेंट्स को एसिस्ट करने के लिए पैलिएटिव केयर फेसिलिटीज, इनक्लूडिंग होम केयर सर्विस की आवश्यकता है।

दूसरा, मैं जानना चाहूंगा कि अगर लद्दाख से कैंसर के पेशेंट्स भेजते हैं तो उनको कहां भेजें? यह समझ में नहीं आ रहा है। वहां से उनको भेजते हैं तो कैंसर पेशेंट अपनी कन्विनिएंस के हिसाब से ढूंढकर जा रहे हैं। क्या हम तीन-चार पर्टीकुलर हॉस्पिटल्स को इसके लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, जिससे ऐसे गंभीर पेशेंट्स को वहां से भेजने के बाद यहां तुरंत एडमिशन मिल सके? हर स्टेट की

अपनी प्रायरिटी होती है, ऑब्बियसली होनी भी चाहिए, लेकिन उसमें हमारे पेशेंट्स को दिल्ली आकर छः-छः महीने तक इंतजार करना पड़ता है। यही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री मनसुख मांडविया: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि लद्दाख क्षेत्र में कैंसर के इलाज की फेसिलिटी हो और यह बात सही है कि कैंसर का इलाज थोड़ा महंगा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि उसका ट्रीटमेंट और मेडिसिन्स भी महंगी होती हैं। एक मरीज को कैसे सस्ती दवा मिले, इसके लिए भारत सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि देश में 8,500 से अधिक जन औषधि स्टोर्स हैं। जन औषधि स्टोर्स पर हर कैंसर की सस्ती से सस्ती दवा मिले, इसके लिए व्यवस्था की गई है। उसके अलावा, पहले कैंसर की मेडिसिन का प्राइस बहुत हाई होता था, उसको कम करने के लिए हमने ट्रेड मार्जिन फिक्स किया है। मैनुफैक्चरिंग और रिटेलर के बीच में कई बार जो फर्स्ट सेल होती है, वह 100 रुपये में होती है, लेकिन रिटेल में वही दवा 500 रुपये में मिलती है। इसलिए हमने उसके लिए ट्रेड मार्जिन फिक्स कर दिया है, जिससे मरीज को सस्ती दवा मिले।

माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि लद्दाख के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए तीन-चार हॉस्पिटल्स निश्चित कर दें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह जरूरी नहीं है कि कोई पेशेंट किसी निश्चित हॉस्पिटल में जाए, तभी उसे इलाज मिले। वह पेशेंट किसी राज्य के, जम्मू-कश्मीर के, लद्दाख के या दिल्ली के किसी टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूट में जाए, वहां उसको अच्छा इलाज मिले, ऐसा प्रबन्ध सरकार ने सारे देश में करके रखा है।

श्री जामयांग शेरींग नामग्याल : सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, पेन मैनेजमेंट और मैनेपावर ट्रेनिंग की लद्दाख में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कीमोथेरेपी के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट का प्रेसक्रिप्शन चाहिए होता है। लद्दाख में कीमोथेरेपी करते हैं, लेकिन लद्दाख में ऑन्कोलॉजिस्ट न होने के कारण कीमोथेरेपी के लिए बहुत डिस्टर्बेंसेज होते हैं।

हमारे पास ऑन्कोसर्जन्स भी नहीं है। मैं इसलिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और आपने अभी बहुत विस्तार से बताया है तथा लिखित में भी जवाब दिया है। सरकार ने पेशेंट्स की मदद करने के लिए और असिस्ट करने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी स्कीम्स बनाई हैं, लेकिन ये जानकारी जनमानस तक अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आपने बताया है कि कहीं भी जाकर इलाज करा सकते हैं, यह सही बात है। लेकिन प्रायरिटी ओपीडी में ऑलरेडी एक लिस्ट फिक्स्ड होती है। मैं रिपीटेडली बताऊंगा कि हमारे यहां के पेशेंट्स को यहां आने के बाद 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है। उसमें पूरा पैसा खर्च हो जाता है तो इन तकलीफों को हटाने के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए मंत्रालय के द्वारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश देकर, इसमें आगे आने वाले दिनों में क्या-क्या कदम उठाएंगे? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा।

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने स्टेट में भी कैंसर एक्सपर्ट्स रखें, उसके लिए नेशनल मिशन के अंतर्गत हम उनको आर्थिक सहयोग करते हैं और वे रख भी सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि कैंसर के मरीज दिल्ली आते हैं तो उनको 4-6 महीने लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, अब वह समय चला गया है। माननीय सदस्य, कोई भी ऐसा कैंसर पीड़ित मरीज हो, उसको तुरंत ट्रीटमेंट न मिले तो आप अवश्य मुझे बताएं, मैं व्यवस्था कराऊंगा।

श्री हसनैन मसूदी : जनाब, ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो डील दे दी हैं, जम्मू कश्मीर में जो इंसीडेंट्स हैं, वे बड़े अलार्मिंग हैं। वे वर्ष 2020 में 12,726 और उसके बाद जो मोर्टलिटी रेट है, वह भी 7,027 के करीब है। यही हाल लद्दाख का भी है और यह समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरी यह

गुजारिश होगी कि लद्दाख के पेशेंट्स भी निर्भर होते हैं, वे पेशेंट्स भी श्रीनगर का रुख करते हैं तो क्या आप श्रीनगर और जम्मू में कोई कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की तरजीह रखते हैं?

दूसरी बात यह है कि कैंसर में अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही अहम है। प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अभी भी वहां के अस्पतालों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पैट स्कैन की कोई फैसिलिटी नहीं है। आप डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए क्या अहकामात करेंगे, क्या प्रयास करेंगे?

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि दूर-सुदूर क्षेत्रों में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। कैंसर पेशेंट्स बढ़ने के कई रीजन्स हैं। उसमें टोबैको भी एक रीजन है और खान-पान, रहन-सहन के अलावा कई टाइप्स के रीजन्स हैं। लेकिन आपने एक बात सही कही है कि जब कैंसर प्राइमरी स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो बचने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने तय किया है कि देश में 1 लाख 50 हजार हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर शुरू किए जाएंगे। उनमें से 80 हजार से ज्यादा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर आज तक प्रारम्भ हो चुके हैं। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तीन टाइप - ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए प्राइमरी जांच की जाएगी। ये प्राइमरी जांच वहां से हो जाएंगी तो हम तुरंत ही उसको वहां से रेफर करके टर्सरी केयर हॉस्पिटल में दाखिल करवा सकेंगे। जब श्रीनगर का सवाल है तो वहां के लोगों को कैंसर का उपचार मिले, इसलिए श्रीनगर में एम्स बन रहा है। एम्स में ऑल टाइप्स के कैंसर का इलाज होगा।

SHRI BENNY BEHANAN : Sir, the number of cancer patients is increasing day by day. According to medical science, prevention and early detection of cancer can reduce the number drastically. Through prevention alone, we can reduce it by 30 per cent according to the medical science.

Sir, preventive cancer awareness steps should be taken at a very, very early stage. It would be best if cancer awareness is made as a part of syllabus in schools so that children are correctly educated on it.

Similarly, early detection of cancer is also necessary. This procedure is done by the hospitals. So, can we introduce mobile screening units for early detection of cancer everywhere so that we can spread this service to more and more areas?

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि कैंसर के मरीज न बढ़ें, किसी को कैंसर न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, यह उनका पहला क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट तो यही है कि कैंसर न हो। कैंसर न होने के लिए, जैसा मैंने बताया कि कई टाइप की हमारी जीवनशैली भी बदली है। आज हम कैमिकल फर्टिलाइजर, कैमिकल इंसेक्टिसाइड-पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, यह भी एक रीजन है। हमारे जीवनशैली में टोबैको के अलावा नंबर ऑफ टाइप के रीजन्स हैं, जिनकी वजह से कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं।

कैंसर के मरीज बढ़ने से रोकना is one thing and second thing is that अगर किसी को कैंसर हो और अगर अर्ली डीटेक्शन हो जाए, अर्ली इलाज हो जाए तो हम रोगी को बचा सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया है कि हम इस दृष्टि से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा है कि आप उनकी मेमोग्राफी किस तरह से कर पाएंगे, क्या मोबाइल से स्क्रीनिंग करके कर पाएंगे? कई अस्पतालों में यह सुविधा क्रीएट हुई है, कई एनजीओ ने यह सुविधा क्रीएट की है, कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कई सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी यह सुविधा क्रीएट हुई है। जिसमें मोबाइल वैन और मेमोग्राफी स्क्रीनिंग मशीन लगी होती है। वे गांव में

जाते हैं, वहां कैम्प लगाते हैं और वहां ही डायग्नॉसिस हो जाए, तो ही वे ट्रीटमेंट के लिए लाए जाते हैं।... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, the number is not realistic because in my constituency alone it will be more than 50,000. Now, you have stated that there are a total number of 57,155 cases of cancer reported in the State of Kerala in the year 2022. Is it realistic? In my constituency alone, it there is more than 50,000. How is this statistical data arrived at?

माननीय अध्यक्ष : मैंने उनको एलाउ नहीं किया है, तो आप भी जवाब नहीं दें। आप ने उनकी बात सुन ली है।

... (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया : सर, तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एन. के प्रेमचन्द्रन जी, आप मुझसे इजाजत मांगते।

... (व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Thank you very much, Sir. In the reply, I see that there is a scheme where the Government is providing financial assistance using Rashtriya Arogya Nidhi where upto Rs. 15 lakh is being provided. There is also the Health Minister's discretionary grant of Rs. 1.5 lakh which is being provided for the poor. I am not sure as to how many Members are aware of this. It is because we usually write only to the Prime Minister's National Relief fund. Can the Members apply for this?

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे।

श्री मनसुख मांडविया :माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या मंत्री जी को मरीजों की मदद करने की पावर है? कोई बीपीएल लाभार्थी मरीज हो, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो, ऐसी स्थिति में मंत्री जी को पावर दिया गया है कि वह सरकारी अस्पताल में उसके इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक का सहयोग कर सकता है। मैंने अभी यह उपयोग नहीं किया है। यह ऐसे ही हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सांसदों को यह पहली बार पता चला है। अभी तक हमें प्रधानमंत्री सहायता कोष के बारे में ही पता था।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बार-बार बिना इजाजत के खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 146, श्री एस.आर.पार्थिवन - उपस्थित नहीं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश।

(Q.146)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Hon. Speaker, Sir, the farmers are facing problem of shortage of fertilizer all over the country. They are not getting the fertilizer in time. The increased prices of fertilizers are also not affordable for the farmers.

I would like to ask the hon. Minister whether the Government or the Ministry of Chemicals and Fertilizers is taking any immediate step to make the fertilizers available at a reasonable price to the farmers.

श्री मनसुख मांडविया :माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। माननीय सदस्य दूसरी बात यह जानना चाहते हैं कि किसानों को सस्ते दर पर फर्टिलाइजर मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि देश में तीन सौ से सवा तीन सौ लाख मीट्रिक टन यूरिया की रेक्वायरमेंट होती है।

देश में 240 से 295 लाख मीट्रिक टन यूरिया इंडिजिनसली मैन्यूफैक्चर होता है और 60 से 70 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। जहाँ तक इसे सस्ते दर में उपलब्ध कराने की बात है, तो मैं बताना चाहूंगा कि उनके समय में जो प्राइस तय किए गए थे, यूरिया की वही प्राइस है। साढ़े सात साल में हमने एक रुपया भी दाम नहीं बढ़ाया है, लेकिन इंटरनैशनल मार्केट में यूरिया की प्राइस 900 डॉलर हो गई यानी 2,750 रुपए। इंटरनैशनल मार्केट में यूरिया की प्राइस 2,750 रुपए प्रति बैग हो जाने के बावजूद हमने यूरिया का प्राइस नहीं बढ़ाया और 2,500 रुपए प्रति बैग सब्सिडी दी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :मैं आपको भी इजाजत दे दूंगा।

श्री मनसुख मांडविया: मैंने डॉलर में प्राइस बताया।

माननीय अध्यक्ष : आपने अपने उत्तर में यह दे रखा है।

श्री मनसुख मांडविया: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति बैग 2,500 रुपए सब्सिडी उपलब्ध कराकर भी सरकार ने देश में यूरिया उपलब्ध कराई है। इसकी कोई कमी नहीं है।

देश में सौ से सवा सौ लाख मीट्रिक टन डीएपी और इतनी ही मात्रा में एनपीके की रिक्वायरमेंट होती है। इस बार इंटरनैशनल मार्केट में डीएपी की प्राइस बहुत बढ़ गई है। दूसरी बात, कोविड क्राइसिस की वजह से शिपिंग की भी दिक्कत थी। ऐसी स्थिति में दुनिया के देशों से डीएपी ख़ाद लाकर उपलब्ध कराया। मार्केट में यह 1250 रुपए प्रति बैग बिकता था, हमने उसकी प्राइस नहीं बढ़ने दी। 1,650 रुपए प्रति बैग सब्सिडी देकर हमने किसानों की मदद की है। यह मोदी सरकार है और किसानों के प्रति हमारा कमिटमेंट है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, सांसदों की राय है कि आप अपने डिस्ट्रिक्शनरी फण्ड का भी उपयोग किया करें।

श्री रितेश पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहता हूँ।

हमारे ग्रामीण इलाके में एक शिकायत बहुत ज्यादा है कि डीएपी और एनपीके के बैग्स पहले 50 किलो के होते थे, अब उनको घटाकर 45 किलो का कर दिया गया है और प्राइस पुरानी ही है। यह जो कटौती हुई है, उससे प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा है और ये पुराने वाले प्राइस पर ही बिक रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मात्रा के हिसाब से उनके प्राइस तय किए जाएंगे ताकि किसानों को फायदा हो सके।... (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया: आपने प्रश्न पूछ लिया या अभी आपको पूछना है?

माननीय अध्यक्ष : मैंने इनको प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं दी है।

श्री मनसुख मांडविया: माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएपी का बैग 50 किलो का ही है, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। यूरिया के बैग की मात्रा में पाँच किलो की कमी की गई है, लेकिन उसके मुताबिक हमने प्राइस भी कम किया है। प्रति किलो पहले जो प्राइस था, हमने वही प्राइस रखा है, इसलिए किसानों पर इससे कोई बर्डेन नहीं पड़ा है।

HON. SPEAKER: Question No. 147, Shri Vijaykumar *Alias* Vijay Vasanth – Not Present.

Shri B. Manickam Tagore.

(Q.147)

SHRI B. MANICKAM TAGORE : Thank you so much, Sir.

Sir, in his reply, the hon. Minister has said that India's total development portfolio in Sri Lanka is nearly 4 billion US Dollars, out of which the grant component is 7 million US Dollars. It is a welcome thing. I would like to ask the hon. Minister whether the Government has taken note of the China's closeness in Sri Lankan Affairs. Also, what steps have been taken by the Government for implementation of the Indo-Sri Lankan Agreement, particularly with regard to the 13th Amendment which gives powers to the Northern and the Eastern provinces?

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, during the last seven years of the Government of Shri Narendra Modi, our foreign policy has received more attention and focus. It has also reflected in the ties with our neighbours. The Government has adopted the policy of Neighbourhood-First. Through that policy, we have been trying to develop our bilateral engagements with all our neighbours including Sri Lanka. Through you, I would like to inform the hon. Member that the Government has noted the participation of the Chinese companies in some port-related development projects in Sri Lanka. But through you, I would also like to tell the hon. Member that India's relationship with other countries stand on their own footing and are independent of the relations of those countries with third countries.

However, I would like to assure the House that the Government carefully monitors any development having a bearing on India's security and economic interests, and takes all necessary measures to safeguard them.

HON. SPEAKER: Question No. 148, Dr. Shashi Tharoor.

(Q. 148)

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I have been looking very carefully at the response of the hon. Minister. I think it is not entirely accurate to say that we cannot predict accidents; we cannot identify danger areas because in Kerala, we have on the coast the Vizhinjam Port in my constituency, the Kochi Port, the BPCL refinery, and of course, the new Mangalore Port which is just north of us, which also impact us. I have spoken with the Minister about how oil spills like that of February, 2021 can impact the fisherfolk who are already in a desperate position and they are people below the poverty line, and, of course, the tourist industry suffers terribly when beaches are closed because of oil spills. I would, therefore, request the Minister to take proactive steps in co-operation with the State Government to identify suitable areas, and prevent this from happening in future.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker, Sir, our learned friend Dr. Shashi Tharoor ji has highlighted a very sensitive issue. But in my statement, as you have asked me to mention the spot of the marine oil spills, you might have noticed that there is a mention that it is confined to the shore line. I believe you have studied the matter in detail. You are a learned friend. So, I believe, as you have expected proactive steps from me in the near future, as you know, the National Oil Spill Disaster Contingency Plan provides for consultation with all the stakeholders, the coastal States and the Ports Authority, whether it is major Ports Authority or non-major Ports Authority, the coastal guards and other agencies like

the petroleum handling agencies. So, we have to work with integration and integrated efforts need to be put so that pollution does not occur.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, the Government introduced a Maritime Merchant Shipping (Amendment) Bill in 2015 and then they withdrew it saying they would produce a totally new Bill in response to comments by the Standing Committee, which was a good idea. Unfortunately, they have not introduced the Bill for the seven years since they withdrew the previous Bill. As a result, our oceans, our economy, marine life and fisherfolk are all in danger from the lack of up-to-date legislation to protect their interests.

I would like to ask the Minister whether he has any proposal to introduce a new Bill to cover and to replace the out-of-date Merchant Shipping Act, and whether this will take into account at least four international conventions that India has not yet ratified. They are, the International Convention on Oil Pollution Preparedness, the Protocol to Amend the International Fund on Oil Pollution Damage, the International Convention relating to Intervention on the High Seas for Oil Pollution Casualties and the Convention on the Prevention of Marine Pollution by dumping of wastes. Now these are four international conventions that India has been considering, and in some cases, it is throughout the tenure of this Government.

I would be grateful to know whether the Government is planning to take any proactive action to save our country from pollution, to sign these conventions and to introduce a new law in this Parliament. Thank you, Mr. Speaker.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker, Sir, as you know, the Merchant Shipping Act, 1958 and a new Bill have also been taken up to make the country pollution free. ... (*Interruptions*) Let me finish. So, as you have asked if the Government is willing to bring any initiative or any kind of a new legislation in the near future, in this regard, let me say that whatever existing laws we have are sufficient enough because it is a question of commitment and sincerity. That sincerity and commitment is very much there within our existing framework to make the people free from this danger and also in the coastal region, our fishermen do not suffer in the near future. So, whatever adequate measures need to be taken, the Government is always there to take this kind of initiative.

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos.149 to 160
Unstarred Question Nos.1611 to 1840)
(Page No.64 to 782)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त ।

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

17.00 hrs**OBSERVATION BY THE SPEAKER****Conduct of Business during first part of Budget Session**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बजट सत्र के प्रथम चरण में आप सभी माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही और सकारात्मक सहयोग मिला। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बावजूद भी माननीय सदस्यों ने सदन में देर रात तक बैठते हुए अपने संवैधानिक दायित्वों को प्रतिबद्धता के साथ निभाया, जिससे हम 121 प्रतिशत उच्च कार्य उत्पादकता प्राप्त कर सके। सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के समय के स्थान पर 15 घंटे 13 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 60 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। 60 अन्य माननीय सदस्यों ने अपने भाषण को सभा-पटल पर रखा।

इसी प्रकार आम बजट पर सामान्य चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के स्थान पर कुल 15 घंटे 33 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 81 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। 63 माननीय सदस्यों ने अपने भाषण सभा-पटल पर रखे। इस दौरान सभी माननीय सदस्यों ने सदन को संचालित करने में सकारात्मक सहयोग दिया। सभी विषयों पर व्यापक चर्चा और संवाद हुआ। यह परम्परा हमारे लोकतंत्र को सशक्त करती है। ऐसे समृद्ध संवाद से हमारी संसदीय प्रणाली और मजबूत होती है। देश के नागरिकों का भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसा और विश्वास बढ़ता है। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को साधुवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपका सकारात्मक सहयोग भविष्य में इसी तरह से मिलता रहेगा।

माननीय सदस्यगण, मैं कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। आज कई माननीय सदस्यों का शून्य काल के लिए आग्रह था। उसके बाद आधे घंटे की चर्चा प्रधान मंत्री आवास पर भी थी और संकल्प भी है। मैं तीनों विषयों को लूंगा। मेरा आग्रह है कि आज सदन 9 बजे तक चलेगा। जो समय निर्धारित है, तो उस समय को हम पूरा करें, ऐसी मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है। पहले मैं शून्य काल लूंगा, उसके बाद प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), उसके बाद संकल्प फिर उसके बाद शून्य काल। मैं नियम-377 भी लूंगा। मैं सदन से इजाजत चाहता हूं। क्या सदन की इसमें सहमति है?

अनेक माननीय सदस्यगण: हां, हमारी पूरी सहमति है।

17.03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री वी. मुरलीधरन जी, आइटम नंबर 2 से 17.

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. MURALEEDHARAN):** Sir, on behalf of Shri Sarbananda Sonowal, I beg

to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2020-2021.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6457/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

(SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Dr. Jitendra Singh, I beg to lay on the Table a copy of the Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Earth Sciences for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 6458/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

(SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Faggansingh Kulaste, I beg to lay on the Table a copy of the Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 6459/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

(SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Ashwini Kumar Choubey, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 6460/17/22]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2020-2021.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 6461/17/22]

(4) A copy of the Notification No. S.O.38(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 5th January, 2022 constituting the Puducherry Coastal Zone Management Authority for a period of three years with effect from the date of publication of this Order in official Gazette issued under Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 6462/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

(SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Arjun Ram Meghwal, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of The Asiatic Society of Mumbai, Mumbai, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of The Asiatic Society of Mumbai, Mumbai, for the year 2019-2020.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6463/17/22]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi, for the year 2019-2020.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6464/17/22]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2019-2020.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 6465/17/22]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Culture Fund, New Delhi,, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Culture Fund, New Delhi,, for the year 2019-2020.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 6466/17/22]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Asiatic Society, Kolkata, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Asiatic Society, Kolkata, for the year 2020-2021.
- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 6467/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. MURALEEDHARAN):** Sir, on behalf of Shri Pankaj Chaudhary, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-
- (i) The Sea Cargo Manifest and Transhipment (Ninth Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. G.S.R.930(E) in Gazette of India dated 31st December, 2021.

- (ii) G.S.R.76(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to further amend notification No. 50/2017-Customs dated 30th June, 2017 so as to prescribe effective rate of Basic Customs Duty (BCD).
- (iii) G.S.R.77(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to further amend notification No. 11/2018-Customs dated 2nd February, 2018 so as to exempt certain goods from Social Welfare Surcharge (SWS) and to withdraw SWS exemption on certain textile items.
- (iv) G.S.R.78(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to rescind notification Nos. 190/1978-Customs and 191/1978-Customs both dated 22th September, 1978 prescribing additional duty of customs on imports of transformer oil equivalent to such portion of the excise duty leviable on the raw material commonly known as transformer oil base stock or transformer oil feedstock.
- (v) G.S.R.79(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to rescind Notification Nos. 10/95-Customs, 26/99-Customs, 27/2004-Customs, 14/2006-Customs, 48/2006-Customs, 90/2007-Customs, 8/2011-Customs, 24/2011-Customs, 49/2013-Customs, 23/2014-Customs, 37/2015-Customs,

11/2016-Customs, 20/2020-Customs, 40/2020-Customs which have become redundant.

(vi) G.S.R.80(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to further amend Notification Nos. 52/2017-Customs dated 30.06.2017 and 37/2017-Customs dated 30.06.2017 to remove entries which are being operated from the First Schedule to the Customs Tariff Act and certain redundant entries.

(vii) G.S.R.81(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to further amend Notification No. 82/2017-Customs dated 27.10.2017 to prescribe effective rate on certain Textile items upto 30.04.2022.

(viii) G.S.R.82(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to amend Notification Nos. 104/2010-Customs, 38/96-Customs, 40/2017-Customs, 60/2011-Customs, 148/94-Customs to exempt AIDC/Health cess/RIC on goods imported under the said notifications.

(ix) G.S.R.83(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification Nos. 146/94-Customs, 147/94-Customs, 39/96-Customs, 50/96-Customs, 30/2004-Customs, 81/2005-Customs, 5/2017-Customs, 16/2017-Customs,

32/2017-Customs to prescribe end-dates as per Section 25(4A) of Customs Act, 1962.

(x) G.S.R.84(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 27/2011-Customs dated 01.03.2011 to omit redundant entries and reduce export duty raw hides and skins of buffalo.

(xi) G.S.R.85(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to implement a graded BCD structure for wearable devices and its parts, sub-parts and sub-assembly.

(xii) G.S.R.86(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to implement a graded BCD structure for hearable devices and its parts, sub-parts and sub-assembly.

(xiii) G.S.R.87(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to implement a graded BCD structure for smart meters and its parts, sub-parts and sub-assembly.

(xiv) G.S.R.88(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 25/1999-Customs dated 28.02.1999 to omit redundant and obsolete entries.

(xv) G.S.R.89(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to amend various notifications giving exemption to electronic items and medical devices.

[Placed in Library, See No. LT 6468/17/22]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R.90(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022 together with an explanatory memorandum seeking to further amend Notification No. 11/2017-Central Excise, dated 30th June, 2017, to increase Basic Excise Duty on Unblended Petrol and Diesel, in order to promote Blending in the country.

(ii) G.S.R.91(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022 together with an explanatory memorandum seeking to supersede notification No. 49/2008-Central Excise (N.T.) dated 24.12.2008, in order to align it with the current legal position, post roll-out of GST.

[Placed in Library, See No. LT 6469/17/22]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

(i) G.S.R.92(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to rescind the countervailing duty imposed on imports of "Certain Hot Rolled and Cold

Rolled Stainless Steel Flat Products” originating in or exported from China PR vide Notification No. 1/2017-Cus (CVD) dated 07.09.2017.

(ii) G.S.R.43(E) published in Gazette of India dated 24th January, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to impose Anti-dumping Duty on 'Axles for Trailers' originating in or exported from the People's Republic of China, based on the recommendations of the Directorate General of Trade Remedies (DGTR) regarding the sun-set review of the anti-dumping duty imposed on “Axles for Trailers” originating in or exported from the People's Republic of China vide Notification No. 54/2016-Cus (ADD) dated 29th November, 2016 for further period of 5 years.

(iii) G.S.R.93(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to rescind the anti-dumping duty imposed on imports of “Straight Length Bars and Rods of alloy-steel” originating in or exported from China PR vide Notification No. 54/2018-Cus (ADD) dated 18.10.2018.

(iv) G.S.R.94(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to rescind the anti-dumping duty imposed on imports of “High Speed Steel of Non-Cobalt Grade” originating in or exported from Brazil, China PR and Germany vide Notification No. 38/2019-Cus (ADD) dated 25.09.2019.

(v) G.S.R.95(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to rescind the anti-dumping duty imposed on imports of “Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminum or Zinc” originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP vide Notification No. 16/2020-Cus (ADD) dated 23.06.2020.

(vi) G.S.R.96(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2022, together with an explanatory memorandum seeking to further amend Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 so as to simplify and automate the procedures.

[Placed in Library, See No. LT 6470/17/22]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

(i) The Income-tax (33rd Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.851(E) in Gazette of India dated 10th December, 2021, together with an explanatory memorandum.

(ii) The Income-tax (34th Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.883(E) in Gazette of India dated 27th December, 2021, together with an explanatory memorandum.

(iii) The Income-tax (35th Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.903(E) in Gazette of India dated 29th December, 2021, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 6471/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

(SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shrimati Anupriya Singh Patel, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the ECGC Limited (Export Credit Guarantee Corporation of India Limited), Mumbai, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the ECGC Limited (Export Credit Guarantee Corporation of India Limited), Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6472/17/22]

- (3) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Export Insurance Account Trust, Mumbai, for the years 2006-2007 to 2019-2020, together with Audit Report thereon.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the National Export Insurance Account Trust, Mumbai, for the years 2006-2007 to 2019-2020.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6473/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. MURALEEDHARAN):** Sir, on behalf of Sushri Shobha Karandlaje, I beg

to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 4(d) of the Destructive Insects and Pests Act, 1914:-

- (1) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Eighth Amendment) Order, 2021 published in Notification No. S.O.5103(E) in Gazette of India dated 9th December, 2021.
- (2) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Tenth Amendment) Order, 2021 published in Notification No. S.O.5134(E) in Gazette of India dated 10th December, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 6474/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

(SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Bhanu Pratap Singh Verma, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 9 of the Micro Small Medium Enterprises Development Act, 2006:-

(1) The Micro, Small and Medium Enterprises (Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.29(E) in Gazette of India dated 19th January, 2022.

(2) The Micro, Small and Medium Enterprises Fund Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.1032(E) in Gazette of India dated 2nd November, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 6475/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

(SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shrimati Darshana Vikram Jardosh, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Textiles for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 6476/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

(SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Rameswar Teli, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948:-

(i) Notification No. F. No. N-12/13/1/2019-P&D published in Gazette of India dated 16th November, 2021 amending Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojna.

(ii) Notification No. F. No. N-12/13/1/2019-P&D published in Gazette of India dated 27th January, 2022 amending Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojna.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6477/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

(SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Ajay Bhatt, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6478/17/22]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Utkal Ashok Hotel Corporation Limited, Puri, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Utkal Ashok Hotel Corporation Limited, Puri, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6479/17/22]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Kumarakruppa Frontier Hotel Private Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Kumarakruppa Frontier Hotel Private Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6480/17/22]

(d) (i) Review by the Government of the working of the Pondicherry Ashok Hotel Corporation Limited, Puducherry, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Pondicherry Ashok Hotel Corporation Limited, Puducherry, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6481/17/22]

(e) (i) Review by the Government of the working of the Ranchi Ashok Bihar Hotel Corporation Limited, Patna, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Ranchi Ashok Bihar Hotel Corporation Limited, Patna, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6482/17/22]

(f) (i) Review by the Government of the working of the Punjab Ashok Hotel Company Limited, Chandigarh, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Punjab Ashok Hotel Company Limited, Chandigarh, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Six statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6483/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

(SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Bhagwanth Khuba, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Kolkata, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6484/17/22]

(3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Ahmedabad, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6485/17/22]

(5) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Guwahati, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 6486/17/22]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of the Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-

- (i) The Drugs (Prices Control) Amendment Order, 2021 published in Notification No. S.O.508(E) in Gazette of India dated 3rd February, 2021.
- (ii) The Drugs (Prices Control) Third Amendment Order, 2021 published in Notification No. S.O.3249(E) in Gazette of India dated 12th August, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 6487/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

(SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Dr. Subhas Sarkar, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the EdCIL (India) Limited and the Ministry of Education for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 6488/17/22]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the EdCIL (India) Limited, Noida, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the EdCIL (India) Limited, Noida, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 6489/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

(SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Dr. Bharati Pravin Pawar, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, for the year 2019-2020.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6490/17/22]

(3) A copy of the Indian Nursing Council (Orthopaedic and Rehabilitation Specialty Nursing Residency Program) Regulations, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 11-1/2019-INC in Gazette of India dated 18th August, 2021 under sub-section (3) of Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947.

[Placed in Library, See No. LT 6491/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. MURALEEDHARAN):** Sir, on behalf of Dr. Munjapara Mahendrabhai, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Institute of Folk Medicine, Pasighat, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Institute of Folk Medicine, Pasighat, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6492/17/22]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2020-2021.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6493/17/22]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, for the year 2020-2021.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 6494/17/22]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2020-2021.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 6495/17/22]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2020-2021.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 6496/17/22]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi, for the year 2020-2021.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 6497/17/22]

(13) A copy of the National Commission for Protection of Child Rights (Amendment) Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.613(E) in Gazette of India dated 3rd September, 2021 under sub-section (2) of Section 35 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 6498/17/22]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं - श्री टी.एन. प्रथापन, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री के. सुरेश, श्री मणिकम टैगोर, एडवोकेट अब्दुल मजीद आरिफ, श्री वी. के. श्रीकंदन, श्री बैन्नी बेहनन और श्री हिबी ईडन । मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है ।

... (व्यवधान)

17.05 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखने की अनुमति देता हूँ। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे नियम 377 के मामले सभा पटल पर रखें।

... (*Interruptions*)

(i) Need to set up a solar plant in Gorakhpur, Uttar Pradesh

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र Gorakhpur में आज भी हजारों एकड़ बंजर भूमि है। हम सभी जानते हैं कि बंजर भूमि का देशहित में प्रायः कोई उपयोग नहीं होता है। खाली पड़ी इस जमीन पर यदि हमारी सरकार द्वारा सोलर प्लांट लगा दिया जाय या सरकार किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को सोलर प्लांट लगाने के लिए अधिकृत कर दे तो इस जमीन का ग्रीन एनर्जी के लिए बेहतरीन सदुपयोग हो सकता है तथा इसका लाभ पूर्वांचल के अन्य जिलों को भी मिलेगा इससे एक बड़े क्षेत्र को बिजली आपूर्ति की जा सकती है।

इसके साथ ही इस सोलर प्लांट के लगने से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा। जिससे इस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो जाएगी।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि गोरखपुर में एक केंद्रीय सहायता से सोलर बिजली उत्पादन का केंद्र स्थापित किया जाय जिससे बिजली उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।

* Treated as laid on the Table.

(ii) Regarding increase in budgetary allocation for MGNREGA Scheme

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): The MGNREGA scheme serves as a safety net for many in rural India, especially during times prevailing at present when unemployment has crossed unprecedented levels. Yet budgetary allocations for the scheme in FY 23 have been cut by over 25% from the revised estimates of FY 22. Economic Survey 2021-22 shows that the aggregate demand for MGNREGA remained above pre-pandemic levels of 2019 throughout the pandemic years of 2020 and 2021. In December 2021, demand rose as high as 24.9 million households. Rural unemployment for the same month was 7.28%, according to CMIE data. In January 2022, while 21.2 million demanded work, only 13.9 million households worked. The spike in demand is a sign of grave rural distress. Since MGNREGA is a demand-driven scheme, allocations to the same should be increased to meet high demand and to address the issue of unemployment. Continued lack of funds will also suppress demand for work and cause pending payments to accumulate. The reduced allocations for the scheme will not bode well for the economy that is on a K-shaped recovery.

**(iii) Regarding release of salaries and pensions to staff of Kazhakootam
Sainik School, Kerala**

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the attention of the Honourable Defence Minister towards the urgent need to make payment of salaries and pensions to the staff of Kazhakootam Sainik School—the only military school in Kerala in Thiruvananthapuram—to prevent its closure.

The staff members are aggrieved as they received merely 70% of their prescribed salaries for December last year and no salaries were given for January this year, as no amount was disbursed by the Department of Defence of the Central Government, which is responsible for providing their remuneration and benefits. Having waited till the last day of January, they went on a strike. Further, while the state government has agreed, the MoU between the Central Government and the state government regarding the school's operations remains pending.

Serving as a distinguished residential educational institution since 1962, the School nurtures talented and bright students hailing from both urban and rural areas. Given the compelling significance of the school, I urge the Minister to expedite the payment of salaries and pension to the staff, and finalise the MoU with the state government at the earliest to facilitate the smooth functioning of the

school and to ensure that access to education in these difficult times is not restricted.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Speaker, Sir, I have given notice for an Adjournment Motion regarding the statement of hon. Chief Minister of Uttar Pradesh,... * ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह विषय आपने पहले ले लिया है।

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, the statement made by the ... ** is anti-constitutional and with an ulterior intention to have a religious divide in the country. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : नो-नो, आप इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं।

... (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, my notice for an Adjournment Motion is also there, which is most important.

माननीय अध्यक्ष : आपका क्या विषय है?

... (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, the Chief Minister of UP, ... *... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

Shri Shyam Singh Yadav.

... (*Interruptions*)

* Not recorded.

** Expunged as ordered by the Chair

माननीय अध्यक्ष : अब शून्यकाल होगा ।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदय, कड़कड़ाती ठंड में, बिलो जीरो टेम्परेचर पर, कठिन मौसम और विषम परिस्थितियों में हमारी हिफाजत के लिए मुल्क की सरहद पर तैनात जवानों को मेरा बहुत-बहुत शुक्रिया व मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

हमारे देश में महाभारत, भगवान श्री कृष्ण, द्वारका, यदुकुल और इन सबका सूत्रधार, इन सबकी धुरी अहीर जाति हिन्दुस्तान की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है । वैसे तो सभी जातियों में वीर व बहादुर भरे पड़े हैं, लेकिन अहीर किसी से कम नहीं हैं ।

हिन्दुस्तान का अहीर बलिष्ठ, वीर, बहादुर है, जिसका सीना 56 इंच से भी ज्यादा होता है, वह साहस और वीरता में आगे है और सबसे बड़ी बात कि वह बहुत निडर होता है । अगर वीर यादव ने अपनी भृकुटि टेढ़ी की, आँखें तरेर दी तो दुश्मन भी भाग खड़ा होता है ।

इतनी बहादुर जाति की सेना में इतनी बड़ी तादाद होते हुए भी इनके नाम से कोई रेजिमेंट नहीं है, जबकि सेना में महार रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट आदि तमाम जातियों के नाम से रेजिमेंट के नाम रखे गए हैं ।

अहीर रेजिमेंट न बनने का कारण यह है कि अहीरों ने, अहीर वीरों ने अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों का बहुत विरोध किया और स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत जोर-शोर से लड़ी ।

महोदय, इतिहास गवाह है कि यादवों ने कभी किसी स्वार्थ के लिए कोई समझौता नहीं किया और इसी से चिढ़कर अंग्रेजों ने अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई । चाहे वर्ष 1962 की रेजांगला चोटी की लड़ाई हो, चाहे वर्ष 1965 की हाजीपीर की लड़ाई हो, वर्ष 1967 में नाथूला, चोला की लड़ाई हो, वर्ष 1984 का आपरेशन मेघदूत हो, वर्ष 1999 की कारगिल की लड़ाई हो या वर्ष 2000 का पार्लियामेंट अटैक हो, वर्ष 2002 का अक्षरधाम मंदिर अटैक हो, सभी में यादव वीरों ने अपनी जान देकर शान

दिखाई है, अपना झंडा गाड़ा है। कितनी ही जगह अहीर शूरवीरों ने अपना जौहर दिखाया है और वे खून की आखिरी बूँद तक देश के लिए लड़े हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि हमारे समाज की बहुत बड़ी माँग है कि सेना में अहीर रेजिमेंट के नाम से एक रेजिमेंट की स्थापना की जाए। धन्यवाद।

श्री संजय सेठ (राँची): महोदय, धन्यवाद।

राँची में एक स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिनका नाम जीतराम बेदिया था। जीतराम बेदिया जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था। राँची, रामगढ़ सहित आसपास सैकड़ों गाँव के ग्रामीणों को उन्होंने एकत्र किया, प्रशिक्षण दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया। जीतराम बेदिया जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, जो जितनी सुगमता से बांसुरी बजाते थे, उतनी ही सुगमता से गुलेल और तीर-धनुष चलाते थे। श्रद्धेय बेदिया जी एक वैद्य भी थे। पहाड़ की जड़ी-बूटी से अपने गाँव के आसपास लोगों का इलाज भी करते थे, उपचार करते थे। अंग्रेजों को इस देश से भगाने में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आहुति दी, उनमें जीतराम बेदिया जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है।

23 अप्रैल, 1958 को अंग्रेजों की मद्रास बटालियन के मेकडोनाल्ड से संघर्ष के दौरान बेदिया जी सहित कई वीरों ने अपना बलिदान दिया। मेरा यह आग्रह है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में महान स्वतंत्रता सेनानियों का एक मेमोरियल बनाया जाए। इनके बलिदान को सूचीबद्ध किया जाए, ताकि हमारे गौरव और महान स्वतंत्रता सेनानी को हम अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकें, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। धन्यवाद

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): Sir, in our country we have a very well-established norm of delivery of justice but there have been very dangerous precedence and aberrations, and many of our Ministers, Chief Ministers, and

people who hold the constitutional posts have had aberrations. Many of them might have been influenced by the western cowboy films, like 'Shooting from the Hip', or the fictional character of 'Licence to Kill', or even fifth freedom of Franklin Roosevelt.

Why I am telling this is because in our country following the footsteps of ...

* Assam has also indulged in extra-judicial encounters and killings, and the Assam Police Department has earned this dubious distinction of surpassing 'Ab Tak Chhappan'. There have been extra-judicial killings and encounters in our State. Since the month of May 2021, as many as 90 cases have been reported. All these cases are extra-judicial cases.

So, I demand that there should be a judicial inquiry and all the culprits should be brought to justice.

डॉ. राजदीप राय (सिल्वर): महोदय, मुझे शून्य काल में मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। एक बहुत संगीन और गंभीर विषय हम लोगों के सामने आया। आज से कुछ दिन पहले असम से एक ऑयल टैंकर मिजोरम में गया था और तेल की डिलिवरी करने के बाद जब गाड़ी लौट रही थी, तो उसका ड्राइवर प्रवीन सिंह, जो 45 वर्ष का था, रास्ते में उसके ऊपर लोगों ने प्रहार किया तथा उसको मार दिया। He was murdered and on charges of his murder his brother who was the handyman, उसको आईपीसी की धारा 302 के तहत अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने टॉर्चर करके इनसे एक कोरे कागज पर साइन लिए और कहलवाया कि मैंने मर्डर किया है तथा उसको जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद उसको आइजोल जेल में ट्रांसफर कर दिया। आइजोल जेल में ट्रांसफर करने के

* Not recorded.

बाद किसी ने लीगल एड लेने के लिए उसकी हेल्प नहीं की। मैं 5 तारीख को इन लोगों के गाँव में गया था। दोनों का घर, परिवार एकदम आजू-बाजू में है, कोई बाउंड्री नहीं है और दोनों भाई हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि बड़ा भाई छोटे भाई का मर्डर कर देगा। It is a planned case. इंटरस्टिंगली कल दूसरा भाई, जो पुलिस कस्टडी में था, जिनका नाम नीपेन सिंह, जो 49 वर्ष का था, यह बताया गया कि उन्होंने आइजोल जेल के अंदर सुसाइड कर लिया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से बोलना चाहता हूँ कि आइजोल में जो पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, सिविल सोसायटी है, डिस्पेंसेशन अलग-अलग चलता है। कभी-कभार वहां हमारे कॉन्स्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को, जो घटना हुई है, दोनों भाइयों का मर्डर हुआ है, उस मर्डर की तहकीकात और सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करता हूँ। यह हमारी स्टेट की मांग है। मेरे ख्याल से गृह मंत्री जी इस पर थोड़ा गौर करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री तेजस्वी सूर्या उपस्थित नहीं –।

श्री सुनील कुमार सिंह उपस्थित नहीं –।

श्री सु. थिरुनवुक्करासर।

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance.

In Tamil Nadu, there are only four sub-regional offices of ESIC. They are functioning at Salem, Coimbatore, Madurai and Tirunelveli. This has resulted in severe hardships to the beneficiaries. Tiruchirapalli is the fourth largest and centrally located District in Tamil Nadu.

Here there are a number of Central and State Government offices, Railway divisions, educational institutions, major industries like BHEL, gun factory, coach factory and medium and small scale industries functioning properly. A large number of serving and retired employees are settled with their families in and around Tiruchirappalli. To cope with increasing demand, the existing ESI hospital in Periyamilaguparai is not sufficient. This has also served as a referral centre. There is an urgent need to increase the bed strength from 50 to 100. A large number of requests from various quarters is pouring in for its upgradation. ... *(Interruptions)*. Give me one more minute. The top priorities are improvement of amenities like water treatment plant, additional wards, and filling up of vacant posts.

Hence, I request the hon. Minister of Labour and Employment to upgrade the ESI Branch office, Trichy into a sub-regional office urgently.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): My 'Zero Hour' submission is in respect of Employees' Pension Scheme or EPS 95. Lakhs and lakhs of pensioners in the country are getting Rs. 1000 as the minimum pension even after decades. Hon. Speaker may remember that during the Sixteenth Lok Sabha, I had moved a Private Members' Resolution in the House, and it was discussed in threadbare regarding all the issues concerning the Employees' Pension Scheme or EPS 95.

17.17 hrs*(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)*

Also, a High Empowered Monitoring Committee has been constituted by the Government, and the Committee has submitted a report also. In the report, there is a proposal to revise the minimum Employees Provident Fund Pension from Rs. 1000 to Rs. 2000. There are so many other recommendations also. But it is quite unfortunate to note that none of the recommendations of the High Empowered Monitoring Committee has been implemented by the Government even after an assurance has been given in this House. It is quite unfortunate as far as the PF pensioners are concerned. So, my main demands are this. Number one, increase the minimum pension to Rs. 6,000. The second demand is, revise the higher pension on the basis of the actual salary. The Supreme Court has held it. It is quite unfortunate to note that the Government of India as well as the EPF Organization has approached the Supreme Court and had moved a SLP as well as a review petition. The Chief Justice of India has directed to constitute a larger Bench so as to consider all these issues which are settled. All these issues are settled. The settled issues are going to be unsettled by the act of the Government of India and the EPF Organization. It is against the workforce of the country.

So, my first demand is to implement the recommendation of the High Empowered Monitoring Committee in respect of Employees Pension Scheme 95. My second demand is that the Government of India and the EPF Organization should refrain from rejecting the higher pension, already ordered by the EPF

Organization and approved by the Supreme Court since long. I request the Government of India to refrain from all the litigation proceedings and resolve the issues of EPF pensioners.

माननीय सभापति: श्री मनोज कोटक जी – उपस्थित नहीं।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू उठाने का मौका दिया है। तकरीबन पूरे दो साल होने जा रहे हैं जबकि देश के विभिन्न विश्वविद्यालय बंद पड़े हैं। स्कूल्स भी खुल गए, सब चीजें खुल गईं, लेकिन देश में यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोली जा रही हैं। खास तौर से मैं उन दो विश्वविद्यालयों की बात करूंगा, जिनका मैं इस लोक सभा के माध्यम से कोर्ट का मेंबर हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दोनों विश्वविद्यालय अभी तक नहीं खोली जा रही हैं। यह जनरेशन बहुत पीछे छूट जाएगी, अगर यूनिवर्सिटीज़ समय से नहीं खोली गईं। दूसरा, अलीगढ़ में जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है, उसकी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक्ट के माध्यम से है। उस एक्ट में यह है कि जो कोर्ट होगा, वह पांच नाम रिक्मेंड करता है और उसके बाद इसी तीन नाम रिक्मेंड करती है। उसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी उसमें से एक टिक करते हैं।

ए.एम.यू. कोर्ट में 50 प्रतिशत से ज्यादा वैकेन्सीज हैं और वह प्रक्रिया छः महीने पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। मौजूदा वाइस चांसलर का टर्म मुश्किल से तीन या साढ़े तीन महीने ही बचा है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसे सैबोटाज न करें और यह निर्देश दें कि ए.एम.यू. कोर्ट की जो वैकेन्सीज हैं, उनका इन्टर्नल इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए।

माननीय सभापति : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी - उपस्थित नहीं।

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती - उपस्थित नहीं।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, dairy farmers play an important role in our society as we cannot ensure food security of our nation without milk and milk products. The cost of production and price stagnation had made the life of dairy farmers very difficult. The cost of production always depends upon the prices of cattle feed. Very unfortunately, it is rising again and again. This is our experience for the last five years. Hence, our farmers needed aid from the Government, but our Government is not at all providing adequate support to the dairy farmers.

Of course, our cooperative sector is doing a good job. In our experience, in Kerala, Milma is doing a good job and they are very much supporting this sector, but it is not adequate. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme is not only a poverty alleviation programme, but it is also increasing the availability of quality assets in the rural areas. So, it should be extended to our dairy farming community too.

I would urge upon the Government to include dairy farmers also in the approved work list under MGNREGA for security and protection of livelihood of the dairy farmers. Thank you, Sir.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I would like to bring to the attention of this august House about the negligence of the Central Government and Indian Railways towards Kerala. I highly doubt if Kerala is even a part of the Indian Railway map. Kerala holds the maximum share in passenger ticket income. However, it is sad that Kerala is the least developed in the Railway sector. The

total amount allocated to Kerala during this Budget is only Rs. 1,085 crore. This is very less when compared to the other States. Further, the budget allowed for doubling of lines, automatic signal system, curve and bent straightening, etc. is also very less.

Kerala had already requested for a third line, but unfortunately this Budget does not even mention anything about the same. It is also disappointing to see that Kerala's prime requirements, that is, Sabari Railway and Palakkad Coach Factory have only been allocated a token of Rs. 1,000. Till today, Kerala does not have a Shatabdi train. So, I would request allocation of Shatabdi and Vande Bharat trains, which are mentioned in this Budget. By providing these trains, we can save Kerala from a big threat, that is, K-Rail.

Thus, I would humbly request, through you, the House to consider all these Railway requirements. Thank you, Sir.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र की एक ज्वलंत समस्या है, उसकी तरफ मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज हम एक उन्नत और प्रगतिशील युग में निरन्तर विकास के नए सोपन गढ़ रहे हैं। भारत, जो कि एक कृषि प्रधान देश रहा है और इसकी आत्मा गांवों में निवास करती है। ग्रामीण भारत के लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के प्रयासों से अब शहरी और ग्रामीण सुविधाओं का अन्तर समाप्त हो गया है।

ग्रामीण भारत में भी अब महानगरों की तरह बिजली, पानी, इन्टरनेट की सुविधा से अब नया भारत बन रहा है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर डालना चाहता हूँ। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यदि गांवों में आग लग जाती है तो वहां अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुच्छेद 243(w) के तहत अग्निशमन सेवाओं को शहरी निकायों के अधीन किया गया है जबकि इसको पंचायत समिति के स्तर पर करना चाहिए।

सभापति महोदय, किसान के घर में कुछ नहीं है, टूटी हुई खाट है, फटे हुए बिस्तर हैं। जो भी उसकी सम्पत्ति है, उसके बारे में सोचिए। चाहे वह कृषि उपकरण हो, चाहे पशुधन हो, सब कुछ वहीं रहता है।

जब आग लग जाती है, तब शहरों से गाँवों की ओर अग्निशमन वाहन जाता है, उस समय तक सब कुछ स्वाहा हो जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इसके लिए शहरों में जो व्यवस्था है, वह गाँवों में भी पंचायत समिति स्तर पर देनी चाहिए। क्योंकि, वहाँ किसानों की काफी क्षति हो जाती है। इससे उसका बचाव हो सकता है। यही मेरा निवेदन है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to raise a very urgent and public importance matter. I am changing my subject matter. Actually, my notice was on a subject that I had raised yesterday. Today, I am going to raise another matter with the permission of the Chair.

HON. CHAIRPERSON : Okay.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Thank you, hon. Chairman, Sir. I know that you are very happy today because you have come to the House after the election campaign. So, your face is very energetic.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, Kuttanad Taluk in Alleppey District, Kerala falls under my Constituency. Kuttanad is an area that is below sea level. Nearly, 90 per cent people of Kuttanad are engaged in paddy cultivation, and 60 per cent of paddy requirement of Kerala is coming from Kuttanad.

The problem that Kuttanad is facing is regular flood and natural calamities. In 2018, Kuttanad was severely affected by floods as thousands of houses got damaged, many people died as well as school buildings, hospitals, roads, etc. got destroyed. The outer bund of the paddy fields was also destroyed, and loss worth crores of rupees was incurred by the people of Kuttanad. But they are not getting proper compensation from either the State Government or the Central Government.

Now, the problem is that in 2019 also similar floods affected Kuttanad. In 2021, that is the previous year, the people of Kuttanad faced severe flood situations about eight to ten times. If rains occur even for a day or two in Kerala, Kuttanad gets submerged. What is the reason for it?

There is Pamba river, Achankovil river and Manimala river, which are flowing through Kuttanad. These rivers are having a leading channel through Thottappally Spillway to the Arabian Sea. However, renovation, dredging and deepening work of river is not done properly.

The State Government has not taken any steps and the Central Government, that is, the Jal Shakti Ministry has also not given any instruction to the Government of Kerala to get these works done for the relief of the people of Kuttanad.

HON. CHAIRPERSON: Now, place your request what you want.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I am coming to the request.

HON. CHAIRPERSON: I think that necessary action has to be taken by the State Government.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : No, Sir. The problem is that in Kuttanad area, Kainakary Panchayat and some other panchayats are still submerged in water. People are living in water and their houses are also submerged in water. So, I would like to request the Government of India, through you, Sir, that the Jal Shakti Ministry should take immediate steps to stop such flood situations in Kuttanad. I would like to make a suggestion. There is a very famous lake, namely, the Vembanad Lake. No renovation or dredging work is taking place on this Lake also. Hence, the flow of water in it is not at all proper.

And also, the Thanneermukkom Bund is not working properly. Therefore, the water flow is totally disturbed.

HON. CHAIRPERSON : It is okay. I get your point.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : This is a very serious matter because in my constituency, people of Kuttanad are facing very serious problems.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : I would request the Government and the Jal Shakti Ministry to have a discussion with the State Government to sort out this problem facing the people of Kuttanad.

I would like to request that the State Government and the Central Government set up an authority for Kuttanad.

*** SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. Even though there is no need for collateral security for getting educational loans up to Rs 4 lakh from the Nationalized Banks, the poor, SC and ST students of my constituency face several difficulties in getting such loans. Many students who could not avail these educational loans have become dropouts as they were unable to continue their studies. Sir, the Union Government should do something to rectify this issue.

HON. CHAIRPERSON : You have changed the subject.

SHRI DHANUSH M. KUMAR : No Sir.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

HON. CHAIRPERSON: It should have been about pending Railway projects. Ok.

Ok. Now please continue.

SHRI DHANUSH M. KUMAR : While fixing the targets for educational loans, it should be made as per reservation to the Backward and Scheduled Castes. Moreover there is a target that 18 per cent of their total turn over should be earmarked for the agriculture sector by the Nationalised Banks. But the Banks are achieving this target through Gold loans. But in the present scenario, in our country, no farmer is in possession of gold with them. Therefore the Union Government should strictly follow the guidelines in this regard to ensure that the farmers avail these farm loans to the fullest extent. Sir, I through you, urge upon the Union Government to do the needful to ensure that all the farm loans should be made available to farmers without any hassles.

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश में बंजारा समाज शिक्षात्मक एवं आर्थिक स्थिति में काफी पिछड़ा हुआ है। विभिन्न राज्यों में यह समाज एससी, एसटी, ओबीसी, वीजेएनटी प्रवर्गों में विभाजित है। इस कारण बंजारा समाज का आर्थिक, शिक्षात्मक, सामाजिक तथा राजकीय विकास रुका हुआ है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अन्य समाज के आरक्षित वर्गों को न छोड़ते हुए, बंजारा समाज के विकास हेतु इन्हें विशेष आरक्षित वर्ग में सम्मिलित किया जाए। बंजारा भाषा सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक है। इसलिए इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलने हेतु संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित करें।

महोदय, यह संसद भवन जहां खड़ा है, यह भूमि जयपुर के राजा की थी। इस भूमि पर बंजारा समाज के व्यापारी लकीशा बंजारा का काफी सालों से कब्जा था। यहां तांडा बस्ती थी। बंजारा समाज की धार्मिक भावनाएं इस भूमि से जुड़ी हुई हैं। यह भूमि व्यापारी लकीशा बंजारा ने ब्रिटिश सरकार को दान की थी, लेकिन यहां कहीं पर भी उनका नामोनिशान नहीं है। संसद परिसर में दानवीर व्यापारी लकीशा बंजारा की प्रतिमा और संसद मार्ग को इनका नाम देकर न्याय देने की मैं मांग करता हूँ।

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): सभापति महोदय, मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ, वह शहरी लोक सभा क्षेत्र है। यहां पर पानी की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति टोंक जिले के बीसलपुर बांध से होती है। एक पाइपलाइन होने के नाते, यहां पर जब मेंटीनेंस का काम चालू होता है, तो 25 से 60 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद रहती है, जिससे काफी परेशानी होती है।

उक्त समस्या के स्थायी निराकरण के लिए बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण के प्रस्ताव लम्बित हैं, जिसमें बीसलपुर से बालावाला तक समानान्तर दूसरी पाइपलाइन डाली जानी है। उक्त लाइन के लिए 1,103 करोड़ की राशि शहरी विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार को जायका से वित्त पोषण हेतु लम्बित है। जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था का स्थायी समाधान यही है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सम्बल दिए जाने से जयपुर लोक सभा क्षेत्र के साथ-साथ, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाईमाधोपुर जिले की जनता को भी लाभ मिलेगा।

मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त 1103 करोड़ रुपये की राशि बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का श्रम करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ और वह है इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता, उत्तर प्रदेश और खासकर मेरठ में बढ़ती हुई जनसंख्या, जहाँ एक तरह से सिर ही सिर नजर आता है, यही स्थिति पूरे हिन्दुस्तान की बनी है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इस विषय को पिछले 12-14 सालों से पार्लियामेंट के अंदर अनेक बार रखा है और बाहर भी अनेक फोरम पर इस बात को रखता रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि अब समय आ गया है कि इस देश में दो बच्चों का कानून बनना चाहिए। हम देख रहे हैं कि सरकार सारे संसाधन उपलब्ध करा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने बहुत तेजी से विकास की तरफ कदम बढ़ाया है और देश को डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जाने की ओर अग्रसर किया है।

जनसंख्या के कारण, हम भले ही दस लाख आवास देते हैं, तो पता लगता है कि दस और तैयार खड़े हैं। हम 4 लेन की सड़कें बनाते हैं, 6 लेन की आवश्यकता पड़ने लगती है। हम बाजारों का विकास करते हैं, अगले और बाजारों की आवश्यकता पड़ती है।

कितनी चीजें हैं, हम लगातार संसाधन बढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उनके ऊपर लगातार दबाव रहता है। इस देश की भौगोलिक स्थिति 135 करोड़ लोगों को संभाल कर रखने की भी नहीं है। आप कल्पना कीजिए, 30-40 वर्ष बाद जब यही आबादी 160-165 करोड़ होगी, तब इस देश की क्या स्थिति होगी?

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि हमें अगली नौजवान पीढ़ी की बेहतरी और सुरक्षा के लिए काम करना है। इसमें जाति, धर्म और सम्प्रदाय की कोई बात नहीं है, अगर इस देश को बचाना है तो हर हाल में जनसंख्या नियंत्रण पर पूरे सदन को एक मत से दो बच्चों का कानून बनाना चाहिए। लोग इससे सहमत भी हैं। अपनी शिक्षा या विभिन्न कारणों से जो लोग सहमत नहीं हैं, मुझे

लगता है कि हम उन्हें समझाकर और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर लोगों को आकर्षित करना पड़ेगा और सरकार को इस ओर अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जल्द एक बेहतर कानून बने, जिससे इस देश के भविष्य का नौजवान, जो हमारे देश का भविष्य है, हम उसको सुरक्षित और संरक्षित करने का काम कर सकें। धन्यवाद।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Chairman, I wish to draw the attention of the hon. Minister of Home Affairs towards the recent arrests of Kashmiri journalists, Fahad Shah on charges of sedition and Sajad Gul under the Public Safety Act, who have been accused of promoting terrorism, inciting violence and, as the current dispensation likes to call it, anti nationalism behaviour. The prolonged detention in UP of Siddique Kappan under UAPA already remains to be a blot on our conscience. Several organisations including the Editors Guild of India and Reporters Without Borders have condemned these arrests and identified it as part of a larger pattern of deteriorating press freedom in our country. India has been ranked 142nd in the World Press Freedom Index indicating a worrying trend. Yet another report has named India among the five most dangerous countries in the world for journalists, and among the top 10 countries, accounting for three-quarters of fatalities in the last five years. Statistics also reveal the disturbing killings of 18 journalists since 2014, and detention of seven journalists in custody in connection with their work as of 2021.

Sir, journalists in Kashmir or UP or anywhere in India deserve to be able to do their jobs safely without fear of arrest or harassment. The Supreme Court too has recognised the importance of dissent in a vibrant democracy stating that a free and independent press is a vital pillar of democracy which supports an informed and democratically-engaged citizenry, and allows those in power to be held accountable more meaningfully.

I, therefore, urge the hon. Minister to facilitate the immediate and unconditional release of Fahad Shah, Sajad Gul, and Siddique Kappan in the interest of preserving the freedom of press in our country. Thank you. ...

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Send a slip to the Table.

. ... (Interruptions)

माननीय सभापति : नहीं, मैं आपको बाद में नम्बर देता हूँ, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। आप पहले बैठिए तो सही।

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Hon. Chairman, Sir, Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram is an important scheme of the Union Government aiming at multisectoral development of minority sections. The Government has decided to increase the number of States and Districts under this scheme.

In Kerala, this scheme is very active and is available in 13 districts out of 14. The only district which is excluded from this scheme is Thrissur. Thrissur has 42 percentage of combined population of Christians and Muslims. Thrissur deserves a special consideration under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram.

I would kindly request the Minority Affairs Minister to include Thrissur district in this scheme.

Thank you, Sir.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir. I would like to draw the attention of this House and also of the Minister that the Odisha Legislative Assembly had passed a resolution for forming a Legislative Council, and this was done three years ago. The resolution was sent to the Union Government for action because ultimately it is the Central Government which has to move a Bill in the Parliament. Then only, a State can form its Council. But very recently, the Law Minister has said in the House, in the Parliament that as per record, no such resolution has been received by the Government. This is very strange. This demonstrates that one Ministry does not know what the other Ministry has.

As Members of Biju Janata Dal Parliamentary Party, we have come with the resolution and have met the Home Minister. Ultimately, it is the Home Ministry which has to move the resolution in the Parliament. I think, the former Law Minister is very much present here. This was done in the 16th Lok Sabha.

So, it is very strange and I draw the attention of the Government, through you, Sir, that such type of mistake in answering relevant questions should not at all be in this manner, in a lackadaisical manner. There has been a resolution by the State Assembly. Today, I would say that the Speaker of the Odisha Legislative Assembly has come out categorically on which date the resolution was passed and on which day the resolution was sent to the Union Government. This is very strange. I believe that the Union Government will correct its mistake while answering that question.

Thank you, Sir.

17.43 hrs

(Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): माननीय सभापति जी, वर्ष 2019 में सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट संसद में लाया गया था। महाराष्ट्र और राज्यों में समाज के अलग-अलग बहुत से लोग हैं। मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहती हूँ और विशेषकर सिंधी समाज की बात करना चाहती हूँ। ये फ्रीडम से पहले पाकिस्तान से आकर देश में बस गए, लेकिन आज तक उनको भारतीय नागरिक का पीआर कार्ड नहीं मिला है। वे कोई भी बिजनेस करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वह उनके अपने नाम से नहीं होता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करती हूँ कि स्टेट और सेंटर मिलकर, जो भी शरणार्थी पाकिस्तान से आए हैं, फ्रीडम से पहले आए हैं, उनको नागरिक का अधिकार दिया जाए। खास तौर से सिंधी समाज बिजनेस द्वारा देश और महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। इनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जो देश का स्वाभिमान बढ़ाते हैं।

मैं आपके माध्यम से विनती करती हूँ कि देश का नागरिक होने की घोषणा की जाए, उनको देश में नागरिक का अधिकार मिलना चाहिए। धन्यवाद।

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Thank you respected Chairperson, Sir. For the last several years, Kerala has been witnessing a steady rise in all types of cancer year after year. Similarly, the deaths related to it are surpassing all other regions in the country. The affordable treatment facilities for the poor patients in the State are very limited.

Therefore, I would urge upon the Government to set up an AIIMS in Palakkad urgently with facilities for cancer treatment and research like the one we have in our national capital. Thank you, Sir.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): धन्यवाद सभापति महोदय । मेरा क्षेत्र अम्बेडकर नगर एक बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है । मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय कपड़ा मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जो मैन मेड फाइबर पर जीएसटी को बढ़ाकर 12 परसेंट कर दिया गया है । उससे बुनकरों का मार्केट पूरी तरह से टूट चुका है । मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में बुनकर एक तरफ बिजली की मार से मार खा रहे थे, अब ये बढ़े हुए धागों की दामों से मार खा रहे हैं । इसकी वजह से उनके छोटे-छोटे कारखाने बंद हो गए हैं । अब उन्हें दक्षिण भारत और महाराष्ट्र जैसी जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी एवं कपड़ा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे धागे के ऊपर जीएसटी को घटाकर जीरो करें, ताकि पुनः कंपीटिविटी आ जाए और इन लोगों का कारोबार आराम से आगे बढ़ सके । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद सभापति महोदय । इस संविधान में 341 और 342 दो धाराएं हैं, जिसमें बताया गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैसे बनेंगे । मैं जिस राज्य से आता हूँ, वहां धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है । धर्मांतरण होने के कारण हमारा जो आदिवासी समाज है, वह अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपना विचार सारा कुछ खो रहा है, क्योंकि उसका कल्चर बदल रहा है । हम ट्राइब्स को जो अधिकार देते हैं या जिनको ट्राइबल बनाते हैं, वह उनकी सभ्यता और संस्कृति के कारण देते हैं । संविधान का आर्टिकल-34 कहता है कि यदि कोई शेड्यूल्ड कास्ट अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है, जो हिन्दुस्तान में धर्म है, चाहे वह सिख, बौद्ध या जैन को छोड़कर तथा हिन्दूइज्म का जो एक्सटेंशन है, यदि उसके बदले वह किसी दूसरे धर्म क्रिस्चिनिटी या मुस्लिम को अपनाता है, तो वह शेड्यूल्ड कास्ट नहीं रह पाता है ।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि 341 और 342 दोनों एक ही तरह की धाराएं हैं और कांस्टिट्यूशन में हमारे फोर फॉर्दर्स ने जो कहा है, तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए लागू है, वही शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लागू हो। बुद्धिज्म, सिखिज्म या जैनिज्म के अलावा यदि वह क्रिश्चिनिटी में या मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं, उनके ट्राइबल के सारे अधिकार खत्म होने चाहिए, जिससे भारत की सभ्यता और संस्कृति बनी रहे। यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: You are absolutely correct.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): धन्यवाद सभापति महोदय। यह बहुत परेशानी की बात है कि डिसेबिलिटी पेंशन देने के दो तरीके हैं। एक तरीका सारे मुल्क के लिए है और दूसरा तरीका जम्मू-कश्मीर के लिए है। जम्मू-कश्मीर में जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, वह सारे मुल्क में जो मिलता है, उसका वन फिफ्थ है। ...(व्यवधान) आर्टिकल-370 और 35 ए के हटाने के बाद भी इस विषय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज की तारीख में यह सबसे कम मिल रहा है। मेरा यह मुतालबा होगा कि जम्मू-कश्मीर में भी कम से कम 5000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन लागू की जाए।

दूसरी बात, जो होम गार्डस् का विषय है। आज की तारीख में जम्मू-कश्मीर में उनको एक महीने में सिर्फ 2700 रुपये मिलते हैं। बाकी, देश में उनको 22000 रुपये मिलते हैं। यह कैसा न्याय है?

तीसरी बात, जो फहद शाह की बात की गई है। हम किसी और मुल्क के बारे में सुनते थे अगर आप पुलिस के साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे तो फिर जेल चलिए। अभी शशि थरूर जी ने भी कहा, अगर आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एग्री नहीं करते हैं तो थाने चलिए। किसी शायर ने किसी और मुल्क के बारे में कहा था। लेकिन, हमारा मुल्क फर्स्ट अमेंडमेंट के लिए जाना जाता है। यहां फ्रिडम

ऑफ एक्सप्रेसन सबके लिए बराबर था । लेकिन, यहां पर जर्नलिस्ट्स पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है । अभी दो जर्नलिस्ट्स गिरफ्तार किए गए । ... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कोरोना काल में हुई लाखों लोगों की मृत्यु से उनके आश्रितों की विकट स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित चाहता हूँ ।

महोदय, कोरोना के कारण जो मौतें हुई हैं, उनमें से अधिकतर आंकड़े न तो राज्यों के पास हैं और न ही केंद्र के पास हैं । क्योंकि, किसी मृतक की कोरोना जाँच होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई । किसी की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, परन्तु उसकी मौत कोरोना से ही हुई है । ऐसे में जो स्थिति बनी है, वह बहुत ही विकट है ।

महोदय, अब मैं राजस्थान की बात करूंगा । आपके माध्यम से राजस्थान के मामले की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने 3200 महिलाओं की मौत को कोरोना से माना, उसके बावजूद उनके परिवार के लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया । मात्र 8882 पुरुषों की मौत पर उनके परिजनों को मुआवजा दिया गया है ।

ऐसे में महिला मृतकों के आश्रितों को अनदेखा किया जा रहा है, इस पर केन्द्र को ध्यान देने की आवश्यकता है । जबकि वास्तव में यह आंकड़ा चार गुना है । देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 5,00,055 से अधिक लोगों की मृत्यु इसकी वजह से हुई है । मगर वास्तविकता बहुत अधिक है और सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रत्येक पीड़ित परिवार की मदद करे ।

महोदय, मेरी यह मांग है कि कोरोना की वजह से हजारों परिवार उजड़ गए और लाखों लोग हमारे बीच से दुनिया को छोड़कर चले गए हैं । ... (व्यवधान) ऐसे परिवारों और मृतकों की वास्तविक संख्या के आकलन के लिए सरकार एक नीति बनाए, ताकि कोरोना के कारण जिनकी मौत के रिकॉर्ड

में किसी न किसी वजह से कोरोना नहीं दर्शाया गया है, उन्हें भी आर्थिक संबल मिल सके। केन्द्र ऐसे मामलों में मृतक आश्रितों को 50,000 रुपये के स्थान पर कम से कम 5 से 10 लाख रुपये की राशि सहायता के रूप में दे, ताकि ऐसे परिवारों को मदद मिल सके।

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

The North East India needs a new North East Industrial and Investment Promotion Policy. The current Policy has not led to any new private sector investment for North East. Various State Governments have had many Summits, as also Assam, which have yielded only MoUs but not created any new investments or jobs.

The previous North East Industrial and Investment Promotion Policy under Dr. Manmohan Singh, was extremely useful and it is still credited as a successful Policy by the private sector in North East India.

I urge upon the Central Government to scrap the current Policy and bring the provisions of the NEIIPP as it was under Dr. Manmohan Singh.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

I do believe that what I want to convey today is of national interest and I beg you to allow me a little time.

On a recent visit to Kashmir after a gap of many years, what took my breath away was not just the breathtaking beauty of Kashmir but the sight of our beautiful National Flag, flying high and proud for the first time ever in Kashmir.

Sir, I cannot express what kind of joy and pride I felt at seeing that. ...

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Jawed Ji, please sit down.

... *(Interruptions)*

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH : Hon. Chairperson, Sir, I do believe that every Indian feels that our National Flag is not just a symbol of peace and strength but also a representation of all our religions, ethnic culture, and languages spoken in our great country.

Today, I want to draw the kind attention of this august House and the Government of India to a recent incident which happened in the district of Guntur in Andhra Pradesh. Some youth -- belonging to a certain group -- were trying to unfurl our National Flag on a monument called Jinnah Tower in the town circle. They were prevented from doing so. They were lathi charged and were duly arrested by the police. I suppose the police were doing their duty. Similar incidents have occurred in the past in my State of Karnataka and after years of communal tensions and violence, disputes were settled amicably by the hon. Supreme Court of India.

I would like to come to the point which I want to make now. This does raise several questions in my mind. I just want to know whether there are any places in our Nation -- still designated places -- where we are not supposed to unfurl or hoist our National Flag. Are there any places where people are prevented from

unfurling or hoisting our National Flag? Why are we okay with this? Why are we protecting the wrong against the right here? This is the question I want to raise.

I will just finish in two minutes.

Sir, in any other country, this would be considered as a high treason. ...

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH : Should not we take necessary steps to make clear mandates on whether this is allowed? The prevention of hoisting our Flag is allowed in our country. It should be a matter of shame for all of us. ...

(Interruptions)

I would urge the Government to take a serious view of this and ensure that any Indian, anywhere in our country, can hoist the Flag without fear and with pride in the great country of India. Jai Hind. Jai Karnataka.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले मुम्बई के एक फिल्म स्टार का बेटा कुछ ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। उस वक्त मीडिया के अन्दर इस तरह से चल रहा था जैसे एक ही केस हुआ है और पहली बार कोई ड्रग्स पकड़ा गया है। जबकि हकीकत यह है कि आज इस मुल्क के हर बड़े शहर और गांव के अंदर ड्रग्स का धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। यहां पर भारती पावर मैडम बैठी हुई हैं, मैं उनको बताऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने शहर के दो उदाहरण आपको देता हूँ। एक नशे खोर लड़के ने एक बेकसूर लड़के का जब मर्डर किया, तो उसने उसके गोشت के टुकड़े निकाले और जिस तरह कबाब को भून कर खाया जाता है, उसने इंसान का गोشت खाया। दूसरे केस के अंदर,

दो नशे खोरों ने, एक नशे खोर ने दूसरे का मर्डर किया, उसकी आंखें निकाली और उसके साथ गोटियां खेला। जब हमने इसके बारे में तफ्तीश की तो पता चला कि नौजवानों द्वारा आजकल गोलियों का एक नशा किया जा रहा है, जो मेडिकल स्टोर्स पर मिल रही हैं।

सभापति जी, हमारा कानून ऐसा है कि अगर छोटी क्वांटिटी में ड्रग्स मिलता है तो दोषी को दूसरे दिन जमानत हो जाती है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इस मुल्क की एक पूरी नौजवान नस्ल, जो नशे के अन्दर बर्बाद हो रही है, उस पर कड़े कानून बनाने की जरूरत है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय सभापति जी, मेरठ, हैंडलूम के बहुत बड़े उत्पादन का केन्द्र है और वहां लगभग पांच लाख की आबादी इस सिंगल ट्रेड पर निर्भर करती है, चाहे बुनाई हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे रंगाई हो या चाहे प्रोसेसिंग इत्यादि हो। लेकिन वहां पर एक बड़ी कठिनाई यह हो रही है कि मेरठ के एनसीआर क्षेत्र के अन्दर आने की वजह से अनेक प्रकार की एनओसी वहां के उद्यमियों को लेनी पड़ती है। खासतौर से टैक्सटाइल्स की प्रोसेसिंग की जो मिले हैं, उनको रेड श्रेणी में रखा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हें सात एनओसी लेनी पड़ती है, जो इस प्रकार है - प्रदेश का प्रदूषण विभाग, केन्द्र का प्रदूषण विभाग, भूजल विभाग, सीपीसीडी, चार्ट थर्ड पार्टि निरीक्षण, एयर पॉल्यूशन और एन.जी.टी.।

माननीय सभापति जी, इसके परिणाम यह होता है कि काम रुक जाते हैं। कामों की गति सुचारु रूप से नहीं चल पाती है और जो भी अधिकारी हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वे तालमेल बैठाने के स्थान पर, इन कानूनों का पालन करवाने के स्थान पर, एक्सटॉर्शन में व्यस्त रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कोई एक सिंगल विंडो एजेंसी ऐसी बनाई जाए, जो इन उद्यमियों को, जो हैंडलूम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको सभी प्रकार की एनओसी मुहैया करवाए और उनका एक्सटॉर्शन ना हो। वे हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वे भी प्रदूषण के विषय पर

गंभीर हैं। यदि इस प्रकार का प्रयास होगा तो प्रदूषण भी नहीं होगा और ये उद्यम भी आगे चल सकेंगे। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कपिलवस्तु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया के राष्ट्रीय मंचों पर भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हो सकता है कि दुनिया ने युद्ध दिया, लेकिन हमने पूरी दुनिया को गौतम बुद्ध दिया और गौतम बुद्ध शांति, अहिंसा, ममता, करुणा के एक प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में प्रासांगिक हो रहे हैं। आज दुनिया में कहीं पर हिंसा है और कहीं पर आतंकवाद है।

आज दुनिया में बहुत सारे देश बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। चाहे आज हमारा पड़ोसी देश हो, साउथ-ईस्ट एशिया हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो या इंडोनेशिया हो, इन तमाम मुल्क के लोग, लाखों लोग हर साल मेरे संसदीय क्षेत्र, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए, उस जगह पर आते हैं, सारनाथ आते हैं, बिहार में बोधगया आते हैं और श्रीलंका भी जाते हैं। वे आस्था के साथ आते हैं। जब डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अनुसार जब 6 ए.डी. के पूर्व खुदाई हुई तो उस खुदाई में जो चीजें निकली हैं, उनके लिए मैं आज भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसके लिए कपिलवस्तु में राष्ट्रीय संग्रहालय बना दिया गया है और जो अस्थि कलश मिला था, वह दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में दो रखे हुए हैं। अगर उसमें से एक अस्थि कलश कपिलवस्तु में रख दिया जाए तो जो लोग सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु और श्रावस्ती आते हैं, उन लाखों पर्यटकों को सिद्धार्थनगर जनपद के कपिलवस्तु के राष्ट्रीय संग्रहालय में गौतम बुद्ध की अस्थि का दर्शन करने का मौका मिलेगा। ...(व्यवधान) इसके अलावा श्रीलंका में उनका एक नाखुन/दांत है, उसको देखने के लिए बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोग जाते हैं। सभापति महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

18.00 hrs

अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। I think, you have full faith for the religion. This is very serious. इसके बारे में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक विपश्यना केन्द्र की स्थापना हो और उस अस्थि कलश को वहाँ पर रखा जाए, क्योंकि 29 वर्षों तक गौतम बुद्ध वहाँ रहे। ... (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सभापति महोदय, हर साल की तरह इस बार भी मैं अपने क्षेत्र में कटाव की चिन्ता कर रहा हूँ। बारिश आते ही सैकड़ों गांवों में जमीन, घर कट जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कटाव को रोकने के लिए जो एम्बैंकमेंट की जरूरत है, वह कराएं और महानन्दा बेसिन का काम अगले दो सालों में कराएं।

साथ ही, मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों की जमीनें बर्बाद हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, कागज-पत्र भी बर्बाद हो जाते हैं, उनको सही मुआवजा दें, घर बनाने का पैसा दें और कागज भी दुरुस्त कराएं। यह मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ। चूंकि अभी बरसात आना बाकी है, यही वक्त है जब यह काम होना चाहिए, इसलिए जल्द से जल्द उचित फण्ड मुहैया कराया जाए, ताकि एम्बैंकमेंट, ठोकर इत्यादि बन सकें और महानन्दा प्रोजेक्ट में जरूरी राशि दी जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया।

18.01 hrs

(Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, I shall be very brief. I have great respect and good relation with the hon. Chief Minister of Uttar Pradesh. Two days back he made a comment that people ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, यह उचित नहीं है। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, मैंने किसी का नाम नहीं बोला है। ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, यह सही नहीं है, फिर तो आपका नाम लेकर भी चर्चा होने लगेगी स्टेट असेम्बली में । ... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : What wrong have I said?

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, अखबार में कही हुई बातों को यहां डिसकस नहीं कर सकते हैं । ... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: वह इस सदन के सदस्य भी नहीं हैं । ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : कर सकते हैं । ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, आप मेरी बात सुनिए । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please do not take names.

माननीय सभापति : आप कंटीन्यू कीजिए ।

... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am not taking any name. You know the rules.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर कोई दूसरा नहीं है । ... (व्यवधान)

सर, जब यूपी सीएम कह दिया तो कोई दूसरा यूपी सीएम थोड़े ही है । यह गलत है । ... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Please listen to me. ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, यूपी सीएम तो एक ही है आदित्यनाथ योगी – । ... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Let me say it in another way ... (*Interruptions*) Sir, you know that the States of West Bengal, Kerala and Jammu and Kashmir ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : नहीं सर । वेस्ट बंगाल की हालत बहुत खराब है । मैं वहां घूमकर आया हूं । मालदा, मुर्शिदाबाद आदि सब जगहों पर हिन्दू रह नहीं सकते हैं । फैक्ट यही है । ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, मैं बोलूंगा । ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, वहां कलियाचक नाम की एक जगह है, जहां 97 प्रतिशत... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, क्या यहां विरोधियों का गला घोट दिया जाएगा? क्या बीजेपी के लोग यहीं करेंगे? ... (व्यवधान) Will you allow it?

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, यह गलत है । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Nishikant Dubey ji, I will give the opportunity to you.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, क्या इस तरह से डिसकशन होगा? हम सभी लोग सीनियर हैं । ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : होगा । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Nishikant Dubey ji, this House is witness to a series of incidents where the political events taking place outside have been raised in this House. The question is whether it is unconstitutional or against the Rules. If it is so, then definitely that will be looked into. He is not mentioning any name. I will give you an opportunity and you can then counter the argument. There is no problem in that. Please make your submissions within the rules.

डॉ. निशिकांत दुबे: नहीं, सर । इस तरह की बातें नहीं हो सकतीं । ... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : I am raising the matter in a very proper way ... (Interruptions) Sir, you have given a good ruling.

The States of West Bengal, Kerala and the Union Territories of Jammu and Kashmir are three important States and Union Territories of the country.

डॉ. निशिकांत दुबे : हाँ, हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में सब बांग्लादेशी घुस गए हैं। यह तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल को ऐसा बना रहा है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : ये लोग वहां से हारकर भाग आए। ...*(व्यवधान)*

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मालदा और मुर्शिदाबाद की हालत बहुत खराब है। वहां हिन्दू रह नहीं सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

HON. CHAIRPERSON: Now, let us confine ourselves to his submissions. Hon. Member please conclude now.

PROF. SOUGATA RAY : I am not being allowed to speak...*(Interruptions)*

माननीय सभापति : अब आप खत्म कीजिए।

... *(व्यवधान)*

HON. CHAIRPERSON: We have to now take up the Half-an-hour discussion.

प्रो. सौगत राय : ये बंगाल हारकर आए हैं। इनको शर्म नहीं है। ...*(व्यवधान)* ये पश्चिम बंगाल में हार गए हैं। गिरिराज सिंह भी गए थे, वहां से ये भी हारकर आए हैं। ...*(व्यवधान)*

HON. CHAIRPERSON: Item No. 23, Half-an-Hour Discussion, Shri Bhartruhari Mahtab.

... *(Interruptions)*

PROF. SOUGATA RAY : All I want to say is that I strongly condemn the statement which the Chief Minister of UP made regarding Kerala and West Bengal.... *(Interruptions)*

**LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE
ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC
IMPORTANCE**

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Pradyut Bordoloi Dr. Shashi Tharoor Shri N.K. Premachandran Kunwar Danish Ali Adv. Dean Kuriakose Shri Benny Behanan Shri Kodikunnil Suresh Shri V. K. Sreekandan Shri Hasnain Masoodi	Shri Dhanush M. Kumar Dr. DNV Senthilkumar S.
Shri Su. Thirunavukkarasar	Shri Dhanush M. Kumar Dr. DNV Senthilkumar S. Shri B. Manickam Tagore
Shri Syed Imtiaz Jaleel	Shri Dhanush M. Kumar Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar
Shri Ritesh Pandey	Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar
Shri Rajendra Agrawal Shri Hanuman Beniwal Shri Bhartruhari Mahtab Shrimati Navneet Ravi Rana	Shri Malook Nagar

Shrimati Sumalatha Ambareesh	Shri S. C. Udasi Dr. Nishikant Dubey Shri Malook Nagar
Shri Dhanush M. Kumar	Dr. DNV Senthilkumar S.
Dr. Nishikant Dubey	Shri S. C. Udasi
Shri Uday Pratap Singh	Dr. Nishikant Dubey Shri Jagdambika Pal
Shri Ramcharan Bohra	Shri Nihal Chand Chouhan

18.08 hrs

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Beneficiaries under PMAY-G

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to raise a discussion on the points arising out of the answer given by the Minister of Rural Development.

... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): It is constitutionally wrong.....

(*Interruptions*) I strongly condemn whatever he has said in the statement

(*Interruptions*)

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : सभापति महोदय, ... (व्यवधान) । दादा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि आप बैठ जाएं । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मिनिस्टर साहब, प्लीज आप इधर एड्रेस कीजिए ।

... (व्यवधान)

श्री गिरिराज सिंह : सभापति महोदय, मैं महताब साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं । महताब साहब एक अनुभवी सांसद हैं । अनुभवी सांसद होने के नाते ... (व्यवधान) । दादा, महताब साहब को डिस्टर्ब न कीजिए ... (व्यवधान) । आपका माइक बंद हो गया है । आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि आप बैठ जाएं । ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray, your issue has already gone on record. Please be seated. It has already gone on record.

... (*Interruptions*)

श्री गिरिराज सिंह : दादा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा । ...
(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: It has already gone on record. Please be seated. Please cooperate with the Chair.

... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: It is constitutionally wrong. I condemn his statement..... (*Interruptions*)

श्री गिरिराज सिंह : सभापति जी, मैंने पहले ही कहा है कि माननीय महताब साहब सदन के एक अनुभवी सांसद हैं और इन्होंने विषय उठाया था । वह पूरी स्थिति से भी अवगत हैं कि प्रधान मंत्री आवास योजना का किस ढंग से आकलन किया गया और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया । मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहूंगा । जब प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम सबको घर देंगे तो वर्ष 2011 के डेटा के मुताबिक, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ... (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am yet to get a copy of the statement of the hon. Minister. ... (*Interruptions*)

Secondly, let me raise the issue and subsequently, the hon. Minister can give his statement. ... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY : Please supply the statement to Shri Bhartruhari Mahtab. Their names are there. They should be given a copy of the statement. आप भर्तृहरि महताब को बोलिए कि कॉपी दे दीजिए । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I think you have already put the question. That is why....

... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I only mentioned the item number.

HON. CHAIRPERSON: Sorry. Please continue.

श्री गिरिराज सिंह : माननीय सभापति महोदय, आपने आदेश दिया, इसलिए मैंने इस विषय को रखा। महताब साहब, आप अपना विषय उठाएं, मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब : सर, उस समय थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, इसलिए. There was a little bit of miscommunication. मैं इस हाउस को यह बताना चाहता हूँ कि 8 तारीख को क्वेश्चन-आंसर के समय हमारे प्रश्न के ऊपर मंत्री जी ने बताया था।

सभापति महोदय, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि 31 मार्च, 2018 को प्रारंभिक समय सीमा के साथ अतिरिक्त छुटे हुए परिवारों की पहचान के लिए आवास प्लस सर्वे सीमा को चार बार बढ़ाया गया है। मैं यह ओडिशा के संबंध में कह रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके आदेश 30 जून, 2018, 30 सितम्बर, 2018, 30 नवम्बर, 2018 और 7 मार्च, 2019 से चार बार समय बढ़ाया गया है। एक वर्ष का समय देने के बाद आठ लाख, 17 हजार आवास एलॉटेड हैं, जिन्हें इन्होंने एलॉट नहीं किया है। यह मंत्री जी का उस दिन का वक्तव्य हाउस में है। उन्होंने जो चार डेट्स बताए थे, मैं उन चार डेट्स पर डिसप्यूट नहीं कर रहा हूँ। हमारे सामने तीन चीजें हैं। मैं ओडिशा के बारे में अपनी बात हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। Identification of eligible but left-out families could not be completed because of preoccupation of field functionaries in the General Election 2019 work for both Parliament and State Assembly. आपने जो चार डेट्स दिए हैं, वे चार डेट्स हैं नज् –, सितम्बर, नवम्बर और मार्च। उस समय के छः महीने पहले से ही टोटल इलेक्शन प्रॉसेस शुरू हो जाता है और पंचायत के कर्मचारी एवं जिला के अधिकारी लोग enumeration के वोटर लिस्ट तैयार करने एवं अन्य कामों में जुटे रहते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ।... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, मुझे जाने की अनुमति दीजिए।

माननीय सभापति: धन्यवाद मुलायम सिंह जी।

श्री भर्तृहरि महताब : आज भी ओडिशा में नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत है। अभी वहां 30 जिले हैं। एक जमाना था, वर्ष 2017-18 में 17 जिले left wing extremists-affected districts थे और इसके साथ वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। वर्ष 2019 में फणी साइक्लोन आया। हमारी वोटिंग पूरी हो गई, पर काउंटिंग नहीं हुई थी। उस अप्रैल महीने के अंत में काफी जोर से साइक्लोन आया, उस साइक्लोन का नाम फणी था। उसने करीब 14 जिलों को अफेक्ट किया। Immediately after the cyclone, प्रधानमंत्री जी ओडिशा गए थे। वहां हमारे ओडिशा के मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक जी ने प्रधानमंत्री जी का अटेंशन ड्रा किया कि फणी से अफेक्ट होने के कारण, जो कोस्टल एरियाज हैं, पहले से भी इंदिरा आवास योजना के तहत जो घर मिले थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिले थे, वे सारे धाराशायी हो गए हैं। वे गरीब हो गए हैं, उनके लिए पक्के मकान की आवश्यकता है। इसलिए आप कुछ ज्यादा मंजूर करिए। एक लाख, 84 हजार मकान केन्द्र सरकार के यहां से मंजूर हुए हैं, पर अब तक हमारे ओडिशा में एलॉट नहीं हुए हैं। इसलिए Identification of eligible households through जो आवास प्लस पोर्टल के बारे में कहा गया है, यह जो विंडो खुली थी, वह 7 मार्च, 2019 तक ही खुली थी। State could not complete the identification within the scheduled time because of preoccupation of Government machineries in General Election 2019 work and network connectivity issue, जिसके बारे में मैंने कहा है। After the cyclone Fani, the Awas Plus window was opened during September and October, 2019 for a period of one month only.

वह दो स्टेजेज में हुआ था। आपने सितम्बर में कहा था और उसे खत्म होते-होते दशहरा आ गया। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार में दशहरा अच्छी तरह से मनाया जाता है और अक्तूबर-नवम्बर महीने में दिवाली व अन्य त्योहार आ जाते हैं। उसी समय आपने यह विंडो खोलने का टाइम दिया है, उसमें काम नहीं हो पाया। ये सारी दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि केन्द्र सरकार को ये सारी बातें ओडिशा सरकार की ओर से नहीं बताई गई थीं, वे सारी बातें बताई गई थीं।

Odisha has requested the Ministry of Rural Development time and again for opening of Awas Plus window for a period of one month more to cover the other eligible households. Since Awas Plus window was not opened, the State identified, on its own, the eligible households which could not be enlisted in the Awas Plus List, through the State developed rural housing portal. The details of 6.65 lakh eligible households are entered in the rural housing portal.

Sir, the Ministry of Rural Development allotted a target of 8,17,000 houses to Odisha in the year 2021-22 and for this, the hon. Chief Minister has written a letter and expressed his gratitude to the Prime Minister in the month of December last year.

I mentioned about this the other day also. I hope the Minister will appreciate that the problem today is, those households that have been identified were for Fani cyclone affected districts. Fani cyclone districts are the coastal districts of our State. He will definitely say, 'I am yet to see the statement'. But the other day when he was replying, he said, हमने आपको एलॉट कर दिया, पर आपने डिस्ट्रिब्यूट नहीं किया, क्यों नहीं किया? इससे एक डिस्क्रीपेंसी होती। कल आपकी पार्टी के लोग घूम-फिरकर यही

कहते कि आपने कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रिब्यूट कर दिया, लेकिन हमारे जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको नहीं दिया। वास्तव में, फेनी के लिए जो आइडेंटिफिकेशन हुआ था, वह प्रधानमंत्री के एलोकेशन करने के बाद, वह केवल 14 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है और बाकी जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं, जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कम्पैरिटिवली जो अंडर-डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है।

इसलिए आज मेरा यही कहना है कि आप विंडो खोलिए। अब धीरे-धीरे नॉरमैलसी आ रही है, सिस्टम चल पड़े हैं, सौ परसेंट वर्कर्स काम पर आ रहे हैं। अभी मौका है। अभी तो पंचायत इलेक्शन भी चल रहे हैं। अगर आप 10 तारीख के बाद 15 दिनों के लिए या एक महीना के लिए विंडो खोल दें, तो ओडिशा ने जो लिस्ट तैयार रखी है, उसे वह आपके पास भेज देगा।

अभी हाल ही में आपने कर्नाटक को विंडो दिया हुआ था। कर्नाटक को विंडो देने से करीब 18 लाख पीएमएवाई के तहत आपने आवास मंजूर किए हैं। मुझे दूसरे राज्यों के बारे बताने की आवश्यकता नहीं है। ओडिशा की जो दिक्कतें हैं, उनके बारे में तीन साल से हम केन्द्र सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि जब हमारी पार्टी की ओर से उनसे निवेदन किया गया था, तो उन्होंने तत्काल हमें टाइम दिया और इसके बारे में उन्होंने एक बैठक भी कराई। यह अलग बात है कि 20 तारीख को जो लास्ट बैठक थी, अस्वस्थ होने के कारण मैं उस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया। फिर भी, इन्होंने बाकी लोगों को समझाया कि क्या दिक्कतें हैं और इन्होंने हमारे अध्यक्ष का ध्यानाकर्षण किया था। इसमें तीन चीजें हैं। Please allow migration of 6.65 lakh eligible households identified through the rural housing portal to Awas Plus List, sanction 1.84 lakh PMAY-Grameen special houses for the Fani cyclone affected families] and also open the Awas Plus window for one month to cover the

eligible households which might have been missed from Awas Plus List and rural housing portal.

These are my three questions on which I would like to have answers from the hon. Minister. Thank you

HON. CHAIRPERSON : Thank you very much, Shri Mahtab-ji.

Now, four other Members are also allowed to seek clarification or putting questions. So, I would request you to please confine to your specific questions.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय सभापति जी, हम लोक सभा अध्यक्ष जी के आभारी हैं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोटी, कपड़ा और मकान, जो भारत की बेसिक समस्याएं थीं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। माननीय मंत्री जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम दोनों 30-32 सालों से पारिवारिक हैं। मंत्री जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं सांसद बनकर वर्ष 2009 में आया तब इसके लिए बजट 35 हजार करोड़ रुपये था। बाद में 45 हजार करोड़ रुपये हुआ और उसके बाद 65 हजार करोड़ रुपये हुआ। लेकिन जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने, तब उन्होंने इस बजट को एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये किया। इसे नोशनल नहीं किया, इन्होंने सचमुच किसी को लखपति बनाने के लिए मकान कैसे बनाया जाता है, वह किया।

महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के सबसे जरूरतमंद लोग ऐसे हैं, जिनके पास लैंड नहीं है। इसमें लैंड एक्वायर करने के लिए राज्य सरकार के साथ ज्यादा सुविधा नहीं दी गई है। जो बेसिक उद्देश्य है कि हमें गरीबों को घर देना है, उसके लिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस योजना में राज्य सरकार के साथ ऐसी स्थिति बनाइए जिसमें राज्य सरकार या तो लैंड एक्वायर करके दे या आप उस लैंड को एक्वायर करने के लिए पैसा दें। मेरे मित्र उदासि जी के क्षेत्र के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये मिले हैं और पूरे कर्नाटक को 18 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। जीआईएस जिओ टेगिंग के तीन प्रोसेस हैं। उसका प्रोसेस है कि पहले पंचायत से होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से यहां आता है। इस कारण यह प्रोसेस इतना लम्बा हो जाता है कि उसका परपस खत्म हो जाता है। यह बहुत मुश्किल तरीका है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। हम जिस जिले से आते हैं वह एस्प्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है। आप भी मानते हैं कि 114-115 जिले ऐसे हैं। हमें एस्प्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। हम जिस इलाके से आते हैं, मंत्री जी संयोग से वहां से वाकिफ हैं। प्रत्येक साल इस इलाके में आग लग जाती है। यदि वह बीपीएल नहीं है

या इस योजना के लिए पात्र नहीं है, तो आग लगने के बाद उसका पूरा घर खत्म हो गया। आपको आग लगने वाले घर के लिए भी अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। इसी तरह से बारिश या बाढ़ की स्थिति भी है। उनके लिए भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, पहले इंदिरा आवास के नाम से ...* कांग्रेस पार्टी देती थी, वह घर नहीं बन पाया या कागज पर ही बना हुआ है। उन जिलों में जब हम दिशा कमेटी की मीटिंग लेते हैं तो पता चलता है कि उन्हें घर कभी नहीं मिला। क्या ऐसे पुराने केसेज को पूरा करने के लिए आप नया फंड दे रहे हैं?

माननीय सभापति : लैंड की प्रॉब्लम है। लैंडलेस, होमलेस बहुत बड़ा मामला है। केरल में एक स्कीम है, उसमें लैंड को परचेज करना, अलाट करना है।

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Gaurav Gogoi.

* Not recorded

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): One minute, Sir.

Sir, as you said and also as Shri Nishikant Dueby explained, there are two types of persons.. One is a homeless person where he does not have land; and the other is where one is having land. लैंडलेस के लिए जैसा दुबे जी ने बताया for landless persons, as he said, you should give directions to the State Governments. कई जगहों पर लोकल पंचायतों में गवर्नमेंट लैंड नहीं होती है और he has to acquire it from private party. Now, the land cost has also gone up. So, to acquire land, if the Government land is there, the District Administration will acquire it through the Government. They will allot sites to the site-less. But when there is no Government land available, the State Government has to acquire it from a private party. उसके लिए प्रावधान और कास्ट शेयरिंग यदि भारत सरकार करती है, तो बेहतर होगा।

श्री भर्तृहरि महताब : फारेस्ट लैंड ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत होती है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): धन्यवाद सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय बिहार से आते हैं, इसलिए बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ और कटाव की जो समस्या होती, है उस समस्या से वह वाकई बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। वही समस्या देश के विभिन्न राज्यों में है और वही समस्या असम में भी है। वे लोग, जो बाढ़ और कटाव से ज्यादातर प्रभावित होते हैं, क्या उनको विशेष रूप से सहायता दी जा सकती है? क्या उनको प्राथमिकता दी जा सकती है? आप भी यह महसूस करते होंगे कि जो बिहार और असम के कटाव प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के लोगों की किस प्रकार से मदद की जाए। महोदय, हमारे यहां असम में जनजाति के जो लोग हैं, वे अपने घर को पिलर्स पर बनाते हैं, ताकि बाढ़ के समय यदि पानी भी आए तो उनको अपना घर न छोड़ना पड़े, क्योंकि उनके घर थोड़े ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन ऐसे घर बहुत कमजोर होते हैं। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं होते हैं। बाढ़ में इस तरह के घरों

को बहुत नुकसान हो जाता है। जो दूसरे डिजाइन्स के घर हैं, जो फ्लड का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्या उनके डिजाइन्स को भी हम प्रधान मंत्री आवास योजना में रख सकते हैं? इस मुहिम का उद्देश्य हाउसिंग फॉर ऑल है। जब हम बाढ़ और कटाव से प्रभावित लोगों को घर नहीं दे सकते, तो फिर इस मुहिम का सपना कि सबको घर मिले, वह कैसे सच होगा?

महोदय, आज हो यह रहा है कि ये लोग जो बाढ़, कटाव के कारण बिखर जाते हैं, वे कहीं और जाकर अपना घर बनाते हैं। उनके पास न कागज होता है और न ही उनके पास कोई ठोस सबूत होता है। अंततः एक समय के बाद सरकार का बुलडोजर आ ही जाता है। जब सरकारी बुलडोजर आता है तो फिर इनको दोबारा रिफ्यूजी की तरह टिन की छत के नीचे रहना पड़ता है। आखिर हम कौन सी मुहिम की तरफ जा रहे हैं? अगर हमने वास्तव में हाउसिंग फॉर ऑल का सपना देखा है तो फिर अगर कोई तकनीकी समस्या है, चाहे वह भूमि अधिग्रहण को लेकर हो, डिजास्टर को लेकर हो, उसका हम ब्यूरोक्रेटिक तरीके से ऐसा हल क्यों नहीं निकालते हैं कि यह हमारा हर साल का टारगेट है और इस टारगेट को हमें मीट करना है? ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको आप और हम सब देखते हैं, उनका हम कैसे समाधान कर सकते हैं? कटाव और बाढ़ के कारण बेघर होकर जो लोग एनक्रोचमेंट में रहते हैं, तो सबसे पहले बुरी नजर उन पर पड़ती है। असम में सबसे पहले उनको ही बुरी नजर से देखा जाता है। अगर ये समाज के किसी विशेष वर्ग से हैं, तो उनके घरों पर सबसे पहले बुलडोजर चलाया जाता है। इस वजह से यह एक सामाजिक समस्या बन गयी है। समाज में एक तरह से तनाव भी पैदा होता है, जब समाज का विशेष वर्ग, चाहे वह जनजाति का हो या माइनॉरिटी का हो, उनके घरों पर सबसे पहले बुलडोजर चलता है।

महोदय, बाढ़, कटाव और डिजास्टर को लेकर मेरे क्षेत्र के अलावा बहुत से क्षेत्रों, जैसे चेन्नई में आप देखें तो अनसीजनल रेन और हिल स्टोन्स के कारण वहां तथा मेघालय, असम आदि में बहुत-से घर आज टूट चुके हैं। अतः नैचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड घरों को लेकर क्या प्रधान मंत्री आवास

योजना में हम थोड़े-से अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, ताकि यह और बढ़िया, बेहतर और कॉम्प्रीहेन्सिव स्कीम हो? धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री संजय काका पाटिल जी - (उपस्थित नहीं)

श्री हसनैन मसूदी जी।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : शुक्रिया चेयरपर्सन साहब । हरेक वेलफेयर स्टेट का यह लक्ष्य होता है कि जो शेल्टर लेस हैं, जो हाउस लेस हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाए, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसेज उपलब्ध कराए जाएं । अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइम मिनिस्टर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है । इससे पहले भी इस पर फोकस रहा है, लेकिन हमारी परेशानी है कि जो भी वेलफेयर स्कीम अनाउंस होती है, उसके लक्ष्य अचीव नहीं होते हैं । जैसे कि आप देखिए कि प्रधान मंत्री आवास योजना (अर्बन) में 1 करोड़ 14 लाख का टारगेट बनाया गया, लेकिन केवल 52 लाख ही अचीव हो सका । यह अचीवमेंट 50 परसेंट से कम रहा । हमारे पास रूरल के जो फिगर्स हैं, वे फेक हैं, वे सही नहीं हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से लोग क्यू में खड़े हुए हैं, लेकिन खिड़कियां नहीं खुल रही हैं । मैं तो कहता हूं कि जेहन की भी खिड़की खुलनी चाहिए और इसकी भी खिड़की खुलनी चाहिए, पोर्टल खुलने चाहिए । एप्लिकेशन्स अपलोड नहीं हो रही हैं । वे लोग जो पूरी तरह से एलिजिबल हैं, वे इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं । अतः अफोर्डेबल हाउसिंग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसे हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं । हमारे यहां पुलगाम, शोपियां, अनन्तनाग और पुलवामा में हजारों लोग क्यू में हैं और इंतजार में हैं कि कब खिड़की खुले, कब पोर्टल में उनके आवेदन अपलोड हों ।

यह मेरी पहली गुजारिश होगी । जैसा कि महताब जी ने कहा कि यह खिड़की का, जो पोर्टल का मामला है, एक बार एक सीमित वक्त के लिए इसे खोलिए । जो दूसरी बात है, जो आगे जायज की बात कर रहे हैं, मैंने फील्ड में देखा है कि क्या हो रहा है? उसमें एक बार चीं नहीं किया तो फिर वह अपना प्रयास नहीं कर सकता है । देखिए, जब तक वह क्यू में खड़ा है, जब तक उसका सैंक्शन होता है तब तक वह दायें-बायें से कुछ रकम जोड़कर बुनियाद बनाता है, अन्य कुछ बनाता है । ये कार्यकर्ता जो हैं, विलेज डेवलपमेंट वर्कर जो हैं, वे आकर उससे कहते हैं कि आप इनएलिजिबल हो गए, क्योंकि आपने खुद एक प्रयास किया है । यह डिसेबिलिटी खत्म होनी चाहिए ताकि वे अपने प्रयास से भी थोड़ा-बहुत शुरुआत करे, क्योंकि जो स्काईरॉकेटिंग प्राइजेज़ हैं, तैइमियर करने की जो कीमत है, वह

बढ़ती जा रही है। हरेक का प्रयास होता है कि जब तक मुझे सवा लाख रुपये की सहायता मिलती है तब तक मैं कुछ न कुछ अपने से प्रयास करूँ। यह जरूरी है। पहले जो विंडो है, हर एक विंडो, जेहन की भी और यह विंडो भी खुलने की बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, मैं भी साथ ही साथ बोल लेता हूँ। ...(व्यवधान) मैं मेंबर भी हूँ। ...
(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, only those Members, who have given their notices, will be allowed to speak.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let the hon. Minister reply. After that, you can seek your clarification. मंत्री जी के बोलने के बाद आपका कोई क्लेरिफिकेशन हो तो पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।

मंत्री जी, आप बोलिए।

... (*Interruptions*)

श्री गिरिराज सिंह : महोदय, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि माननीय महताब साहब के प्रश्नों का जवाब देकर मैं इसे कनक्लूड करूँगा। हमारे सदन के जिन माननीय सदस्यों को आपने बोलने का मौका दिया है, चाहे माननीय निशिकांत जी हों, चाहे गगोई जी हों, उदासि जी हों, मसूदी साहब हों, जो लोग हैं, सबने अपनी भावना को अपने-अपने ढंग से रखने का काम किया है। मैं आपसे यही कहूँगा, मैंने तो सोचा था, मैंने पहले ही कहा कि मैं केवल ओडिशा की बात कहकर, लेकिन अब आप मुझे इस सदन में अपनी बात रखने की इजाजत दें, मैं थोड़ा-सा समय, दो-चार मिनट ज्यादा ले लूँगा।

महोदय, मेरे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि यह विकास केवल मेरे कारण नहीं हुआ है, विकास पहले से भी लोग करते रहे हैं। जिस इंदिरा आवास योजना की चर्चा आई, उसमें क्या था? इंदिरा आवास योजना में 75 हजार रुपये थे, माननीय सांसद ने जिक्र किया है।

जब मोदी जी को लगा कि 75 हजार रुपये में वह आवास नहीं बन सकता है तो उन्होंने वर्ष 2016 में कहा कि सबको हम घर देंगे। सबको घर देने की बात हुई। इंदिरा आवास का कार्यक्रम 30 साल से चल रहा था। लोगों को मिला, जितने को हो सका, कुछ का छूटा, जैसे कहा कि छूटा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मोदी जी किस ढंग से गरीबों के साथ जुड़े हैं, मैं उसे बाद में आपके सामने रखूँगा। वर्ष 2016 में मोदी जी ने जब संकल्प लिया, तो कोई न कोई एक आधार होगा, महताब साहब ने बड़े अच्छे ढंग से, विस्तृत ढंग से पूरी बात को रखा। वह आधार सोसियो इकोनॉमिक सेंसस 2011 हुआ। उसको देखकर यह 4.03 करोड़ आया। यह 4.03 करोड़ हमने राज्यों को भेजा। राज्यों ने क्या किया, कहा मेरे यहाँ बन गया या अपात्र हैं और उन्होंने 2.95 करोड़ की सूची हमें दी। मैंने तो 4.03 करोड़ का लक्ष्य लिया था। हमने उसको, प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में ले जाकर 2.95 करोड़ की योजना बना ली।

जब योजना बन गई तो राज्यों को आवंटित करना स्वाभाविक था। जब राज्यों को आवंटित किया तो 3.57 करोड़ की फिगर्स आ गई। अब देखिए कि हमने 4.03 करोड़ दिया और आपने उसको शुद्ध करके 2.95 करोड़ दिया। जब हम आपको 2.95 करोड़ दे रहे हैं, तब आपने 3.57 करोड़ दिया, तब तक कैबिनेट से यह योजना 2.95 करोड़ की पास हुई। इन्होंने फिर उसमें शुद्ध-अशुद्ध करके 2.95 में से 2.15 करोड़ कहा। हम 80 लाख किसको दें, क्योंकि सोशियो इकोनामिक कास्ट्स सेंसस को आपने अपने ढंग से संशोधित किया। उसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कमेटी बनी कि कौन लोग होंगे, जिनके पास घर नहीं होगा या मजदूर होंगे। उसके बाद री-सर्वे हुआ। इस प्रकार 80 लाख राज्यों को सुपुर्द किए और इसी का नाम आवास प्लस दिया। मैं इंदिरा आवास योजना की भी चर्चा करूँगा।

अब मैं खास कर ओडिशा की चर्चा करता हूँ, जिस पर बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी बेबाकी से इन्होंने सारी बात को रखा। राज्यों को चार बार समय दिया गया कि आप आवास प्लस के 80 लाख मकान अपने-अपने आवास पोर्टल पर जारी करें। उसमें इन्होंने अपनी बात कही कि हम जारी नहीं कर पाए। यह राज्यों से गलती हुई, जो जारी नहीं कर पाए।

श्री भर्तृहरि महताब : मैंने कारण भी बताए।

श्री गिरिराज सिंह : हाँ, कारण भी बताए। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने अपनी बात रखी है कि चुनाव हुआ, यह हुआ ...(व्यवधान) मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ। महोदय, जब पहली बार 4.03 करोड़ था, तो ओडिशा का लक्ष्य 41 लाख 72 हजार 720 हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं हमारे पास इतने नहीं हैं। उन्होंने 27 लाख 64 हजार 146 संशोधित करके दिए। ये पात्र परिवार श्रेणी में आए। कैबिनेट में पास होने के बाद फिर इनको लक्ष्य दिया तो 27 लाख 64 हजार 146 में से केवल 18 लाख 36 हजार 613, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है। अब आप बताइये कि मैंने तो पूरे देश के साथ एक ही व्यवहार किया। चाहे झारखंड हो, वैसे मेरे पास सारे राज्यों

के आंकड़े हैं। अभी कर्नाटक की चर्चा हुई है। कर्नाटक, ओडिशा शुरू से अंत तक हमारे पोर्टल के साथ जुड़े रहे। कर्नाटक ने अपना पोर्टल बनाया था और स्टेट पोर्टल पर उसने सारे नाम एकत्रित किए।

उसने हमारे पोर्टल पर नहीं दिया और हमने उनको एलॉट नहीं किया। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले वहां की सरकार एमआईएस पोर्टल का प्रयोग कर रही थी और आवास सर्वे भी कर्नाटक ने अपने एमआईएस पोर्टल पर किया। यह हमारे पोर्टल पर नहीं आया तो हमने उनको नहीं दिया। कर्नाटक ने अपने पोर्टल का प्रयोग कर आवास प्लस सर्वे का काम पूरा किया, परन्तु सर्वे की अंतिम तिथि की समय सीमा 07 मार्च, 2019 थी।

उसमें अपना डेटा नेशनल आवास पोर्टल के साथ नहीं जोड़ पाए तो हमने नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं तो एक भी नहीं ले पाया, आज इलैक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, आप देख लें कि मेरे पोर्टल पर डेट सहित उसी डेट के पहले सब है। तो मैंने डेट के हिसाब से पोर्टल से देने की अनुमति दी। यह पता लगा कि जिस राज्य को एक भी आवास नहीं दिया, उन्हें यह अवसर दिया कि आप अपना डेटा अपलोड करें। ...(व्यवधान) आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ओडिशा को हमने चार बार देश के साथ मौका दिया, दुर्भाग्य से फनी तूफान आया, जिसकी चर्चा हमारे माननीय सदस्य ने की। उसमें भी 15-15 दिनों का किया, लेकिन ओडिशा उस पोर्टल पर भी केवल 14 जिलों के, अगर 30 जिले हैं, तो जो आपके पूरे आंकड़े थे, उन तीस जिलों के आंकड़े थे, तो आपने उस समय काम नहीं किया। मेरा आग्रह होगा कि कर्नाटक की अलग स्थिति थी। हमने इसलिए दिया कि पूरे देश में कर्नाटक ही ऐसा राज्य था, जिसको एक भी नहीं था। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम पूरे देश में एक समानता के साथ कर रहे हैं। हम किसी के साथ न्याय और अन्याय की भाषा या व्यवहार में नहीं करेंगे। महताब साहब को भी कहूंगा कि आपके साथ भी अन्याय न कर रहा हूँ और न ही करूंगा। जहां तक मेरे ऊपर है, केंद्र सरकार की योजना है कि सबको आवास उपलब्ध कराना है, मैंने उसकी पूरी

स्थिति रख दी है कि 74 लाख इंदिरा आवासों को मोदी जी ने पूरा करवाया है। 30 साल में अगर आवास बने, उसको देखेंगे तो 3 करोड़ 26 लाख 30 साल में, मैंने उस दिन भी कहा था और हमने सात साल में 2 करोड़ 46 लाख मकान बनाने का काम किया और उसके लिए राशि भी दुगुनी की है। एक लाख 20 हजार घर के लिए मनरेगा से 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी उसमें एड की है। ... (व्यवधान) इसके अलावा हिली स्टेशन के लिए, जो हिली एरियाज में हैं और एसटी इलाकों में हैं, इन सबके लिए 20 के बदले 30 है। मिला-जुला कर घर भी दिया, राशि भी दुगुनी दी, बिजली भी दी, शौचालय भी दिया और साथ ही साथ उज्ज्वला योजना का लाभ भी दिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अगर मोदी जी की प्रतिबद्धता देखेंगे तो सन् 1985 से 2014 तक प्रति वर्ष केवल 11.21 लाख घर बने। अगर आप देखेंगे तो प्रति माह 94 हजार घर बने। मोदी जी का आंकड़ा देखेंगे तो 35.19 लाख घर प्रति वर्ष बनाने का काम अभी तक हमने किया है और प्रति माह 2.62 लाख बनाए। उन्होंने प्रति दिन 3,073 घर बनाए और हमने 8,581 प्रति दिन बनाने का काम किया है।

अगर साफ देखें तो राज्यों ने हमारे 4.03 करोड़ आवास की सूची में जो काम किया है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने भी ईमानदारी से देखा होगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हमने 2.95 करोड़ आवास को एक योजना में लिया। कई मित्रों ने कहा कि कटाव होता। एक 'हिट एण्ड रन' वाले पार्टी से थे, वे चले गए। गौरव जी ने हिट किया और वे चले गए। अगर वे रहते तो मैं उनकी बातों का जवाब देता। भूमिहीन के लिए राज्यों के सचिव की एक कमेटी है, भारत सरकार बराबर उसकी समीक्षा करती रहती है, उनको प्रेरित करती रहती है। जैसे आपने केरल का उदाहरण लिया, बिहार में भी 60,000 रुपये उन्होंने घर के लिए किया है। ओडिशा में भी कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भूमिहीनों को देने के लिए हम राज्यों के साथ बराबर सम्पर्क में हैं।

माननीय निशिकान्त जी ने जमीन की बात की थी, आकांक्षी जिले की बात की है। यह स्वाभाविक है कि हम आकांक्षी जिलों में सारी योजना को, जो उस जिले में आवंटित लक्ष्य है, उस लक्ष्य में प्रायोरिटी के साथ हम कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि भारत सरकार ओडिशा के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं करेगी, यह मैं आश्चस्त करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let the Minister conclude.

श्री गिरिराज सिंह : मैंने तीनों प्रश्नों का जवाब दिया है। अगर फिर से डिटेल् में कहेंगे तो मुझे फिर उसी भाषा को पढ़ कर सुनाना पड़ेगा।

मैं यही कह रहा हूं कि ओडिशा के साथ न भेदभाव हुआ है और न होने देंगे। यह मैं आश्चस्त करता हूं। मोदी जी का संकल्प है - 'सबका साथ, सबका आवास'।

माननीय सभापति: जगदम्बिका पाल जी, क्या आपका कोई क्लैरिफिकेशन है?

श्री जगदम्बिका पाल: अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से कह दिया है। निश्चित तौर से, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 4.03 करोड़ की हमारे पास सूची आई है और हमने उसका सर्वे करके भेजा है और जिस तरह से उसमें 2.95 करोड़ की आई, उसको दिया, तो निश्चित तौर पर वर्ष 2022 तक आवास देने की सरकार की जो मंशा थी, उसके लिए वह प्रतिबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है। 2 करोड़ 46 लाख को ग्राउण्डेड कर दिया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूं।

उत्तर प्रदेश में जहां पिछली सरकार में, निश्चित तौर पर प्रधान मंत्री आवास था 'जीरो', इस साढ़े चार सालों में योगी जी की सरकार ने 42 लाख हाउसेज बनाए हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: जगदम्बिका पाल जी, आप क्लैरिफिकेशन पूछिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। जैसा कि उन्होंने कर्नाटक के साथ 'दयालु, कृपालु' के रूप में काम किया कि वहां एक भी आवास नहीं हुआ तो उन्होंने इसकी विंडो को खोलकर 18 लाख दिया, इसके लिए मैं कर्नाटक की तरफ से और देश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। . . . (व्यवधान)

ऐसे ही सिद्धार्थ नगर मेरा जनपद है और आकांक्षी जिला है, जैसे हमारे निशिकान्त जी का जिला है, उसके तीन ब्लॉक्स में एक भी आवास नहीं गया है। जैसे इन्होंने कर्नाटक के साथ दया की कि वहां एक भी आवास नहीं गया तो उन्होंने किया, वैसे ही मेरे जिले के तीन ब्लॉक्स में एक भी आवास नहीं गया है, अगर वे उन तीन ब्लॉक्स में आवास को दे देंगे तो अच्छा होगा। आपने दूसरी जगह दिया है, इसलिए ऐसा लगता है कि सारे ब्लॉक्स में आवास बहुत तेजी से मिल रहा है, लेकिन उन तीन ब्लॉक्स में वह पोर्टल पर नहीं आ पाया था। ... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय प्रधान मंत्री जी, मई, 2019 में ओडिशा गए थे और उस हिसाब से ओडिशा सरकार ने 1,84,000 पी.एम.ए.वाई. आईडेंटिफाई किए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एस्योर किया था। क्या वह एस्योरेंस आप नहीं मानेंगे? उसके साथ छः लाख के लिए पी.एम.ए.वाई के विंडो खोलने की बात थी। आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ 94 लाख पी.एम.ए.वाई. आवासों की मंजूरी हुई है।

श्री गिरिराज सिंह : सभापति जी, माननीय महताब साहब से मैंने आग्रह किया है और सदन से भी कहा है कि ओडिशा के साथ हम कोई भेदभाव नहीं होने देंगे।

18.51 hrs

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

**Welfare measures for Anganawadi workers and
Anganwadi helpers-Contd...**

HON. CHAIRPERSON: We have to resume the Private Member's Resolution.

Shri Rajendra Agrawal Ji has to resume his speech.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, श्री रितेश कुमार पाण्डेय जी द्वारा जो प्रस्तुत प्रस्ताव है, वह वेलफेयर ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में है। इसके संबंध में, मैं पिछले सत्र में बोल रहा था। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और निवेदन करना चाहता हूँ। महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिस बात का मैंने अपने पिछले भाषण में भी उल्लेख किया था।

माननीय सभापति : इस सेशन में आपका मेडेन स्पीच है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : जी।

महोदय, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। खासकर जिसको हम लास्ट माइल डिलीवरी कहते हैं, उसके संबंध में होती है। चाहे वह पोषण का विषय हो, चाहे चाइल्ड केयर का विषय हो, चाहे न्यू बॉर्न बेबीज का विषय हो, चाहे लैक्टेटिंग मदर्स का विषय हो, अब एन.ई.पी. के अंदर जो छोटा बच्चा है, उसकी चिंता करना भी एक प्रकार से आंगनवाड़ी के माध्यम से होने की योजना बनाई गई है। उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नियमित स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके अंदर वे अपना रोल अदा करती हैं। आकस्मिक संकट के समय में भी, जैसा कि कोविड की वैश्विक महामारी आई, उसमें भी उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया है।

महोदय, यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना संकट पर विजय प्राप्त की गयी या उसको नियंत्रित किया गया या उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रभावी काम हुआ। प्रत्येक दृष्टि से जो काम हुआ है, उसका दुनिया में उदाहरण दिया जाता है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, वह पूरे देश के अंदर अनुकरणीय है और एक उदाहरण बना है। आईआईटी, कानपुर ने उसके विषय में एक रिपोर्ट बनाकर भी दी है। डब्ल्यूएचओ ने भी उसकी तारीफ की है। इन सारे कामों के अंदर, जैसा मैंने कहा कि नियमित सेवाओं में भी और तात्कालिक दृष्टि से जो समस्या पैदा होती है, जैसे कोविड की समस्या हुई, उसमें भी आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सरकार ने भी इसको मान्य किया है। इसको रेकगनाइज़ भी किया है। उसी क्रम में अनेक प्रकार की जो उनकी सुविधाएँ हैं, वह भी प्रदान करने का प्रयास सरकार ने किया है। यह विषय निश्चित रूप से स्वास्थ्य का, खासतौर से प्राइमरी हेल्थ केयर का विषय है। इसमें केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का विषय रहता है। इसमें प्रदेश सरकार की भी भूमिका है। अलग-अलग स्तर पर प्रदेश सरकारें क्या-क्या करती हैं, यहाँ मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहूँगा। मुझे उतनी जानकारी भी नहीं है कि प्रत्येक प्रदेश सरकार ने क्या किया है?

महोदय, यदि हम केन्द्र सरकार के स्तर पर देखें तो वर्ष 2018 में भी, पहले उनको तीन हजार रुपये ऑनरेरियम दिया जाता था, उसको माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 4500 रुपये किया। इससे उनको आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सपोर्ट मिला। यदि उन्होंने कोई विशेष कार्यक्रम किया या कोई सेवा प्रदान की तो उसके लिए भी पाँच रुपये अतिरिक्त देने की व्यवस्था की गई। आप यह देखें कि उनके समस्याओं के विषय में संवेदनशील होते हुए, उनके कार्य के महत्व को स्वीकार करते हुए, इस प्रकार की सुविधाओं का विस्तार क्रमशः प्रत्येक समय में केन्द्र की माननीय मोदी जी की सरकार द्वारा किया गया है। जैसे अभी कोरोना के समय जो हेल्थ वर्कर्स थे, उसमें 22.5 लाख ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं,

जिनको 50 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की गई। हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या आशा वर्कर्स हैं, उनको भी इस दायरे के अंदर लिया गया। आज उनको 50 लाख रुपये का एक सुरक्षा बीमा उपलब्ध है। काम करते समय उनको यह एक सुविधा दी गई है।

अभी इस बजट के अंदर भी, जिसे हमारी वित्त मंत्री महोदया ने प्रस्तुत किया, उसके अंदर भी आंगनवाड़ियों का अपग्रेडेशन किया गया। उसमें एक श्रेष्ठ एवं सक्षम आंगनवाड़ी बनाने की दृष्टि से भी योजना बनाई गई। उसके लिए बजट का आवंटन किया गया है।

यह कोशिश की गई है कि टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़, तीनों स्तर पर उनको मदद मिले और इस प्रकार के बजट का प्रावधान वित्त मंत्री महोदया ने किया है।

संक्षेप में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है, उसके महत्व को सरकार ने स्वीकार भी किया है, उसको सम्मानित भी किया है और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश भी की है।

18.55 hrs

(Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)

रितेश पांडेय जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है, इसके संबंध में मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि यह विषय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों के क्षेत्र के अंदर आता है। इसलिए यह हो सकता है, इस प्रकार का विचार किया जा सकता है कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जिनका काम है या बाल विकास से संबंधित जो विभाग हैं, उनके साथ बैठकर ऐसी कोई योजना बनाए कि इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और अधिक स्थायित्व दिया जा सके। यदि संभव हो तो उनकी नियमित सैलरी की जा सकती है। आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि संसाधनों की कुछ सीमा रहती है। इसकी जो डिमांड है, वह प्रदेश सरकार के द्वारा ही की जाती है, उसे ही इनीशिएटिव लेना पड़ता है। इस संबंध में ऐसी योजनाएं बनाई जाएं कि उनको और अधिक सुविधायें मिलें, वे और अधिक सक्षमता के साथ सेवा कर सकें।

पिछले दिनों कोविड के कार्यकाल के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको मोबाइल दिए हैं, जिससे वे बेहतर आंकड़े रख सकें, बच्चों के आंकड़े रख सकें, माताओं के आंकड़े रख सकें, उनको ठीक प्रकार से सेवायें प्रदान कर सकें। इस प्रकार की अन्य सुविधायें भी दी जा सकती हैं। निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण विषय है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर इसके ऊपर निर्णय करें और उनकी सुविधाओं का विस्तार हो। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति: श्री रमेश बिधूड़ी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री कनकमल कटारा जी।

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): सभापति महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दशा में सुधार के लिए जो कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से रोजगार मिले। उनको मानदेय की जगह वेतन देना निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है। इन्हें स्थायी करना चाहिए। उनको समय पर भुगतान नहीं होता है। उनकी सेवा का कार्य ज्यादा है, मानदेय कम है। उन्हें स्थायी कर मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता इस समय लगती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विषम स्थिति में काम करते हैं।

हमारे यहां दूरदराज में आदिवासी क्षेत्र हैं। वहां आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर अवस्था में हैं। नए भवन के लिए राशि देकर उन्हें बनवाना चाहिए। उनका भुगतान समय पर होना चाहिए। दूरदराज क्षेत्र में कहीं किराये के मकान भी नहीं मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत ही परेशानी होती है। इसके लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का चयन करने की जो प्रक्रिया है, वह उचित समय पर होनी चाहिए। नियमानुसार चयन नहीं होने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशानी होती है, इसलिए इसे समयबद्ध प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध करना चाहिए। धात्री माताएं, गर्भवती माताएं, बच्चे,

उनके वजन और पोषाहार की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो रही है। इसे व्यवस्थित करना चाहिए। पोषाहार को लेकर पूरे देश में परेशानियां आती हैं। निचले स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत परेशानियां होती हैं। उनके ऊपर बहुत से काम लाद दिए जाते हैं। वे बहुत हैरानी सी महसूस करती हैं। उनका मानदेय बहुत कम है। इस समय उनको स्थायी करने की आवश्यकता है। वे कम मानदेय में इसलिए नौकरी करती हैं, कि 'मैं स्थायी रूप से यहां लग जाऊंगी और अपने परिवार का पालन – पोषण कर सकूंगी'। इसी आशा के साथ वे कम मानदेय में भी काम करती रहती हैं।

19.00 hrs

मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। जिस प्रकार की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आंगनवाड़ी केन्द्र पर होनी चाहिए, वह वहां नहीं होती है। उस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र बहुत जर्जर अवस्था में होते हैं इसलिए पूरी राशि का अलॉटमेंट करके नया केन्द्र बनाने की आवश्यकता है, तभी यह काम होगा। चयन प्रक्रिया में राजनीतिक दबाव के चलते साल भर, डेढ़ साल और दो साल तक यह प्रक्रिया चलती रहती है तो वह आंगनवाड़ी सेंटर कैसे चलता होगा? इसलिए चयन की कोई सरल प्रक्रिया बनाई जाए जिससे यह व्यवस्था सही ढंग से चल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय सभापति महोदय, हमारे बीएसपी के मेंबर अभी गायब हैं, जिस प्रस्ताव को लेकर वह आए, मानवता के अनुसार उनको यहां रहना चाहिए था, अगर वह आंगनवाड़ी वर्कर्स के सच्चे हितैषी थे, लेकिन कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से सामने विपक्ष सारा का सारा दिन बैठा हुआ था। इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस आंगनवाड़ी केन्द्र में आशा वर्कर्स काम करते हैं, जिनके बगैर देश चल ही नहीं सकता, आज सवा सौ करोड़ की आबादी में उनके हितों की रक्षा की जाए, उनको एप्रीशिएट किया जाए।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान इनकी एप्रीसिएशन डॉक्टर्स की एसोसिएशन करके ही इस देश को बचाया क्योंकि हमारे यहां पीठ पर हाथ रखने से व्यक्ति ज्यादा मददगार साबित होता है, जान भी देने को तैयार हो जाता है। विपक्ष का एक भी सदस्य इस सेन्सेटिव मुद्दे पर इस सभा से गायब है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती।

HON. CHAIRPERSON : Bidhuri ji, today is the last day of first part of the Session. Many Members from ruling as well as opposition Benches were going back to their constituencies.

श्री रमेश बिधूड़ी: माननीय सभापति महोदय, यह पहले से तय था कि प्राइवेट मेंबर बिल आएगा तो आदमी को उसी हिसाब से अपने कार्यक्रम बनाने चाहिए। यह आज के ही दिन थोड़े तय हो गया कि प्राइवेट मेंबर्स बिल आएगा, इससे पहले शुक्रवार को इतिहास में पहले कभी आया ही नहीं था। यह आदमी की संवेदनशीलता की बात है इसीलिए देश की जनता को नेताओं के ऊपर से 70-75 सालों में भरोसा ही उठ गया था।

धीरे-धीरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज क्रेडिबिलिटी जमाई है और नेताओं के ऊपर लोगों ने विश्वास करना शुरू किया है। इन्हीं हरकतों को देखते हुए लोग नेताओं से फरस्टेटेड हो गए थे।

हमारे समाज के अंदर भारत जैसे देश में, जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जिसका इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से कम था और कुछ घोटालों में गया, 60 सालों से लंबे समय तक देश में घोटाले हुए, वे सुविधाएं इन गरीबों तक नहीं पहुंच पाती थीं। तीन प्रकार के काम आंगनवाड़ी के माध्यम से हमारी बहनें करती हैं और बड़े लार्ज स्केल पर करती हैं। बच्चे के स्कूल जाने से पहले, छह साल तक के बच्चे को एजुकेट किया जाए, उसका पोषण ठीक हो, उसको भली प्रकार से डाइट मिल सके। अगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वह देश का अच्छा नागरिक बनेगा और देश को आगे ले जाने का काम करेगा।

हमारे देश में गरीबी ज्यादा होने के कारण, इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्यादा न होने के कारण, आंगनवाड़ी के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल में यह भी जोड़ना चाहिए, मैं सरकार से बोलना चाहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में अनिवार्य हो। उसके बगैर इस देश की व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर आशा वर्कर्स न हों तो सेवाएं कॉलेप्स हो जाएं देश को संभाला नहीं जा सकता है।

हालांकि आंगनवाड़ी की व्यवस्था सोशल जस्टिस मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 1975 में प्रारंभ की गई थी। लेकिन वर्ष 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे 27 राज्य, जो बहुत ही पिछड़े हुए थे, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मोस्ट बैकवार्ड डिस्ट्रिक्ट थे, जहां सड़कें होना तो बहुत बड़ी बात थी। अगर गर्भावस्था के दौरान किसी बहन को किसी प्रकार की हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो तो एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेशन न होने के कारण क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन दी जानी चाहिए, गरीबी माताओं-बहनों को कहां

से जानकारी होती है, उनको जानकारी नहीं होती थी। आंगनवाड़ी के माध्यम से उनके खाने के लिए, पोषण, दूध, सब्जी, खाद्य तेल और मीठा, ऐसे अनेकों प्रकार की गर्भावस्था के समय डाइट दी जाए। आंगनवाड़ी और समाजिक कल्याण मंत्रालय के माध्यम से डाइट जाती है ताकि बहनें स्वस्थ रहें। इनके स्वस्थ रहने के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का काम आंगनवाड़ी वर्कर्स ही करती हैं।

देश के गरीब लोगों के सम्मान और एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स लोकल होती हैं। इस कारण गरीब माताएं और बहनें उसकी भाषा को आसानी से समझ सकती हैं। हमारे यहां कुछ शर्म होती है, हया होती है गांव और रूरल बैल्ट की महिलाएं अपनी समस्याओं को बताने में हिचकती हैं। वे अपनी समस्याएं लोकल आंगनवाड़ी वर्कर के सामने खुलकर उसके सामने रख सकती हैं। वे इनका मोटिवेशन करती हैं, इनको एजुकेट करती हैं। गंभीर से गंभीर बीमारी होने से पहले अगर जानकारी मिल जाए तो अच्छे डॉक्टर या अच्छे हैल्थ सेंटर में रैफर करने का काम आंगनवाड़ी के माध्यम से समाज में किया जाता है।

महोदय, पहले वृद्ध लोगों को एजुकेशन देने का काम आंगनवाड़ियों के माध्यम से किया जाता था। अब समय में बदलाव आने के कारण माताओं और बहनों को इंजेक्शन लगाने का काम, गर्भावस्था के दौरान बहनों की इस प्रकार की चिंता हो कि वे पोलियोग्रस्त न हों, खसरे जैसी बीमारी न हो, बच्चा कुपोषण के रूप में पैदा न हो, इसके लिए एजुकेशन देने का काम, काउंसलिंग करने का काम आंगनवाड़ी बहनों के माध्यम से किया जाता है।

फैमिली प्लानिंग के बारे में घर-घर जाकर बताया जाता है परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है, चल सकता है। वे फैमिली प्लानिंग के बारे में भी एजुकेट करती हैं। जैसा मैंने कहा रूरल बैल्ट में, गांवों में, दूरदराज क्षेत्रों में, छोटे कस्बों में लोग बसे हैं, इनमें बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, वे घर-घर जाकर सेनिटाइजेशन के यूटिलाइजेशन के बारे में बताकर सेवा करने का काम करती हैं।

महिलाओं में गर्भावस्था के समय और बच्चा पैदा होने के बाद कैसे प्रतिरक्षण क्षमता विकसित की जाए, आंगनवाड़ी वर्कर्स गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए न्यूट्रिशियस और अच्छी डाइट देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और पूरी जानकारी भी देती हैं। कई परिवार रूढ़ीवादी विचारधारा के होते हैं। यह व्यवस्था आज भी देश में है। अगर हम बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश में चले जाएं, वहां आज भी लोग अंधविश्वासी हैं। इस कारण वे झाड़-फूंक कराते हैं। ऐसी स्थिति में लोकल डॉक्टरों से अच्छा काम आंगनवाड़ी बहनें करती हैं। आंगनवाड़ी बहनें मोटिवेशन और सेवा का काम कर रही हैं। नीति आयोग के आंकड़े निकलकर आए हैं कि वे सात करोड़ माताओं, बहनों, बच्चों और परिवारों की काउंसलिंग करती हैं और उनका जीवन बचाने का काम करती हैं। दो मिलियन आंगनवाड़ी वर्कर्स काम कर रही हैं।

आंगनवाड़ियों के माध्यम से बेसिक हैल्थ सर्विसेज़ में छः साल से छोटे बच्चे की जांच सही समय पर हो। उन्हें फूड और डाइट देने के बाद क्वार्टरली जांच के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने सभी सांसदों से कहा कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता प्रदर्शित करने के लिए सेवा के कार्य करने चाहिए। सभी सांसदों को उन्होंने कई बार कहा कि हम सब लोगों को हर गली-मोहल्ले में जाकर छोटे बच्चों का कम्पीटिशन कराना चाहिए। किसका बच्चा सबसे ज्यादा स्वस्थ है। अगर हम एक बच्चे को मोटिवेट करने के बाद हैल्थ सैक्टर के डॉक्टर आंगनवाड़ियों के माध्यम से कैम्प लगाकर काउंसलिंग करें और कम्पीटिशन कराएं और कहें परिवार को इन्सेन्टिव देंगे तो और भी परिवार के लोग, माताएं और बहनें सोचेंगी कि मैं भी अपने बच्चे की ज्यादा चिंता करूं। इन सब योजनाओं में, जो सरकार की तरफ से चलती हैं, गरीबों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन उन सभी योजनाओं को इन तक पहुंचाने का काम आशा वर्कर्स के माध्यम से किया जा रहा है।

मैं देश के भविष्य की उज्ज्वलता के लिए, देश के विकास के लिए कहना चाहता हूं कि अगर देश को सुदृढ़ बनाना है तो आगे आने वाले नौजवान स्वस्थ रहने चाहिए। अगर, बच्चा बड़ा होकर स्वस्थ रहेगा तो वह देश की रक्षा में और देशभक्ति में अपना पूरा जीवन देगा।

देश की बढ़ती जनसंख्या को संभालना इतना आसान नहीं है। लेकिन, अब समाज के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स अहम हिस्सा बन चुकी हैं। आज इनके बगैर सिस्टम को चलाना बहुत मुश्किल है। स्थानीय होने के कारण भी कोरोना जैसी बीमारी फैली। इस कोरोना बीमारी में कुछ राजनीतिक लोगों ने अनेकों प्रकार के भ्रम फैलाने के काम किए। कोई बयानबाजी कर रहा है कि यह वैक्सीन लग जाएगी तो आप नपुंसक हो जाएंगे। कोई कह रहा है यह वैक्सीन किसी एक व्यक्ति, मोदी साहब की वैक्सीन है। अपने फायदे के लिए उन लोगों का गरीबों की जान बचाने का कोई ध्येय नहीं था। उनका ध्येय था कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा मौतें हों। मौतें हों, तो सरकार बदनाम हो और सरकार बदनाम हो तो हम सत्ता पर बैठ जाएं। यह काम भी इन विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर करने का काम अगर किसी ने किया है तो वह आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ही किया है। जैसा मैंने पहले कहा कि स्थानीय होने के कारण वे अपनी भाषा में किसी को भी समझा सकती हैं। हमारे देश में अलग-अलग प्रांत में अलग-अलग भाषाएं हैं। उन भाषाओं के माध्यम से वे उनको समझा सकती हैं। कोविड में अगर किसी ने मेजर रोल पार्टिशिपेशन के रूप किया है, तो आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ही अपना योगदान देकर किया है। प्रधान मंत्री जी ने लोकल वैक्सीन बनने के बाद उसको आगे ले जाकर इस बीमारी से निजात दिलाई तो उसके लिए हम इस बात को बिल्कुल नहीं भूला सकते कि उसमें आंगनवाड़ी बहनों और आशा वर्कर्स का योगदान नहीं था। उनके कंट्रिब्यूशन को हमें एप्रीशिएट करना चाहिए। एप्रीशिएट करने के साथ-साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन आंगनवाड़ी वर्कर्स के अंदर कुछ कमियां हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वे कम एजुकेटेड होती हैं। उसका कारण यह है कि उनको कम पैसे दिए जाते हैं। उनको एजुकेटेड करके और

ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग देकर इस काम में लगाया जाए। क्योंकि वे नर्स की तरह इमोशनल होकर अपने परिवार का सदस्य मानते हुए लोगों की सेवा करती हैं। यदि एक आंगनवाड़ी हेड के ऊपर 70 परिवार हैं तो वे उनको दिल से अपना परिवार समझकर एएनएम की तरफ सेवा करने का काम करती हैं। मैंने कोविड का जो एजाम्पल दिया है, उसमें बगैर किसी राजनीति के, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार की राज्य सरकारें थीं, अलग-अलग विचार के लोग थे, अलग-अलग राजनीतिक दल थे, लेकिन यह मामला भले ही केंद्र से चल रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी का संचालन तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। योजना भले ही सेंट्रल की है, पैसा भले ही सेंटर से जाता है, लेकिन उसके बाद भी संचालन का काम राज्य सरकार का ही होता है। राज्य सरकार के अंदर ...* होने के बावजूद भी टीएमसी जैसी सरकार जो बंगाल में शासन कर रही है, उनको केवल शासन प्राप्त करने के अलावा कुछ नहीं सुझता है। अगर, सबसे कम वैक्सीनेशन कहीं हुआ था, तो वह बंगाल में हुआ था। अगर, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स न होतीं तो बंगाल में इससे भी ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती थी। स्थिति को बिगाड़ने का काम वहां की मुख्य मंत्री ने किया था। उनका ध्येय मैं दोबारा दोहरना चाहता हूं। उनका ध्येय यही था कि इमरजेंसी ज्यादा हो जाए, मौतें ज्यादा हों, ताकि सरकार बदनाम हो जाए। सरकार को बदनाम करके लोगों की लाशों पर राजनीति करने की उनकी मानसिकता थी।

जैसा मैंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। अगर हम उन बहनों को एजुकेशन देंगे तो वे गरीब परिवारों की, माता-बहनों की काउंसिलिंग और भी अच्छी तरह से कर सकती हैं। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

जैसा नीति आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था, राज्य सरकारों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि केंद्र सरकार के माध्यम से जो फंड जाता है, वर्ष 2021 में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने इसको और आगे बढ़ाने के लिए, और सुविधा देने के लिए तथा छोटी से छोटी आवश्यकताओं

* Not recorded

की पूर्ति की जो चीजें हैं, उनको पहुंचाने का काम भली प्रकार से किया जा सके। जो योजनाएं हैं, वह गरीबों तक पहुंच सके। हमारे एक प्रधान मंत्री जी ने पहले कहा था कि यदि हम केंद्र से गरीबों के लिए 1 रुपया भेजते हैं, तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। रास्ते में 85 पैसे खा लिए जाते हैं, क्योंकि लोगों में उसकी जानकारी नहीं होती है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, क्या कानून बने हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं का विस्तार हो सके, सरकार की योजनाओं का प्रतिफल उन गरीब लोगों तक पहुंच सके, जिनको उसकी आवश्यकता है। वे उनको मोटिवेट करती हैं। उनको आगाह और उनसे आग्रह करते हुए, उनको जीवन में भली प्रकार से जीने के लिए उनकी काउंसलिंग करती हैं। इसके साथ ही साथ चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो इस प्रकार की योजनाएं हैं, उनको जमीनी स्तर तक ले जाना है।

जब सन् 1995 में दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब डॉक्टर हर्षवर्धन जी पोलियो की दवाई लेकर आए थे। अगर आज भारत पोलियो मुक्त हो गया है, छः महीने, एक साल या छोटे से छोटे बच्चे को दवाई लगाने के लिए आंगनवाड़ी बहनें घर-घर जाती थीं और उनको मोटिवेट करती थीं। उस समय भी लोगों में यह भ्रम था कि छोटा बच्चा है, तीन महीने का है, चार महीने का है, अगर हम पोलियो की ड्रॉप देंगे, तो क्या होगा। अगर उन माताओं के अंदर विश्वास पैदा कराने का काम किया गया था, तो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स ने वह विश्वास पैदा किया था। आज हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत पोलियो मुक्त हो गया है। अगर यह हुआ है, तो यह आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से ही हुआ है।

हमारे शहरों और कस्बों में जो हेल्थ सेंटर्स हैं, उन हेल्थ सेंटर्स के अंदर जो अधिकारी परमानेंट जॉब के साथ काम कर रहे हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। लेकिन वे लोग कभी-कभी यह समझ लेते हैं कि मेरी आठ घंटे की ड्यूटी है, मुझे इतनी तन्ख्वाह मिलती है, तो

मेरा काम पूरा हो गया है। उनको अलग हटाकर, जब जमीनी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह काम सौंपा जाता है, तो वे इस बात की चिंता नहीं करती हैं कि मुझे 8 या 10 घंटे सर्विस करनी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स वहीं पर रहकर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती हैं।

जैसा कि मैंने कहा है कि इनकी एक समस्या है कि इनको एजुकेट नहीं किया जाता है, इनकी शिक्षा कम होती है। इनको इसलिए शिक्षा और ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर ये स्किल्ड हो जाएंगी, तो सरकार को इनको मिनिमम वेजेज देना पड़ेगा। अगर सरकार इस व्यवस्था को लागू करे, तो अच्छा रहेगा। बच्चा स्वस्थ पैदा हो, वह बीमारी से ग्रस्त न हो, एक स्वस्थ बच्चा बड़ा होकर देश की रक्षा करने और देश को चलाने का काम करे। हमें इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार को इनीशिएटिव लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम अपने सिस्टम और इन्फ्रास्ट्रक्चर्स को फाइनेंस कम होने के कारण, जैसा कि मैंने कहा है कि हेल्थ सेंटर्स, अस्पताल्स में इनको स्किल किया जाए। नीति आयोग ने भी इस बात की सिफारिश की है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा का पूरा ध्यान इस बात की तरफ केन्द्रित है कि देश के सवा सौ करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। क्या पहले की सरकारों ने उन आवश्यकताओं की पूर्ति की है? लेकिन जितनी पूर्ति करनी चाहिए थी, वे नहीं कर पाए। क्या पहले की सरकारें ऐसा नहीं कर सकती थीं? माताओं और बहनों की आंखें फूट जाया करती थीं, धुंए के कारण फेफड़े खत्म हो जाया करते थे, लेकिन आज गरीब की बेटी को उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर दिए जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं दिया जाता था? आज चुनाव में यह प्रतिस्पर्धा हो गई है कि मैं दीवाली पर दो सिलेंडर्स माफ करूंगा, मैं तीन सिलेंडर्स माफ करूंगा। आज यह प्रतिस्पर्धा हुई है, तो सिर्फ मोदी जी के कारण हुई है। मोदी जी ने इस व्यवस्था को लागू करने का काम किया है। अब सरकारें व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन पहले भी करती रही होंगी, लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जितनी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थीं, उतनी नहीं हो पाई थीं।

अब जो योजनाएं लागू हैं, उनको जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। उनका प्रतिफल गरीब आदमी तक पहुंच सके, जो हमारी आंगनवाड़ी और आशा बहनें हैं, वे यह काम करती हैं। इसीलिए इनका जो पारितोष है, वह भी संतोषजनक नहीं है। कम से कम इनको उस हिसाब से पारितोष दिया जाना चाहिए। अब उनका कसूर क्या है? वे स्किल्ड तो नहीं हैं। स्किल्ड न होने के कारण, उनको अनस्किल्ड में डाल दिया जाता है। सरकारें उनको 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 और 12-12 हजार रुपये में काम कराती हैं। अच्छा काम, ईमानदारी के साथ किया गया काम, सेवाभाव का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम, देश की जेनरेशन को स्वस्थता की तरफ ले जाने का काम, अगर पूरी दुनिया में भारत वर्ल्ड पावर की तरफ बढ़ेगा, तब दुनिया के अंदर उसकी रेटिंग तय की जाएगी। जैसे भारत पोलियो मुक्त हो गया है, ऐसी सभी बीमारियों से जो छोटे-छोटे बच्चे ग्रसित हो जाते हैं, उनके जीवन को बचाने का कार्य समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया जाता है। उनको फलीभूत करने का काम हमारी आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा ही किया जाता है। इनकी सर्विस की कंडीशन निश्चित रूप से सुधारी जानी चाहिए। आंगनवाड़ी महिलाओं का एक ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि उस ड्रेस कोड की एक रिस्पेक्ट होती है। नर्स, जो अस्पताल में काम करती है, अगर वह नर्स उस ड्रेस को पहनकर पेशेंट के सामने आती है तो पेशेंट की आधी बीमारी तो इस बात से दूर हो जाती है कि नर्स के पेशे में काम करने वाली मेरी जो बहन है, वह ईमानदारी के साथ, सच्चे भाव से, सेवा भाव से इंजेक्शन लगा रही है, दवाई दे रही है। अगर नर्स बिना ड्रेस कोड के सामने आएगी तो आधे लोगों को कम विश्वास होगा। वे सोचते हैं कि पता नहीं यह ट्रेनी नर्स है या नहीं है, पता नहीं इसने नर्सिंग कोर्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ है इसलिए आंगनवाड़ी की इन बहनों के लिए एक ड्रेस कोड बनाया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। जब वे गली-मोहल्ले से निकले तो लोग उनको रिस्पेक्ट भाव से देखें।

आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि जब वे बैग लेकर या वैक्सीन लेकर जाती थीं तो लोग उन पर पथराव करते थे, बदतमीजी करते थे। हमने उन चेहरों को भी देखा है, जो पथराव करते हुए, बदतमीजी करते हुए अपमान करने का प्रयास करते थे। इनके अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए भी अगर इनके पास ड्रेस कोड होगी तो अच्छा होगा। अगर पुलिस का सिपाही सिविल ड्रेस में होता है तो कोई भी उससे कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वही कॉन्स्टेबल कहीं पर वर्दी में जा रहा है, चूँकि एक वर्दी का कानून उसके शरीर के ऊपर है तो वह 100 लोगों को कंट्रोल करने का काम कर सकता है। अगर उस पर से खाकी कपड़ा हटा दिया जाए तो उसको कोई भी फॉलो नहीं करेगा। वे देश के सिस्टम को सुधारने का काम करते हैं।

इसी प्रकार से हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनके ड्रेस कोड के लिए सभी राज्यों को काम करना चाहिए। लोग प्रचार-प्रसार में पैसा बहाते हैं। अपनी वाह-वाही लूटने में पैसा बहाते हैं।

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Chairman Sir, there is no quorum in the House.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): आप लोग बड़ी मुश्किल से तो ...* होकर आए हों। जब मैंने आवाज लगाई तो सुन-सुन के भागे होंगे। अगर देश हित में, जनता के हित में या गरीबों के हित में कोई बात कही जा रही है तो ये कोरम शॉर्ट की बात बोल रहे हैं।

सभापति जी, आप इनसे पूछिए कि इनकी पार्टी के कितने मैम्बर्स बैठे हैं। मतलब, 'भैंस अपने रंग को देख नहीं रही, लेकिन छतरी को देखकर भिदक रही है।' ये तब तो कह सकते थे कि हमारी पार्टी के सभी लोग बैठे हुए हैं और कोरम पूरा नहीं है। यहां पर सत्ता पक्ष के ही 50 सदस्य बैठे हुए हैं। क्या यह सत्ता पक्ष का ही काम है? यह तो मिलजुलकर होने वाला काम है। बीएसपी के माननीय

* Not recorded

सांसद पंडित जी महाराज इस प्राइवेट मैम्बर बिल को लेकर आए हैं तो उनके माध्यम से अगर हम आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स के हित में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं देश की उस जनरेशन को, उन बच्चों को पोषणता दे पाएंगे। ... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आप सैलेरी बढ़ाने के लिए भी बोलिए।

श्री रमेश बिधूड़ी : मैंने सैलेरी बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल कहा है, लेकिन आप बात तो करते हो कि हम समाजवादी हैं, लेकिन अपने खानदान से बाहर नहीं निकलते हो। आप लोगों की यह स्थिति है। आपकी ... * जब टिकट देती है तो 50 करोड़ रुपये मांगती है। अब जब कोई 50 करोड़ रुपये देकर टिकट लेगा तो देश की कहां सेवा करेगा। वह तो अपनी कमी पूरी करेगा। माननीय सभापति जी, ये माननीय सदस्य हैं, इनके माध्यम से प्रस्ताव लाया गया है।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, I am to inform that four hours time has already been taken on this Resolution. We are almost exhausting the time allotted for its discussion. There are still some Members to speak on the Resolution. If the House agrees, we may extend the time by one hour more.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The time has been extended by one more hour for the Resolution.

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, धन्यवाद। आज जो प्राइवेट मैम्बर बिल के रूप में मोशन लाया गया है, उसका मैं समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि उन आंगनवाड़ी वर्कर्स, उन आशा वर्कर्स के बारे में कहीं ना कहीं सभी राज्य की सरकारें और केन्द्र सरकार यह चिंता करे और उनको ये सुविधाएं मुहैया करवाने का काम करे, जिससे वे सच्चे मन से, सेवा भाव से देश के जनमानस का और गरीब के कल्याण का

* Not recorded

काम कर सकें। माननीय प्रधान मंत्री जी की यह सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों के लिए काम कर रही है और आपने पिछले सात वर्षों में देखा भी होगा कि जितने भी निर्णय लिए गए हैं, वे सभी के सभी निर्णय गरीबों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए और उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लिए गए हैं। इसलिए हमारी एएनएम, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के पारितोष की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Private Members' Resolution.

A very good Resolution has been moved by our good friend Shri Ritesh Pandey ji. It is good in the sense that it deals with the welfare measures for Anganwadi workers and Anganwadi helpers. With a view to uplifting their working conditions, he has cited five specific issues. Most of the issues are being discussed throughout the country, by people who know what type of difficulties they are facing, and not just by the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. As most of the hon. Members of this House have participated in the discussion on this Resolution and have supported it, I would also support this Resolution.

Most of us know in what type of pitiable conditions a large of number of these Anganwadi workers have been working. As you are aware, the ICDS programme started in 1975 during Shrimati Gandhi's Prime Ministership. Since the last 46 years, India is having this type of a programme of ICDS. Anganwadi workers and helpers are a part of that. They were added subsequently in this programme. But providing nutritious food to the under-nourished children was something that was started in 1975. This programme of ICDS was started by her in order to honour a commitment of the United Nations where India was a signatory. That is how this programme in most of the districts, especially in my State and in States like Jharkhand of today and Chattisgarh of today started. This programme has become a boon for most of the tribal pockets in the country. It is

because providing nutritious food to the tribal children was actually a great challenge for us. Most of the Members of the Lok Sabha preside over the DISHA meetings and also, they preside over another Committee which deals with health services in their districts. Members get a figure about the maternal mortality rate in their districts and also about the child mortality rate in their districts. From there, I tried to find out why this number is there and wherefrom these families hail. Why were they not provided any medical services at the time of child birth? Invariably, it has come to light that firstly because of marriage of minor girls; secondly, because of lack of access to health facilities; and lastly -- and the most important is -- because of not getting nutritious food there is child mortality. As you are aware, during the UPA regime, the system of ASHA workers developed and the Anganwadi programme started before that.

Sir, I will confine my speech on four specific points. As you are aware, Anganwadi services is a Centrally-sponsored scheme which is implemented through State Governments. The recruitment of Anganwadi workers is undertaken by the State Governments concerned. There are specific guidelines. The Anganwadi workers under the scheme are from the local village and they are selected by a Selection Committee constituted by the State Government as per the ICDS Board Mission Framework. The minimum prescribed qualification is matriculation and the age limit is between 18 and 35 years for being engaged as Anganwadi workers.

Sir, I would first come to the Anganwadi centres. Nowadays, Anganwadi Centres are looking very beautiful. You must be visiting your constituency and different remote areas in your villages. The moment you enter a village, the best house that attracts your eye is the colourful Anganwadi Kendras that have come up. It was not so ten or 15 years ago or even 20 years ago. It was such a dilapidated place. The Anganwadi Centre was a rented place or a ram shackled place but now it is not like that. I asked a number of children whether they love to come to this Anganwadi Centre. They said 'Yes'. I asked whether it was because of the food. They said, 'No'. They said that they feel safe and there are so many things to play around in the Anganwadi Kendra. They get small chairs where children sit; they get toys which they play with; there is a small toilet also. You have a good Anganwadi helper and a worker who also takes care of those 20 or 25 or 50 or the number of children there. Ultimately, they also get some food in the lunch time. But it is not so everywhere.

In my district, I make it a point that in every three to four months time, I do the review of my constituency. I always ask the concerned Block Development Officer that this much was the target and the construction of Anganwadi Kendras must be completed because MGNREGA is also involved. Why has it not been completed? Specific Sub-Collectors of the concerned district are also entrusted with that job. They should see that if land is not being available, then they should provide the land but the problem is there. The problem is there not because of

political reason that one village wants the Anganwadi Kendra to be there in their village and another village will say that it should be there in their village. But it has to be settled. Political leadership is there to settle the issue when there is a dispute but at the same time, land also should be provided. If it is a swampy land, then some arrangement has to be made so that the land can be converted to a place where a building can be constructed.

Here, I come to an answer that has been given today, the 11th February, 2022 relating to the State to which Shri Ritesh Pandey, the Mover of this Resolution belongs to, that is, Uttar Pradesh. The question was about the district wise number of Anganwadi Kendras in the State of Uttar Pradesh which do not have their own building. That number is here. The number of Anganwadi Centres not having their own building comes to 1,47,725. This covers 75 districts and in Varanasi itself, it is 3424. I would not talk about the district of Shri Ritesh Pandey because the whole list is there. It is in today's answer sheet which the Government has provided on the number of Anganwadi Kendras which are not having their own buildings.

The Government is providing the funds. The State Government is to construct the building and the onus lies with the concerned district administration and the Block Development Officer of the Panchayat Samiti who have to construct those buildings. If it is not there, then the onus lies on us as the public representative to see where the problem lies. It is because this is an investment

which is being made by the nation and not by the Government alone. This is an investment made by the nation for the future of this country, for the children of this country as it is always said that child is the father of the man. In that respect, I would say that greater stress should be made on the construction of these buildings.

There are rented places also but it is better that you have a house or an Anganwadi Kendra on its own land. I have invariably been vouchsafing for this. Let the Anganwadi Kendra be nearer to the lower primary school so that the child who is taken by the mother or any relative to the Anganwadi Kendra develops that mentality that this is the Anganwadi Kendra and then, he will go to the primary school.

That fear of going to the school will go away if he goes to a play school, as Anganwadi Kendra is being developed as a play school.

I am coming to the Budget because the Budget has been presented very recently. The Ministry has received an allocation of Rs.25,172.28 crore which is a three per cent increase from last year's budgetary estimate of Rs.24,435 crore. So far so good! There is a three per cent increase.

I think that mover of the Resolution, Shri Ritesh Pandey is very good in Mathematics. The total expenditure percentage-wise has diminished from 0.70 per cent to 0.63 per cent. So, percentage-wise, it has decreased but the budgetary allocation has increased. All of us who are participating in this

discussion and those who very much want that the budgetary support should go up for ICDS and especially for Anganwadi Kendras would love to impress upon the Government that we need more funds for this.

My predecessor has just now mentioned one thing about the great work the Anganwadi workers and helpers did during the COVID-19 period. They were provided with safety equipment like masks and sanitisers. That is a great thing which has happened.

But vacancies are still there in Anganwadi Kendras. Vacancies are to be filled up by the State. When I say 'State', the District Administration has to be made accountable as to why there are so many vacancies.

There is a revised guideline and four lakh Anganwadi Kendras are being built across the country. There has been convergence of Anganwadi services with Swachhta Action Plan. A sum of Rs.10,000 is being provided for drinking water facilities. Another sum of Rs.12,000 is being provided for toilet facilities. Grants have been sanctioned for purchase of water filter, furniture, equipment, etc. Anganwadi workers have been provided with smart phones for efficient service delivery. With the POSHAN Tracker, transparency is also there.

I think these are the developments for the last four to five years during this Government's time. It shows how much stress is being given for the development of our younger folk of the country.

Now, I come to the other aspect relating to honorarium and salary. In the Resolution, the mover has stated specifically and he was also prompting the previous speaker that you support my Resolution to convert the honorarium into salary. I will come to that aspect a little later with full details.

Here, I would like to mention that Anganwadi workers are honorary workers. They are not covered under Minimum Wages Act, 1948. They are unskilled. But the question here is, if they are unskilled, there is a provision also in the labour law that the unskilled worker has to be provided with a certain amount of minimum wage. Telling them that you are provided with honorarium and still calling them unskilled, I think that logic does not hold water.

I would say that recently, hon. Supreme Court of India, in a ruling in a civil appeal, State of Karnataka & Ors vs Ameerbi & Ors, has held that Anganwadi workers and helpers do not hold any civil post. This cannot be called as a civil post and everybody will understand that they cannot be termed as Government employees. There is a very small distinction between a worker and an employee. I will come to that aspect a little later. I will inform as to what is the view of our Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development. We deliberated upon the Labour Code in this House.

Sir, I was talking about the shortage of Anganwadi Workers. If we take all the 36 States and Union Territories into account, the number of sanctioned posts is 13,99,697. The number of persons in position is 13,26,982. So, there is a shortfall of about 73,000 posts and these need to be filled up quickly.

When we talk about Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers, during the current COVID period, a number of packages have been announced by the Government. There is Pradhan Mantri Garib Kalyan Package where an insurance cover is given for healthcare workers. Similarly, they are also covered under the Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana where a life coverage of two lakh rupees is given. Then, there are schemes like Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Anganwadi Karyakarta Bima Yojana, Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, which is a pension scheme for the unorganised sector workers. Under the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, there is an assured pension of Rs. 3,000 per month. So, the schemes are there. But how many Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers have actually availed of these benefits? This needs to be looked into. Respective State Governments have to look into this aspect. Many State Governments have their own pension and insurance schemes other than the schemes being implemented by the Union Government. But, I think, it is necessary that this type of support must be provided to Anganwadi Workers.

Now, I would like to refer to the reply given by the Government in the Lok Sabha on 3rd December, 2021 in response to a question asked by an hon. Member from our party. The Standing Committee on Labour, in its 25th Report on the Unorganised Sector Workers Social Security Bill, recommended that the benefit of social security proposed under the Bill should also be extended to Anganwadi Workers who are not covered by the existing laws relating to social security either in the organised or in the unorganised sector.

Today, Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers are organised. Thousands of them are sitting together to protect their interest and calling the attention of the Government. They are all called Anganwadi Workers. They are not part of any trade union. But they are organised. Still, we term them as unorganised because there is no regular appointment and all the laws concerning the regular employees are not being applied to them. So, keeping this in mind, when the Labour Code was being framed, a specific recommendation made to the Government was that we should also cover the workers of the unorganised sector. What is their position in our country now? Since the 19th Century, when the Industrial Revolution started, the concept of organised labour force came into being. When trade unions started working in our country, at that time, the organised labour was only confined to industry and that is the position even today. Their number is not more than eight crores in our country. It may be a little more or less than that number, but it is not more than eight crores.

The number of unorganised sector workers is more than 48 crore in our country. I would not be at fault to say that most of the trade unions in our country always vouchsafe and plead for the organised workers. Be it banks, be it industries or be it anywhere, it is for the organised workers. Very rarely, the trade unions come out and declare something for the interests of unorganised sector.

I would give credit to this Government. For the first time, they said that unorganised sector should also be covered under the Labour Code. I happen to be Chairman of the Standing Committee on Labour. While deliberating on social security -- there were a number of laws earlier and we codified them -- in our Report, we brought in the gig workers. They are not employed by anyone. They work for a specific purpose. For instance, the platform workers are not employed, but they work and earn. So, they are all in the unorganised sector.

Similarly, we had recommended that 'they should be covered under the Social Security Act or Code, that has been implemented.'

In our Report, we said:

"The Ministry have not agreed to the suggestion of many stakeholders to include Scheme workers like Anganwadi, ASHA, Mid-day Meals, etc., in the definition of 'worker' on the ground that this is as per the existing provision for the formation of a trade union. The Committee are not convinced --that was our Report -- with the premise advanced by the Ministry. With a view to enabling such workers to avail the benefits of various labour laws, the Committee desire that the Scheme workers, gig workers and all the workers

engaged in the unorganised/informal sector should be included in the recommended unified definition of 'employee/worker.'"

The Committee has further said that the definition of 'employee' in clause 2(26) has left out many types of workers from its ambit though the earlier draft included Anganwadi and ASHA workers.

I think, the mover of the Resolution, Shri Ritesh Pandey, will go further into this because his Resolution says that they should be included as workers.

Further the first proviso to the clause stipulating that 'the wage ceiling for the employees for the purpose of applicability of Chapter III and IV to be notified by the Government' appears to be restrictive in nature in terms of coverage.

Moreover, the prescribed low wage ceiling of Rs. 15,000 for EPF and Rs. 21,000 for ESIC would exclude many informal workers in the formal sector from the ambit of EPF and ESIC benefits. Are we providing this type of support in EPF and ESIC to the workers? Can we not do it? If the remuneration or the honorarium is Rs. 4,500 today, the minimum wage itself, if that is applicable, which is the law of the land, will definitely allow them to get, at least, Rs. 15,000 per month. But that is not being provided.

So, the Committee have said that 'we are not convinced with Ministry's clarification that 'provisions for determining wage threshold by Central Government for EPFO and ESIC through subordinate legislation is as per the existing practice.'

I need not go into further details though it was more scathing in our Report. But I would say that ‘yes, you may say that Anganwadi Workers and helpers are working on a part-time basis. It is not an 8-hour job.’ You may say that. But is it a part-time job? A worker or a helper who is looking after 20 to 25 or 30 children, looks after them throughout the day. It is not that at the Anganwadi Kendra, she just looks after them. Even when any child falls ill, that Anganwadi Worker is always referred to. The helper is always referred to because she feeds the child and the parents of these children are mostly illiterate. They are workers or daily wage earners. So, in that respect, I think, it is necessary. It was a great thing that the Central Government is providing some support to the Anganwadi workers. But, it is now necessary that along with providing many things, including smart phones to them, at least, they should get a reasonable amount of money so that they can sustain themselves.

One peculiar thing had happened in my constituency. Once while travelling in the constituency, in a Panchayat, I found that Anganwadi worker was absent. I said: “What happened?” They said: “That girl got married and went to another Panchayat and in that Panchayat, she was not allowed to work as an Anganwadi worker. So, in this Panchayat, they have to select a person.” So, there is a long process that how an Anganwadi worker has to be selected. But this also brings to my mind as to how many CDPOs we have in position today. I think, the Minister of State for Social Justice and Empowerment is also present here. I request him

to please find out and tell us which are the States which do not have adequate CDPOs or in full strength in their State. Which are the districts where CDPOs are not there? It is because they are in-charge of looking after the functioning of the Anganwadi workers and helpers.

With these words, I fully support the Resolution that our friend Mr. Ritesh Pandey has moved with all the five resolutions. Thank you.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): धन्यवाद सभापति महोदय । जितने भी माननीय सदस्यों ने इस बारे में बोला है, तकरीबन उन सभी मेंबर्स की वही मांग है और मैं भी श्री रितेश जी द्वारा मूव किए गए इस रिजोल्यूशन का पूरी तरह से समर्थन करता हूं ।

महोदय, एक लोक प्रतिनिधि होने की हैसियत से जब भी किसी आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी वर्कर्स या आशा वर्कर्स से मुलाकात होती है, तो वे यही बात कहती हैं कि हमारे लिए कुछ करिए । हम लोक प्रतिनिधि हैं तो उनको हमसे बड़ी उम्मीदें होती हैं और वे सोचती हैं कि यदि उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है तो वह हम ही कर सकते हैं । यह अलग बात है कि इसमें कितनी कम सच्चाई है । आज मैं बोलूंगा तो पूरे दिल से बोलूंगा और उनकी इस सोच के पूरा होने की पूरी उम्मीद करूंगा । हम भले ही अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों से आते हों, लेकिन हकीकत यह है कि हमने मौत को बहुत करीब से देखा है । कोरोना-काल में कौन अमीर था, कौन गरीब था, कौन कितना बलवान था, कौन किस राजनीतिक पार्टी का था, कौन किस जाति, धर्म का था, इसके कोई मायने नहीं रहे । मौत आई और उनको लेकर चली गई । हम तो खुशनसीब हैं कि हम जिंदा रह गए और अब हमारा यह दायित्व है कि जो लोग मौत के करीब जा रहे हैं, उनको कैसे जिंदा रखा जाए ।

महोदय, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की शुरुआत वर्ष 1975 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी के दौर में हुई थी । इसके जरिए 38 स्कीम्स चलाई जाती थीं । जब ये स्कीम्स शुरू हुई थीं, तो एक आंगनवाड़ी सेविका को महज 225 रुपये हॉनरेरियम के तौर पर वर्ष 1975 में दिए जाते थे । हम करीब-करीब 50 साल आगे आ गए हैं । उनकी मेहनत इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी आज एक आंगनवाड़ी, एक आशा वर्कर कितना कम पैसा कमाती है । यह हम सभी के लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए । मैं इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम स्मारक और पुतले बनाने पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं । जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, वे क्या काम कर रही हैं? वर्ष 2020 में महाराष्ट्र की एक आंगनवाड़ी वर्कर की स्टोरी आई थी, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था । उस

आंगनवाड़ी महिला की तड़प ऐसी थी कि वह नंदूरबार से एक गांव पहुंचने के लिए खुद कशती में बैठती थी। वह 18 किलोमीटर का सफर स्वयं करती थी। उसका वीडियो आज भी यू ट्यूब पर आपको देखने को मिल सकता है। 18 किलोमीटर पानी में वह खुद कशती चलाते हुए जाती थी। ताकि वहाँ पर, उस गाँव के दूसरे किनारे पर, जो ट्राइबल के बच्चे हैं, उनकी देखभाल, उनको अंडे पहुँचाने का, उनको दूध पहुँचाने का, उनकी माताओं की हालत देखने का, वे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, यह देखने का काम करती है। सोचिए उसका जज्बा कैसा होगा? उसे मिलता क्या है? उसके बदले उसे हासिल क्या हो रहा है? अगर आज हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की पगार देखेंगे, सैलरी देखेंगे, हम तो सांसद हैं, अपनी पगार बढ़ानी है तो हम एक झटके के अंदर बढ़ा सकते हैं और हजारों रुपये से बढ़ा सकते हैं। इनकी सैलरीज क्या है? मैं मेरे महाराष्ट्र के हद तक की बात करता हूँ। वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर को कितना पैसा दिया जाता है, 8,500 रुपये मेन आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाता है। जिसे आंगनवाड़ी वर्कर (मिनी) कहा जाता है, उसे 4,500 रुपये सैलरी दी जाती है और जो दूसरी है, उसे महज 5 हजार रुपये दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर हम सैलरी देखेंगे तो वह 4.5 हजार रुपये से लेकर 8 हजार रुपये तक है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक काम करना और काम करना भी ऐसा कि उन्हें पूरा प्रोग्राम दिया हुआ होता है। वह घर पर बैठ नहीं सकती है, क्योंकि जितना काम करेगी, उतना पैसा मिलेगा। अब मेरा यह कहना है कि अगर यही महिला मजदूरी करने निकलती है, अगर बाँध के ऊपर जाकर वह सिर्फ मिट्टी उठाने का काम करती है, वह ईंटें यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करती है तो उसे कम से कम रोज के 400 रुपये से 600 रुपये मिलते हैं यानी कि महीने में उसे 12 हजार रुपये से लेकर 16 हजार रुपये की कमाई हो सकती है। आज अगर इतनी सारी महिलाएं इस जज्बे के साथ आ रही हैं कि मैं एक सेवा का काम करने के लिए जा रही हूँ, मैं बच्चों को जिंदा रखने का काम करने के लिए जा रही हूँ और हम उसे महज चार हजार, पाँच हजार, छह हजार रुपये दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सिर्फ उस सेविका के साथ नहीं, हम यह बता रहे हैं कि जितने बच्चे हैं, अगर

उनकी किस्मत है वे जी लिए तो जी लिए, जो मर गए तो मर गए। हम इस हिसाब से उनको दे रहे हैं कि हम तो तुमको बुला रहे हैं, हम इतना पैसा देंगे और तुम्हें यह काम करना है, तुम करो। आज जब यह सदन शुरू हो रहा था, मैंने जिला परिषद के कुछ अधिकारियों को इसका एक रिव्यू लेने के लिए बुलाया कि आखिर में क्या है। मैंने एक अधिकारी से पूछा कि हमारे जिले के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, तो उसका तुरन्त जवाब था कि बहुत कम है। मैंने कहा मंदर मोर्टेलिटी कितनी है, जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पैदा करते वक्त या प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है, तो उसने मुझे आंकड़ा बताया और उसने कहा कि बहुत कम है। मेरा जवाब उसको यह था कि अगर एक भी मरता है, अगर एक बच्चा भी पैदा होकर मरता है या एक माँ भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान मरती है तो उसके लिए हम दोषी हैं। परसेंटेज कम हो रहा है, पिछले टाइम 50 महिलाएं मरी थीं, अब 40 महिलाएं मर रही हैं, पिछले टाइम 100 बच्चे मर रहे थे, अब 80 बच्चे मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है। मेरे हिसाब से एक-एक बच्चे की जान कीमती है। मैं आज केरल गवर्नमेंट, पांडिचेरी गवर्नमेंट और गोवा की गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ। जब हमने ये हिसाब लगाया कि महाराष्ट्र इतना प्रगतिशील राज्य होने के बावजूद क्या वजह है कि आप इतना कम पैसा दे रहे हैं तो हमें पता चला कि केरल ने सुओमोटो इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की पगार, इनकी सैलरी बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी है। पांडिचेरी और गोवा सबसे ज्यादा पैसा देता है इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को। महाराष्ट्र सरकार की क्या ऐसी दुविधा है कि वे एक अच्छे काम के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं और कितना माँग रहे हैं? अगर उनको 5 हजार रुपये दिए जाते हैं तो क्या हम उन्हें 10 हजार रुपये पगार नहीं दे सकते हैं? आज उन्हें क्यों सिर्फ एक मानदेय के तौर पर पैसा दिया जा रहा है? क्यों नहीं जिस तरह महताब साहब ने बताया है कि हम उनको क्यों नहीं एक परमानेंट एम्प्लॉई के तौर के ऊपर देखते हैं ताकि उन्हें कम से कम मिनिमम वेजेज एक्ट के हिसाब से सैलरी दी जा सके? वे ऐसा-वैसा काम नहीं कर रही हैं, आज वे गाँव के अंदर जाती हैं। मैं सरकार से यह कहूँगा और पूरी ईमानदारी के साथ यह कहूँगा कि मेहनत हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रही हैं, मेहनत हमारी

आशा वर्कर्स कर रही हैं, लेकिन आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप उनका सारा क्रेडिट मुफ्त में ले रहे हैं। मेहनत वे कर रही हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, देखिए हमने कितना अच्छा काम किया है।

20.00 hrs

अगर वे न रहें, तो आपके पास सिर्फ मौत के आंकड़े आएंगे। ये महिलाएं जाती हैं और जाकर बताती हैं कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? चाहे डिलिवरी का रिकॉर्ड मेन्टेन करना हो या कोविड की दवाइयां हों, आज वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा अगर गाँवों के अंदर हुआ है तो आप कितने गर्व के साथ आकर कहते हैं। हेल्थ मिनिस्टर जी हमारे महाराष्ट्र से आती हैं। मैडम, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि उनकी हालत क्या है, उनकी पीड़ा क्या है? यह आप भी अच्छी तरह से समझती हैं और एक महिला होने की हैसियत से, यह तो आपकी जिम्मेदारी है, यह हमें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें बोलने की जरूरत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इस सदन के अंदर चाहे वह सत्ता में बैठे हुए हों या विपक्ष के अंदर बैठे हुए हों, उनकी पीड़ा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनकी तकलीफें क्या हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन दोषी है? मैं आपसे हाथ जोड़ कर यह अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बहुत जिम्मेदारी का काम ये लोग कर रही हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा सा और सहारा दे देते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा।

मैडम, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पिछले साल सारे मराठी चैनल्स के ऊपर एक खबर आई थी कि आंगनवाड़ी सेविकाएँ जितनी भी हैं, उनको महाराष्ट्र सरकार ने मोबाइल फोन दिया था। वह फोन चलता ही नहीं था। एक लाख जो आंगनवाड़ी सेविकाएँ थीं, उन्होंने यह तय किया कि हमको यह मोबाइल फोन नहीं चाहिए, यह आप रख लीजिए यानी कि सोचिए कि उसके अंदर भी भ्रष्टाचार है। एक अच्छा काम करने के लिए एक महिला गाँव-गाँव घूम रही है, काम करने के लिए जा रही है और वह फोन जो दिया गया है, वह फोन ही नहीं चलता था। एक लाख आंगनवाड़ी सेविकाओं ने यह तय किया

कि अब हम यह वापस कर देंगे और उन्होंने वापस करने का फैसला लिया है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है और मैं सबसे पहले इस मामले के अंदर हमारे सम्माननीय सदस्य रितेश जी का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि ऐसे लोगों की आवाज उन्होंने इस सदन तक पहुंचाई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आंगनवाड़ी सेविकाएँ हैं, उनकी एक यूनियन है। उस यूनियन ने सितंबर ... (व्यवधान) सर, एक मिनट दीजिए। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के लीडर्स ने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से सितंबर, 2021 के अंदर मुलाकात की और उनसे यह अनुरोध किया कि आने वाले बजट के अंदर हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। उन्होंने वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, केन्द्र सरकार से भी मुलाकात की और उन्हें बदले में क्या मिला? वह इंतजार करती रही कि अब बजट आएगा तो उसके अंदर कुछ न कुछ हमको मिलेगा। उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला और इसी आश्वासन के ऊपर वे कितने सालों से काम कर रही हैं कि आज नहीं तो कल मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि मेरे वजीर-ए-आजम ने कहा है कि सब के अच्छे दिन आएंगे तो आंगनवाड़ी बहनों के भी अच्छे दिन आएंगे। यही हम उम्मीद करते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसके बारे में कुछ न कुछ फैसला लीजिएगा। उनके घर भी हैं, उनको खुद के बारे में भी सोचना है, वह दूसरों के बारे में सोच कर बाहर निकलती है। उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी हम सब की हैं और पूरे सदन की है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): महोदय, आपने मुझे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहनों के कल्याण के संबंध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ियाँ, विशेष कर जो हमारे गरीब क्षेत्र हैं, उनमें आशा और विकास का केन्द्र है। हमारे जो गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवार के बच्चों को हमारी आंगनवाड़ी एक प्रकार से उनके विकास के लिए हर प्रकार के कार्य करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने देश के सभी सासंदों और सभी समाज सेवकों से आह्वान किया कि हम आंगनवाड़ियों को गोद लें। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंगनवाड़ियों को गोद लेने की एक होड़ सी लगी है।

उसका फायदा हमारे नन्हे-मुन्हे बच्चों को मिलेगा। आंगनवाड़ी गोद लेने से यह होगा कि आंगनवाड़ी में जाएंगे और हम यह देखेंगे कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, उनकी देखभाल कैसी हो रही है। उनको भोजन कैसा मिल रहा है और अगर हमारा कोई जन्मदिन या खुशी का ऐसा मौका आता है तो हम अपना जन्मदिन या खुशी का मौका उन बच्चों के साथ मनाएंगे। जहां तक इस बिल में जो बिंदु उठाए गए हैं, मैं मानता हूँ कि पांडे जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारी सहायिका बहनों का जो दर्जा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो प्ले स्कूल होते हैं, जो नर्सरी के स्कूल होते हैं, उनके शिक्षकों के समान होना चाहिए या जो हमारी प्राथमिक शालाएं हैं, उनके शिक्षकों के समान होना चाहिए। हमारा आने वाला कल या हमारे आने वाले कल के भारत के नागरिक इन्हीं कार्यकर्ताओं और सहायिका बहनों के माध्यम से बड़े किए जाते हैं। जब तक उनकी सुरक्षा नहीं होगी, उनको यह भरोसा नहीं होगा कि उनका जीवन सुरक्षित है। सेवानिवृत्ति के बाद उनको भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होने की दिशा में वह बहुत अच्छे से काम करेंगी और आंगनवाड़ी में जो बच्चे आ रहे हैं, उनकी देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की मंत्री हमारी बहन स्मृति इरानी जी को भी धन्यवाद देना

चाहता हूँ कि उन्होंने आंगनवाड़ियों को मजबूत करने की दृष्टि से हर प्रकार के कार्य किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे गरीब जिले हैं, इन गरीब जिलों में सबसे बड़ी समस्या कुपोषण की है। इन आंगनवाड़ियों को कुपोषण मिटाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ-साथ जैसा अभी हमारे सभी वक्ताओं ने बोला कि आंगनवाड़ियों को कोरोना काल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम कोरोना से मुकाबला करें और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका बहनों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया था। हमारी इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों और सहायिकाओं ने और हमारे गांव की जो आशा कार्यकर्ता बहने हैं, उन सबने मिल कर गांव की बहुत बड़ी सुरक्षा की है। चूंकि मैं भी गांव में रहता हूँ। मैं भी आंगनवाड़ी में जाता हूँ। मैं उन आंगनवाड़ी बहनों और आशा बहनों की परेशानी को समझ सकता हूँ। मेरा अनुरोध यह है कि हमको इन बहनों की भलाई के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए।

जिस प्रकार से शासकीय सेवा में सेवा शर्तें होती हैं, उस प्रकार की सेवा शर्तें भी इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बहनों की होनी चाहिए, ताकि वे अपने आपको सुरक्षित महसूस करें। अभी जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, उनके ऊपर पूरा महिला एवं बाल विकास निर्भर करता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें जितनी मजबूत होंगी, उतना ही हम अच्छा काम इस क्षेत्र में कर पाएंगे।

अभी हमारे एक वक्ता ने बोला कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल दिए गए। मोबाइल फोन तो सभी जगह दिए गए और हमारे प्रदेश में तो मोबाइल फोन अच्छा काम कर रहे हैं और विशेषकर जो पोषण ट्रेकर है, उस पोषण ट्रेकर के माध्यम से अब एक-एक बच्चे की देखभाल की जा रही है। मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा है और इसको और अच्छा करने की आवश्यकता है। जहां तक हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री परम आदरणीय मोदी जी का सवाल है, उन्होंने इस आंगनवाड़ी को बहुत ही मजबूत करने के लिए हर प्रकार के कदम उठाए हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी

एनडीए की सरकार ने इन आंगनवाड़ियों की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। जो भी सुझाव इस बिल में आएंगे, उसका भी पालन कर के और मज़बूत करेंगे।

मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी आंगनवाड़ियों में मुख्य रूप से क्या-क्या होना चाहिए। नंबर एक, आंगनवाड़ी भवन अच्छा होना चाहिए। वहां पर बैठने के लिए साफ-सुथरी जगह होनी चाहिए। दूसरा, पीने के पानी की व्यवस्था हो। तीसरा, छोटे बच्चों के लिए साफ-सुथरा शौचालय हो और उस आंगनवाड़ी केन्द्र की सुरक्षा के लिए बाउण्ड्री वाल हो।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वहां नए-नए आंगनवाड़ी भवन बन रहे हैं। जिस प्रकार से ड्रेस कोड की बात की गई तो हमारे मध्य प्रदेश में तो ड्रेस कोड भी लागू हुआ है और काफी कुछ काम हो रहा है। इस बिल के माध्यम से जो कुछ छोटी-मोटी बातें उठाई गई हैं, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और मैं यह मानता हूँ कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और हमारी सहायिका बहनों को नियमित वेतन मिले, उनके लिए सेवा शर्तें बनें, ताकि उनका भी परिवार सुरक्षित रहे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो इस विषय को अगली बार ले लिया जाए। शून्य काल के कुछ माननीय सदस्य बाकी हैं।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. आलोक कुमार सुमन - उपस्थित नहीं।

डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. एस।

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam, Speaker Sir.

Six faculty members of IIT Madras have complained about an attempt by the Institute to sabotage the ongoing mission mode recruitment for SC, ST, OBC faculty. The allegation is that the areas advertised are very narrow, meant to limit the eligible candidates. Also, subjects relating to Dalits were removed from the advertisement. In this context, Dr. Vipin has resigned from IIT Madras because of mental harassment caused by caste discrimination. Many faculties and students of IIT Madras are targeted because of their castes.

Hence, I am requesting the Education Minister to constitute a committee to inquire into the sabotage of the ongoing mission mode special recruitment drive for SC, ST, OBC faculty in IIT Madras, and an inquiry into the caste discrimination and administrative harassment faced by Dr. Vipin while working at IIT Madras. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. आलोक कुमार सुमन।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की स्थापना करने की ओर आकर्षित कर रहा हूँ। वर्तमान में पूरे देश में 60 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेन्टर्स की स्थापना की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से सर्विसेज को बढ़ावा मिलता है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड डेटा की बात है तो पूरे बिहार में आई.टी. के अभी 34,495 कॉमन सर्विस सेन्टर्स फंक्शनल हैं, जिनमें 29,684 कॉमन सर्विस सेन्टर्स ग्राम पंचायतों में हैं। इन सबको हाई स्पीड नेटवर्क से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की बिहार में बहुत आवश्यकता है।

महोदय, अतः आपके माध्यम से मैं माननीय संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि बिहार एवं मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेन्टर्स की स्थापना की जाए, जिससे कि हजारों युवाओं को रोजगार मिल सके।

श्री जामयांग शेरींग नामग्याल (लद्दाख): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में रोजगार से संबंधित विषयों को उठाना चाहता हूँ। यू.टी. लद्दाख में अभी हजारों की संख्या में वैकेन्सीज हैं। दूसरी तरफ, बेराजगार युवक भी हजारों की संख्या में हैं। यह ज़ाहिर बात है कि नया यू.टी. बनने के बाद रिक्रूटमेंट रूल्स बनने में समय लगा है। जम्मू-कश्मीर से अपॉर्शनमेंट होने में टाइम लगा है। मैं सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ कि रिक्रूटमेंट रूल्स टाइम पर बना और उसमें दो सालों का रिलैक्सेशन भी दिया और लद्दाख रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी दिया।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि जितनी भी पोस्ट्स खाली पड़ी हैं, चाहे वे डिस्ट्रिक्ट कैडर्स की हों, उन्हें जल्द से जल्द एडवर्टाइज करके, उसमें अप्वायंटमेंट करके उसे जल्द से जल्द एक्सपेडाइट करें और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को जल्दी करें। विशेष रूप से, करीब 830 पोस्ट्स को एस.एस.सी. को रेफर किया गया है, उस पर जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट करें।

सर, गजेटेड पोस्ट्स के लिए एक पिपुल-फ्रेंडली डिसीजन जल्द से जल्द हो और उसमें जितना हो सके, लद्दाख के रेसिडेंट्स को लद्दाख में गजेटेड पोस्ट्स पर सर्विस करने के लिए प्रिफरेंस दें क्योंकि बहुत सारे अच्छे क्वालीफाइड यूथ्स नए यू.टी. लद्दाख को खड़ा करने के लिए काम करना चाहते हैं।

लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लद्दाख पुलिस सर्विस और लद्दाख फॉरेस्ट सर्विस का कैडर क्रिएशन हो। लद्दाख के लिए आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. के लिए कैडर स्ट्रेंथ का नंबर फिक्स किया जाए।

सर, मेरा लास्ट प्वाइंट इसी एम्प्लायमेंट से रिलेटेड है। अभी जितने भी ऑफिसर्स जम्मू-कश्मीर से लद्दाख में डेपूटेशन के लिए आए हैं, वे हाई ऐलिट्यूड पर आए हैं। उनको अलाउएन्सेस मिलें, ताकि लद्दाख के मेन पॉवर के शॉर्टेज में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए। लद्दाख की कॉस्ट

ऑफ लिविंग बहुत हाई है। आपने भी खुद लद्दाख का विजिट किया है। इसे आपने भी अच्छी तरह से देखा है।

सर, मेरा लास्ट प्वाइंट है, जितना हो सके, उतना रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एक्स्पेंड करें और सरकार बेरोजगारी को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कृपा करें। मैं आपके माध्यम से लद्दाख के पूरे अनएम्प्लॉयड यूथ की ओर से सरकार से माँग करता हूँ।

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

महोदय, शोलापुर से कई देशों में स्कूल यूनिफॉर्म निर्यात किया जाता है। शोलापुर शहर में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले प्रशिक्षित और कुल कामगारों की संख्या करीब 20,000 से अधिक है। यह जानकारी है कि सेना के सैनिकों की वर्दी में कुछ बदलाव किया गया है। सैनिकों की वर्दी सिलाई का काम जब शोलापुर गारमेंट एसोसिएशन को सौंपा गया तो निर्धारित समय में तथा सेना के मापदंड के अनुसार, सेना की वर्दी सिला कर देने की तैयारी शोलापुर गारमेंट एसोसिएशन ने की है। शोलापुर में वर्ष 2014 में भारत के विकास पुरुष, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी सार्वजनिक तौर पर शोलापुर के गारमेंट उद्योग में देश के लाखों सैनिकों की वर्दी सिलाई की क्षमता होने का विश्वास जताया था।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्रायोगिक आधार पर सैनिकों की वर्दी सिलाई का काम शोलापुर गारमेंट एसोसिएशन को देने बाबत उचित निर्णय लेने की कृपा करें।

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं शून्य काल में जो विषय बोलने जा रहा हूँ, हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री बैठे हुए हैं। अगर किसी ने गरीबों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का कोशिश की है तो वह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी हैं। उनको रहने के लिए घर, घर में बिजली, उज्ज्वला गैस, नल से जल और पक्का मकान दिया गया है। ये सब काम अगर कोई करवा रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से दो छोटी-छोटी बातों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे देश के जनजातीय क्षेत्र में, विशेषकर जो मेरा लोक सभा क्षेत्र है, जिसमें सेलाना, थांडला, पेटला, झाबुआ, जोर्बट और अलीराजपुर हैं, यह पूरा जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ पर करीब-करीब 70 से 80 प्रतिशत लोग या तो खेती करते हैं, या खेत में मजदूरी करते हैं। हमारे मध्यप्रदेश में जॉब कार्ड पर एक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है और एक दिन की मजदूरी 192 रुपये दी जा रही है। चूंकि झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम जिले में जो परिवार हैं, वह करीब औसत 10 लोगों का परिवार होता है और एक आदमी को साल में 100 दिन का रोजगार मिलता है। इससे उसके परिवार के पालन-पोषण में थोड़ी दिक्कत आती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जो भूमिहीन किसान हैं, उनको साल में कम से कम 200 दिन का रोजगार दिया जाए। हमारे जो पड़ोसी राज्य गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं, उन राज्यों में जो मजदूरी दी जा रही है, वह मजदूरी भी मध्यप्रदेश में दी जाए, जो कि लगभग 300 रुपये प्रतिदिन होती है।

दूसरा, हमारे मध्यप्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उनमें शौचालय बनाने की अनिवार्यता नहीं है। पहले समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारे यहाँ शौचालय बन गए, परंतु जो नए प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उनमें स्थान चेंज हो रहा है। स्थान चेंज होने के कारण, पूर्व में जिनको शौचालय स्वीकृत हो गया था, उनको प्रधानमंत्री आवास के साथ शौचालय नहीं दिया जा रहा है। उसके कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र के झाबुआ जिले में, जो कि वर्ष 2018 में ओ.डी.एफ. घोषित हो गया है, अब लगभग 25 से 30 प्रतिशत आबादी खुले में शौच के लिए जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास के साथ शौचालय का अनिवार्य निर्माण हो।

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Respected Speaker, Sir, the Koppal Constituency comes under the special article of 371 (j). In line with Prime Minister, Shri Narendra Modi ji's vision of 'Vocal for Local' and to boost toy manufacturing, Koppal will have India's first toy manufacturing cluster.

The manufacturing campus is being promoted by Aequs SEZ Private Limited. Aequs is a major player for global toys manufacturing business and is currently specializing in contract manufacturing of toys for some of the biggest brands in the world. Aequs is now setting up India's first global-scale toys manufacturing cluster at Koppal, Karnataka in 400 acres of land. Karnataka State offers a unique plug-and-play proposition. The cluster will cater to all the needs of global toymakers, especially 'Made in India for the world'.

The company intends to set up the cluster in the rural area in Koppal, which would provide employment to more than 20 to 30 thousand people, especially for the people at the bottom of the pyramid, particularly women from rural hinterland by the year 2024-2025 with an outlay turnover target of Rs. 14,000 crore – Rs. 21,000 crore, besides indirectly creating an innumerable number of opportunities of employment by procuring the required raw materials to sell the final products.

In this background, I would like to support setting up of toy clusters by Aequs, and seek help under the Production Linked Incentive. Therefore, I wish to bring to the kind notice of the hon. Speaker that the Ministries concerned be

advised to provide PLI benefit to the toy industry to encourage and implement the toy industry cluster. Thank you, Sir.

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): अध्यक्ष जी, आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका दिया है, मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं।

अध्यक्ष जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर लगातार प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश के बीएचयू में एक प्रोफेसर जिनकी नियुक्ति पॉलिटिकल साइंस के लिए हुई थी और वे सोशल साइंस फैकल्टी के डीन हैं, संसदीय नियमानुसार मैं उनका नाम नहीं ले रही हूं। अभी हाल ही में, विश्वविद्यालय कैम्पस के अंदर वे छात्रों को उपले बनाने, अर्थात् गोबर पाथने की विधि बता रहे थे। निश्चित तौर पर बीएचयू जैसे कैम्पस में यदि एक प्रोफेसर छात्रों को उपले बनाने की विधि बतायेगा, तो हम अन्य विद्यालयों या विश्वविद्यालयों की कैसे उच्च स्तर की शिक्षा की बात कर सकते हैं?

अध्यक्ष जी, प्रोफेसर साहब का बच्चों के प्रति इस तरह का व्यवहार सिर्फ निन्दनीय ही नहीं है, बल्कि चिन्तनीय भी है, छात्रों के प्रति ही नहीं, बल्कि देश के प्रति भी। ऐसे मौके पर हमें महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी के द्वारा कही गई लाइन याद आती है, “विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हुआ”, अर्थात् जब एक विद्या के कारण इतने सारे नुकसान होते हैं, तो एक विद्या के मन्दिर में विद्या के साथ, छात्रों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों?

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि शिक्षा के मन्दिर में इस तरह की हरकत करने वाले शिक्षकों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे हमारे छात्रों का जीवन भी सुरक्षित रह सके और हमारा देश आगे बढ़ सके। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह देश पुनः विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ेगा और यह तभी होगा जब हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे, शिक्षित होंगे।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए, मैं एक बार पुनः यही मांग करती हूं कि ऐसे शिक्षकों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए।

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): अध्यक्ष जी, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ।

मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र भरतपुर की सड़क छोकरवाडा से धौलपुर तक वाया भुसावर, बयाना, बंधबरेठा, बाड़ी, बसेड़ी की सड़क की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ।

महोदय छोकरवाडा से बयाना होते हुए धौलपुर तक सड़क की लम्बाई लगभग 105 किमी है। बयाना के बंसी पहाड़पुर में विश्व प्रसिद्ध लाल पत्थर की मण्डी है, यह लाल पत्थर पूरे देश की ऐतिहासिक इमारतों में लगा है। हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में भव्य राम मन्दिर के निर्माण में भी इस पत्थर का उपयोग हो रहा है, जिसके कारण इस सड़क पर वाहनों का आवागमन बहुत ज्यादा है, जिससे इस सड़क की स्थिति बहुत खराब हो रही है तथा जगह-जगह सड़क की कम चौड़ाई के कारण आम-जन को इस सड़क पर जाम के साथ-साथ बड़ी दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है। यदि इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित कर चार लेन का बना दिया जाए तो व्यापारियों के साथ-साथ आमजन को भी इससे काफी लाभ मिलेगा।

महोदय इसके साथ ही आपसे सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूँ कि राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले तथा पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 21 जयपुर से आगरा को भी अधिक आवागमन तथा व्यस्त होने के कारण जनहित के लिए छह लेन का किया जाए। धन्यवाद।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): I want to request the hon. Health Minister, through you, Sir, for sanctioning a NEET Examination centre in Kakinada, East Godavari district, Andhra Pradesh.

The parents and students are suffering a lot as the students have to cover a long distance to appear in the NEET Examination. That is why people are asking for a NEET Examination centre for a very long time. Nearly 12,000 students appear in the NEET Examination from East Godavari and West Godavari and there is no NEET Examination centre in East Godavari and West Godavari. So, the students have to travel about 250 to 300 kms to reach Visakhapatnam or Vijayawada to appear in the Examination. I have already given a representation to the hon. Education Minister, the hon. Health Minister and the NEET Chairman also but nothing has happened in this regard. It is my fortune that the hon. Health Minister is also here. Madam, please take it seriously and sanction a NEET Examination centre in East Godavari by the end of this year.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, today is an important day as the Lok Sabha has recorded 126 per cent productivity in this Session.

I would like to speak about the voiceless people of the firecracker industry and the matchbox industry in Sivakasi. More than six lakh people are dependent on that industry which is facing its existential crisis because of the Supreme Court's rulings and we are facing the most difficult time in history. I have taken it up with the hon. Minister of Commerce and Industry but still, no help came from

the Central Government. So, I request that there should be some kindness towards the people of the fireworks industry in Sivakasi. Sivakasi is the place where the fireworks industry has existed for hundred years and it is called 'Kutty Japan'. This industry gives employment to more than six lakh people. It is not the only industry which is suffering. The firecracker industry serves the printing industry and the matchbox industry which are also facing existential crisis. Through you, Sir, I would like to request the hon. Minister of Commerce and Industry to help the Sivakasi industry to get out of the crisis.

माननीय अध्यक्ष: श्री सी.पी. जोशी	-	उपस्थित नहीं।
श्री राजू बिष्ट	-	उपस्थित नहीं।
श्री नायब सिंह सैनी	-	उपस्थित नहीं।

श्री विजय कुमार (गया): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गया, बिहार में एनएच-82 के निर्माण का काम 2016 में गायत्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया था और इसे वर्ष 2019 में पूरा करना था। आज तक इस रोड का निर्माण ठीक से नहीं हुआ है। इसके साथ-साथ एक फ्लाईओवर का भी निर्माण होना था। वहां रेल फाटक दो-ढाई घंटे तक बंद रहता है। यह उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक लाइफ लाइन रोड है। वहां यात्री पिंड दान के लिए आते रहते हैं। यहां जल्द से जल्द फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए और रोड की गुणवत्ता की जांच कराई जाए। मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाए और जल्द से जल्द फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाए। जय हिंद, जय भारत।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। बीते हुए सालों में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आम व्यक्ति को बैंकिंग से जोड़ने का काम किया है और जन-धन खाते भी खोले गए हैं। बैंकिंग फॉर द नॉन बैंक, फंडिंग फॉर द नॉन फंडेड के लिए मुद्रा लोन स्कीम भी चालू की गई है। मैं समझता हूं कि देश में आज भी बड़ा गैप है कि एक आम आदमी के लिए बैंक से लोन लेना आसान नहीं है। देश में बहुत बड़ी मात्रा में एप बेस्ड कंपनियां आईं और इन कंपनियों ने बहुत लुभावनी व्यवस्था देने की कोशिश की। देश में अनेक जगह बड़ी मात्रा में लोगों को लोन भी दिया गया।

महोदय, लोन देना और व्यवस्था को ठीक करने की बात तो सही है, लेकिन कहीं कोई उपभोक्ता लोन की किश्त मिस कर गया या लोन पे करने में सक्षम नहीं रहा तो लोन कंपनियों द्वारा इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है जिसमें ज्यादा इंटरस्ट रेट चार्ज किए जाते और 20-25 गुना पैसेल्टी लगाकर टॉर्चर किया जाता है। यह बहुत ही संगीन मुद्दा है।

महोदय, राजस्थान में ऐसे बहुत से केस आए हैं। इस मुद्दे को अखबारों ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। एक महिला के साथ अश्लील चित्र को साझा करने की बात तक कही गई है। इस तरह से डिजिटल माफिया के रूप में टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है। ऐसी उगाहियां हो रही हैं, जिसे एक आम आदमी के लिए पे करना आसान नहीं है।

महोदय, आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1100 से ऊपर ऐसी एप बेस्ड कंपनियां हैं। इनमें आधे से ज्यादा कंपनियां इल्लिगल वे में काम कर रही हैं। इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आरबीआई को प्राथमिकता के साथ इन कंपनियों को बैन करना चाहिए। इनके इंटरस्ट रेट और पैसेल्टी को पाबंद करना चाहिए। इसके साथ ही पब्लिक एट लार्ज को एजुकेट करने का काम टॉप मोस्ट प्रियारिटी पर करना चाहिए।

मैं आपके मार्फत आईटी मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन कंपनियों को गुगल ने एप और एंड्राइड्स पर सीज़ करने का काम किया है, जिन कंपनियों की टॉप मोस्ट प्रियारिटी पर शिकायतें आती हैं और जो आरबीआई पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी हैं, उन्हें हैंड टू हैंड बंद किया जाना चाहिए। स्टेट्स में पुलिस द्वारा कोऑपरेशन नहीं मिलता है। एफआईआर दर्ज नहीं होती है, इस कारण लोग टॉर्चर होते हैं। सुसाइड तक की नौबत भी आ जाती है। इस तरह की बहुत शिकायतें आ रही हैं।

मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ अगर कोई उपभोक्ता शिकायत लेकर आता है तो टॉप मोस्ट प्रियारिटी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा है, यहां बहुत इंटरनेशनल कंपनियां हैं। यह माना जा रहा है कि भविष्य में वर्ष 2025 में यह मार्केट लगभग 30,000 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगी, इसलिए इस संबंध में जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। इसके कारण बहुत से लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं।

मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आरबीआई स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले। धन्यवाद।

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया।

आप जानते हैं कि जल कितना आवश्यक है और हमारी सरकार जल संरक्षण के लिए किस तेजी से काम कर रही है। कृषि और पेयजल के तालाबों का संरक्षण अति आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 75 साल हो गए हैं, जो तालाब निर्मित किए गए थे, उनकी जो नहर प्रणालियां हैं, वे लगभग छिन्न-भिन्न हो गई हैं। इनका ठीक से रखरखाव न होने के कृषकों को पानी नहीं मिलता है। यद्यपि पुराने तालाबों की जितनी क्षमता थी, आज की तारीख में दोगुनी क्षमता से सिंचाई कर रहे हैं। मेरे

लोकसभा क्षेत्र में टिकाड़ी गांव में सर्राठी तालाब है। यह 105 साल पुराना है। इसकी नहर प्रणाली लगभग समाप्त हो गई है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सिंचाई के लिए नहर प्रणाली को ठीक करने के लिए राशि दी जाए। इसके गेट, कुलापे बर्बाद हो गए हैं। टूटी एक बड़ा पुराना जलाशय वेनगंगा नदी पर है। इस पर इतनी सिल्ट हो गई है कि एक फुट भी पानी नहीं भरता है। इसकी रिसिल्टिंग की जाए।

इसके अलावा हमारे क्षेत्र में 70 से 100 साल पुराने तालाब हैं, इनकी नहर प्रणालियों का सीमेंटीकरण किया जाए ताकि सिंचाई की क्षमता, जो दोगुनी विकसित की गई है, इसे और ज्यादा विकसित किया जा सके। इसका पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए और सिंचाई के लिए पूरा पानी मिलना चाहिए। हम बहुत तालाबों में पेयजल के लिए भी पानी देते हैं। इसका पानी बर्बाद न हो, इसलिए डैम सेफ्टी के अंतर्गत इन तालाबों का पुनः संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार अधिकतम राज्यों की मदद करे। धन्यवाद।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं गंगा मईया के बारे में बोलना चाहता हूं। पार्लियामेंट में मेरी पहली स्पीच गंगा मईया से संबंधित थी। जब मोदी जी वाराणसी जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस बार का जो बजट आया है, उसमें अगले 25 साल के लिए प्रोविजन रखा गया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गंगा नदी की सफाई और गंगा नदी का बांध हरिद्वार से निकलते ही आगे, जहां तक गंगा जाती है, कोई ऐसा प्रोविजन अवश्य हो, जिससे गंगा नदी पर एक साल में कम से कम 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर तक दोनों तरफ से बांध बने। उससे गंगा नदी के दोनों तरफ जो लोग बाढ़ में बह जाते हैं, उससे बचाव होगा। इससे गंगा नदी को एक खूबसूरत दिशा मिलेगी। विदेश से आने वाले लोग जो गंगा मईया के बारे में सुनते हैं, जब गंगा मईया को इतना खूबसूरत देखेंगे तो पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा।

जैसे ही हरिद्वार से आगे निकलते हैं तो पुरकाजी विधान सभा है, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र में है। इसी प्रकार मीरापुर, हस्तिनापुर, बिजनौर और चांदपुर भी वाराणसी की तरह गंगा नदी के किनारे मेरी लोक सभा क्षेत्र में पड़ती हैं। जहां पुरकाजी विधान सभा है, उसमें पुराकाजी एक कस्बा है, वहां पर एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाए, जिससे माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी की जो सोच है कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो, डिजिटल करेंसी से पेमेंट कैसे हो और ड्रोन से खेती को बढ़ावा कैसे मिले, जिससे माननीय प्रधान मंत्री जी की जो सोच है, उससे पश्चिमी उत्तर के किसानों को फायदा मिल सकेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

20.37 hrs**SUBMISSION BY MEMBER****Re: Review of Central Scheme under DISHA**

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मुद्दे के ऊपर आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं जिस चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद से आता हूं, वहां से दो मंत्री बनाए गए हैं, डॉ. भागवत कराड और दूसरे रावसाहेब दादाराव दानवे हैं। आपको पता है एक इम्पोर्टेंट कमेटी है 'दिशा', जिसमें केन्द्र सरकार की स्कीम्स को मोनिटर करते हैं। चूंकि अब वे ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं, इसलिए 'दिशा' की मीटिंग नहीं हो पाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे साथ जगदम्बिका पाल साहब यहां बैठे हुए हैं जो सीनियर सदस्य हैं, अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं।

महोदय, मैं जब यहां आ रहा था तो रिव्यू ले रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मेरे चुनावी क्षेत्र में क्या स्थिति है? कुल 52 हजार लोग एलिजेबल हुए थे, लेकिन अभी तक 355 लोगों को मिला है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पूरे महाराष्ट्र के अधिकारियों को समन किया, चूंकि हम उसका रिव्यू लेकर आए थे, आज 50 हजार लोगों को मेरे चुनाव क्षेत्र में जमीन देना महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है। यह एक बहुत बड़ा काम है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि अगर मंत्री बन गए हैं तो मंत्री कभी भी रिव्यू ले सकता है। उनके मंत्री बनने से मुझ जैसे सांसद का नुकसान हो रहा है कि मैं केन्द्र सरकार की कमेटी का रिव्यू नहीं कर पाता हूं, उनके प्रोग्राम का रिव्यू नहीं कर पाता हूं।

मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरह का इंतजाम किया जाए कि अगर मंत्री बन गए हैं तो वे जब चाहे मीटिंग बुला सकते हैं। जैसा भी रिव्यू लेना चाहे, जब लेना चाहे तब रिव्यू ले सकते हैं। लेकिन उस प्रोसिजर के जरिए हम जैसे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करूंगा। इसके साथ-साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की 50 पाइंट्स माइनॉरिटी डेवलपमेंट की भी मीटिंग पिछले डेढ़ साल से नहीं हुई है। यह पूरे हिन्दुस्तान के अंदर ऐसा है। मैं चाहूंगा कि ये दोनों मीटिंग रेग्युलर बेसिस पर करवाने के लिए आपकी तरफ से कोई एक आदेश जारी किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, दिशा की मीटिंग ठीक से हो जाए, दिशा की मीटिंग में सब अधिकारी आएँ और उसका एजेंडा ठीक से बने, उसके बारे में समय-समय पर आप सर्कुलर निकालते हैं, लेकिन इसका रिव्यू आप सभी डिपार्टमेंट्स से बात करके कीजिए।

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय को सदन में अधीर रंजन जी ने भी उठाया है और अन्य माननीय सदस्य भी इसे उठा रहे हैं। आज मैं बड़े ही भारी मन से कह रहा हूँ कि पूरे देश में की जितनी बैठकें होनी चाहिए 'दिशा', उसकी एक चौथाई बैठकें हो रही हैं।

आप जैसा दिशा-निर्देश देंगे, क्योंकि जो की मीटिंग 'दिशा' आहूत करते हैं, वह चेयरमैन करते हैं, लेकिन कलेक्टर के ऊपर भी उसका दायित्व होता है। अगर आपका दिशा-निर्देश है, तो सब कमेटी, डीओपीटी, आरडी के सचिव वगैरह मिलकर इसका कुछ रास्ता निकाल सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

**LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE
ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC
IMPORTANCE**

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri B. Manickam Tagore	Dr. DNV Senthilkumar S.
Dr. DNV Senthilkumar S.	Shri Dhanush M. Kumar
Dr. Dhal Singh Bisen Shri Rahul Kaswan Shrimati Ranjeeta Koli	Shri Malook Nagar

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही सोमवार, 14 मार्च, 2022 को सायं चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

20.40 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock on Monday, March 14,
2022/Phalguna 23, 1943 (Saka).*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. During the first part of Budget Session, 2022 live telecast begins at 4 P.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.